



योजना

वर्ष : 49

जून 2005

मूल्य : 7 रुपये

समन्वित जल मिशन

जल : प्रथम और अंतिम सार्वजनिक संपदा

नदियों और बनों को जोड़ना

स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना

सूचना के अधिकार का विधेयक पारित

जल प्रबंधन

सफल प्रक्षेपण

छोड़ा जाना

श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केन्द्र से 10.15 पूर्वाह्न में टेक्स्ट तरीके से।

जुड़वां उपग्रह

कार्टोसैट-1 और हैमसैट ध्रुवीय सूर्य कक्ष में एक साथ (पोलर सन सिंक्रोनस ऑरबिट) स्थापित किया गया था।

स्थिति

632×621 किमी. की ऊंचाई पर भूमध्य रेखा की ओर 97.8 डिग्री झुका हुआ।

अंतिम समय में बदलाव

कक्ष में पुराने उपग्रहों के कचरे से बचने के हेतु प्रक्षेपण चार मिनट पहले किया गया था।

मुख्य लाभ

कार्टोसैट-1 : नगरों की योजना, नई सड़कें बनाने, आपदा आकलन और जल संसाधन प्रबंध हेतु अधिक

यथार्थ नक्शे के लिए उच्च विश्लेषण वाली तस्वीरें भेजेगा। अब तक भारतीय नक्शाकार त्रिपक्षीय नक्शों के निर्माण हेतु उपग्रह के आंकड़ों को जोड़ने पर निर्भर रहे।


दो अत्याधुनिक पैनक्रॉमेटिक कैमरे एक बार में छोटे बिंब के 2.5 मीटर चौड़ाई तक की आकृति की पहचान करने के लिए लगाए गए हैं।

अधिक कार्य करने वाला (हेवीड्युटी)

1,560 किग्रा. भार का यह उपग्रह देश का सबसे भारी दूरसंचेदी उपग्रह है। यह कक्षा का प्रतिदिन 14 चक्रकर काटेगा।


पोलर सन सिंक्रोनस ऑरबिट

ध्रुव के करीब का एक कक्ष। इसे इस तरह डिजायन किया गया है कि यह भूमध्य रेखा से प्रतिदिन समानदेशांतर से गुजरे।



हैमसैट डच इंजीनियरिंग स्नातक छात्र विलियम गोरार्ड लेस्मर द्वारा डिजायन किया गया है।

- यह 42.5 किग्रा. का एक सूक्ष्म उपग्रह है।
- यह दक्षिण एशिया में यूएचएफ/वीएचएफ आधारित उपग्रह रेडियो संचार के संचालन के लिए अव्यावसायिक रेडियो संचालकों की जरूरतों को पूरा करेगा।



इसरो द्वारा एक और सफल प्रक्षेपण पीएसएलवीसी 6 ने दो उपग्रहों को कक्ष में स्थापित किया।

भारत का ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान

पीएसएलवी-सी6 आंध्रप्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित उपग्रह केन्द्र से गरिमापूर्ण तरीके से ऊपर उठा। इसने कार्टोसैट-1 और हैमसैट नामक दो उपग्रहों को उनकी कक्ष में 5 मई को स्थापित कर दिया।

पीएसएलवी-सी6 ने 1,560 किग्रा. भार वाले कार्टोसैट-1 को 627 किमी. की ऊंचाई पर कक्ष में स्थापित किया। 43 किग्रा. वजन का सूक्ष्म उपग्रह हैमसैट भी उसी कक्ष में स्थापित किया गया था।



योजना

वर्ष : 49 अंक 3

जून 2005

ज्येष्ठ-आषाढ़, शक संवत् 1927

कुल पृष्ठ : 48

प्रधान संपादक
अनुराग मिश्रा

संपादक
विश्व नाथ त्रिपाठी

महायक संपादक
राकेशरेणु

संपादकीय कार्यालय
कमरा नं. 538, योजना भवन, संसद मार्ग,
नई दिल्ली-110 001
दूरभाष : 23096738, 23717910
23096666/2508, 2511
ई-मेल : yojana@techpilgrim.com
www.publicationsdivision.nic.in
a) dpd@nic.in
b) dpd@hub.nic.in

संयुक्त निदेशक (उत्पादन)
एन.सी. मन्जुमदार

व्यापार व्यवस्थापक (प्रसार एवं विज्ञापन)
जगदीश प्रसाद
दूरभाष : 26100207, 26105590
फैक्स : 26175516

आवरण - ऋत्विका मैत्रा

इस अंक में


● समन्वित जल प्रिश्न	ए.पी.जे. अद्वृत कलाम	5
● जल : प्रथम और अंतिम सार्वजनिक संपदा	बंदना शिवा	9
● पानी के साथ-साथ खेल भी	मधु आर. शेखर	11
● जल संकट	पार्थ जे. शाह	13
● स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता	एच.बी. सौम्या	13
● नदियों और बनों को जोड़ना	बी.के. दुग्गल	17
● राष्ट्रीय बिजली नीति - आगे की राह	पांडुरंग हेगडे	19
● प्रधानमंत्री द्वारा राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का शुभांभ	इस्माइल अली खान	21
● आम आदमी का कंप्यूटर	पी. के. चक्रवर्ती	25
● विज्ञमंत्री ने महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयकर छूट की सीमा बढ़ाई	-	26
● सीमा विवाद के हल के लिए निर्देशक सिद्धांत	-	27
● उधमपुर के लिए रेलगाड़ी से कश्मीर घाटी और करीब आई	राकेशरेणु	29
● सूचना के अधिकार का विधेयक पारित	अबरार रहमानी	31
● एचएमटी धान की उन्नत किस्म	-	33
● आस्था का केंद्र बनारस	मनीष श्रीवास्तव	37
● भारत में टेलीफोन की संख्या 10 करोड़ से ज्यादा हुई	-	41
● सूचना प्रौद्योगिकी का हमारे जीवन में महत्व	ए. रंगा रेड्डी	42
● चरित्रवान बनिए	जियाउर रहमान जाफ़री	47
● महिलायें बनी भगीरथ : फिर जी उठा ताल	श्रीप्रकाश सिंह निमराजे	48

योजना हिन्दी के अतिरिक्त असमिया, बांग्ला, अंग्रेजी, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, तमिल, उडिया, पंजाबी, तेलुगु तथा उर्दू भाषाओं में भी प्रकाशित की जाती है। पत्रिका मंगवाने हेतु, नई सदस्यता, नवीकरण, पुराने अंकों की प्राप्ति एवं एजेंसी आदि के लिए मनीआर्डर/डिमांड ड्राफ्ट/पोस्टल आर्डर 'निदेशक, प्रकाशन विभाग' के नाम से बनवा कर निम्न पते पर भेजें :

व्यापार प्रबंधक (प्रसार एवं विज्ञापन), प्रकाशन विभाग, ईंट ब्लॉक IV, लेवल VII, आर.के. पुरम, नई दिल्ली-110 066 टेलीफोन : 26100207, 26105590

चंदे की दरें : वार्षिक : 70 रु. द्विवार्षिक : 135 रु. त्रिवार्षिक : 190 रु. विदेशों में वार्षिक दरें : पड़ोसी देश : 500 रु. यूरोपीय एवं अन्य देश : 700 रु.

'योजना' में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। जरूरी नहीं कि ये लेखक भारत सरकार के जिन मंत्रालयों, विभागों अथवा संगठनों से संबद्ध हैं, उनका भी यही दृष्टिकोण हो।




જોલા છાપ કી મહિમા

ગર્દ ખેડૂત મૌસમ મેં યોજના કા યહ અંક (અપ્રૈલ) મસ્તિષ્ક કે કાફી ગર્દ કો સાફ કર ગયા। ખાસકર સિદ્ધાર્થ વરદરાજ કે સાથ અમર્ત્ય સેન કી બેબાક બાતચીત કાફી વ્યવહારિક લગી। પ્રતીચિ વ્યાસ કા સર્વેક્ષણ (પ. બંગાલ ઔર ઝારખંડ મેં) કિ 'પ્રાથમિક સ્વાસ્થ્ય કેંદ્ર' પર કોઈ ડાક્ટર નહીં મિલતા, બિલ્કુલ સહી હોગા। લેકિન સર્વેક્ષણ મેં અગર બિબાહ કો ભી શામિલ કિયા ગયા હોતા તો ક્યા તથ્ય સામને આતા? યહાં તો સદર અસ્પતાલ (જિલા અસ્પતાલ) મેં ભી ડાક્ટર નહીં મિલતે। ઔર અગર મિલ ભી જાતે હેં તો મરીજ કો ઇસ હાલત મેં કર દેતે હેં કે ઉસે યા તો અસ્પતાલ છોડ્ના પડ્યા હૈ યા દુનિયા।

જહાં તક 'જોલા છાપ' ડાક્ટર કી બાત હૈ તો અમર્ત્ય સેન જી ઇસકે પૂરી તરહ ખાત્મે કી બાત કરતે હેં। લેકિન અગર ઇસ પર તત્કાલ રોક લગાઈ ગઈ તો ગરીબ જનતા કા ક્યા હોગા? સરકારી સ્વાસ્થ્ય કેંદ્ર કો અગર દર-કિનાર કર દેખેં (જો કે ઇસકે કાબિલ ભી હૈ) તો ગ્રામીણ ક્ષેત્રોં મેં શાયદ હી કોઈ ડૉક્ટર નજર આએંના। ફિર જનતા (ખાસકર નિર્ધન) આખિર જાએંગી કહાં? અત: પહેલે પંચાયત સ્તર પર 1-2 અંચે ડાક્ટર કી ઉપસ્થિતિ (ઉપલબ્ધતા) સુનિશ્ચિત કરેં। વર્તમાન મેં તો બ્લાક સ્તર પર ભી ડાક્ટર બમુશિકલ સે મિલતે હેં।) ફિર 'જોલા છાપ' ડાક્ટર કી જોલી પર છાપે નજર મારે।

ફિર બજટ મેં સ્વાસ્થ્ય ક્ષેત્ર કે લિએ કિએ જાને વાલે આવંટન કા પ્રશ્ન હૈ। તો વાસ્તવ મેં યાં સરકાર કે અન્ય વ્યય, વિશેષકર અપવ્યયોं

આપકી રાય



કો દેખતે હુએ કાફી કમ હૈ। અમર્ત્ય સેન કા યાં કહના કિ "મૈં જોરદાર સિફારિશ કરુંગા કિ હમ જન સ્વાસ્થ્ય ક્ષેત્ર પર ઔર અધિક ખર્ચ કરો"- કાફી તરકસંગત હૈ। ઇસકે લિએ મૈં ઉન્હેં સાધુવાદ દેતા હું।

ઇસકે અલાવા રોજગાર કાર્યક્રમ સે સંબંધિત વિભિન્ન પહુલુઓં કો ઉજાગર કરને કે લિએ વિદ્વાન અર્થશાસ્ત્રી 'જ્યાં દ્રેજ' કો મૈં મન મસ્તિષ્ક સે ધન્યવાદ દેતા હું। આપને રાજસ્થાન તથા અન્ય સ્થાનોં કે અનુભવોં સે 'ભ્રષ્ટાચાર કી સંસ્કૃતિ' કી પરિવર્તનીયતા કી જો બાત કહી હૈ, અગર યાં વાકીએ મેં સંભવ હૈ તો ઇસે સારે દેશ મેં ક્યોં નહીં લાગૂ કિયા જા રહા હૈ?

અંત મેં ઇન શોધપરક લેખોં કે સંપાદન ઔર સંગ્રહણ કે લિએ યોજના માસિક કો બધાઈ ઔર ઇસ બાત કે લિએ ધન્યવાદ કી વહ પાઠક કે પૂરે પતે છાપને લગી હૈ।

અજિત કુમાર
ગેવાલી, નવાદા

વૈજ્ઞાનિક ઔર સામાજિક કાર્યકર્તા કી અસ્પષ્ટ છે

યોજના કે અપ્રૈલ 2005 અંક મેં 'શોધ યાત્રા' સ્ટંભ મેં વૈજ્ઞાનિક કી તસ્વીર નજર નહીં આઈ ઔર ઇસમે સબસે બડી ભૂલ તો યાં હું કી જિસ સામાજિક કાર્યકર્તા (અજહર હુસૈન અંસારી) ને વિજ્ઞાન જગત મેં મોહમ્મદ સેદુલ્લાહ કી કૃતીયોં એવાં આવિષ્કારોં કે પરિચય કરાયા થા ઉક્ત વૈજ્ઞાનિક ખોજકર્તા કા નામ પુરસ્કાર પુસ્તિકા મેં દર્જ હૈ સાથ હી ઇન્હેં પુરસ્કૃત ભી કિયા ગયા હૈ, લેકિન ઉનકા નામ ઇસ લેખ મેં કહીં નહીં હૈ। યાં સચ હૈ કે કિસી વૈજ્ઞાનિક તથ્ય કે પીછે એક પરિદૃશ્ય હોતા હૈ। એક મહાન વ્યક્તિ કે પીછે ભી કિસી મિત્ર કા સાથ હોતા હૈ। અજહર હુસૈન અંસારી કા જિક્ર શોધ યાત્રા આલેખન મેં ન કરના 'સત્ય' પર પ્રતિધાત હૈ। આલેખ અજહર હુસૈન અંસારી

કે બિના અધૂરા હૈ। વૈજ્ઞાનિક એવાં સામાજિક કાર્યકર્તા કે પરસ્પર પ્રયાસ સે હી યાં પ્રતિબિનિયોગ વૈજ્ઞાનિક પટલ પર ઉભરી હૈ જો એક- દૂસરે કે પૂરક હૈનું।

રફી અહુમદ આફતાબ
મોતિહારી

સરાહનીય હૈ રોજગાર ગારંટી અંક

આપ્રૈલ 2005 અંક હસ્તગત હુંથાં। યાં અંક 'રોજગાર ગારંટી યોજના' કો સમર્પિત હૈ। રોજગાર ગારંટી યોજના મેં જો વાયદે કિયે ગયે હૈનું વે ઉચ્ચ કોટિ કે હૈનું। ઇસ યોજના કા ક્રિયાન્વયન પંચાયત સે કરાયા જાએના, યાં ઉચ્ચિત હૈ। અધ્યયન, મનન કે પશ્ચાત મેરી રાય હૈ કે અધિકાર્યોં મેં વ્યાપ્ત ભ્રષ્ટાચાર કો સમાપ્ત કરકે હી ઇસ યોજના કો સફળતાપૂર્વક લાગૂ કિયા જા સકતા હૈ। મંથન પરિવર્તનશીલ બનિએ-શીર્ષક આલેખ પાઠકોં કે લિએ સંજીવની કા કામ કર રહા હૈ। ઇસ કાલમ કો પઢતે હી પાઠક વર્ગ મેં લક્ષ્યોં કે પ્રતિ સ્વત: નયા ઉત્સાહ આ જાતા હૈ। પરિવર્તન વિકાસ કી શ્રેષ્ઠ પ્રક્રિયા હૈ। નિત નયા પરિવર્તન હમકો વિકાસ પથ પર અગ્રસર હોને કે લિએ આમંત્રણ દેતે હૈનું। વાસ્તવ મેં આજ કી દુનિયા મેં વહી વ્યક્તિ વિકાસ કર સકતા હૈ, જો પરિવર્તનશીલ સમય કે સાથ અપને મેં પરિવર્તન લાએ। યાં શાશ્વત સત્ય હૈ। અત: હમસબ કો સામંજસ્ય સ્થાપિત કરના ચાહિએ। જહાં ચાહ વહાં રાહ પાઠકોં કો સદૈવ પ્રેરણ દેતા હૈ। ઇસસે કુછ કર ગુજરને કી ચાહત પૈદા હોતી હૈ।

સચ્ચે પ્રયત્ન હમારે કભી વ્યર્થ હો સકતે નહીં। સંસાર ભરકે ભી, ઉનકો ડુબો સકતે નહીઁ।

DTH અર્થાત ચૌથી ક્રાંતિ શીર્ષક આલેખ જાનકારી સે પરિપૂર્ણ હૈ।

સુનીલ કુમાર સેઠી, હંસવર (બ્રભનઈયા)
અંબેડકર નગર, (ડ.પ્ર.)

इस अंक में

कहा जाता है कि भविष्य में युद्ध पानी के लिए लड़े जाएंगे। देश में फैल रही जल प्रबंधन नीति और विनियम। इनकी वजह से बहुतायत वाले क्षेत्र में भी पानी की कमी हो रही है। जलस्रोत प्रदूषित हो रहे हैं तथा उनके सूखने का खतरा आसन्न है।

हमें बुनियादी आवश्यकता की निरंतरता बनाए रखने के लिए उन पर पुनर्विचार की जरूरत है। संभवतः यह आज की सबसे बड़ी चुनौती है। इसमें देशी ज्ञान और आधुनिक वैज्ञानिक ज्ञान दोनों को साझा बनाना अपेक्षित है।

एक मत है कि मुक्त बाजार शर्तों के अधीन उच्चतर मूल्य संरक्षण को अनिवार्यतः बढ़ावा नहीं देते। भारी असमानताएं होने पर इस बात की बड़ी संभावना है कि आर्थिक रूप से समुद्ध पानी बरबाद करें जबकि गरीबों को इसका मूल्य चुकाना पड़े।

इस क्षेत्र के विशेषज्ञों ने अपनी चिंता जाहिर की है और अपना मत दिया है कि सामुदायिक अधिकार लोकतांत्रिक अनिवार्यता हैं। वे राज्यों और वाणिज्यिक हित को जिम्मेवार मानते हैं तथा विकेन्द्रीकृत लोकतंत्र के रूप में लोगों के पानी के अधिकार की रक्षा करते हैं।

विख्यात पर्यावरणविद् डॉ. वंदना शिवा ने पानी पर इस अंक के अपने लेख में कहा है कि पानी का अभाव एक पारिस्थितिक अभाव है जिसके वाणिज्यिक कारण हैं, परंतु कोई बाजारु समाधान नहीं हैं। बाजारु समाधान पृथ्वी को बरबाद करते हैं और असमानता बढ़ाते हैं। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के पूर्व महानिदेशक माइकल कैम्डेसस की अध्यक्षता में विशेषज्ञों की एक समिति के रिपोर्ट के अनुसार पानी के लिए वित्त प्रबंधन “आप इसका उपयोग करें और आप इसके लिए भुगतान करें” के सिद्धांत के अनुसार हो। यह पानी संबंधी प्रासंगिक मुद्दों को उठाता है जो अभी वाद-विवाद ग्रस्त हैं। स्पष्ट और प्रवर्तनीय जल उपयोगकर्ता के अधिकार, सुरक्षित पीने का पानी, विकेन्द्रीकृत वितरण, निजीकरण, स्थायी समाधान हेतु पानी का मूल्य निर्धारण और आर्थिक सहायता का लक्ष्य निर्धारण ऐसे कुछ मुद्दे हैं जिनका समाधान किए जाने की आवश्यकता है।

योजना के इस अंक में जल प्रबंधन के संकटपूर्ण क्षेत्रों के साथ संभावित समाधानों को सम्मिलित किया गया है। आदान-प्रदान जीवन का एक सिद्धांत रहा है। पानी का बढ़ता हुआ अभाव केवल दीर्घकालीन आदतों को अपनाने पर केन्द्रित है। दूसरे शब्दों में, एक ऐसी पहल जो भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की जरूरतों को पूरा करता है। □

प्रशासनिक अध्ययन रांगड़ान

Institute Of Administrative Studies

पेशेवर दृष्टिकोण, परिमार्जित अध्यापन, परिष्कृत व्यवहार
With galaxy of experts we are the source to enrich your quality for becoming moral and model civil servant.

Course Offered

लोक प्रशासन

By

ASHOK KR. DUBEY

Batch Starts

From - 19th June

समाजशास्त्र

By

RENNOWNED EXPERT

Batch Starts

From - 16th June

इतिहास

By

K. D. SINGH (इलाहाबाद)

Batch Starts

From - 15th June

सामान्य अध्ययन-विशेषज्ञों के दल द्वारा

पाली साहित्य

By

डॉ० रमेश प्रसाद

(राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त)

माइयूलर G.S.

By

भारतीय अर्थव्यवस्था - K. BASHAR

Batch Starts From - 15th June

राष्ट्रीय पत्राचार प्रशिक्षण कार्यक्रम

लोक प्रशासन- प्रारंभिक -1500/-, मुख्य- 3000/-

Note - पत्राचार के छात्रों के लिए

एक सप्ताह का विशेष कक्षा कार्यक्रम (दिल्ली में)

SC/ST/OBC/HC/Women के लिए शुल्क में रियायत

HOSTEL FACILITY

IIIrd Floor, A-7, Jai Tower (Beside Batra Cinema), Near Chawla Restaurant, Comm. Complex,
Dr. Mukherjee Nagar, Delhi - 9, Ph. 55368702, 9312399055, 9811291166

समन्वित जल मिशन

○ ए.पी.जे. अब्दुल कलाम

जरूरी होगा कि हमारा जल मिशन हो जिसमें नदियों को आपस में जोड़ने, जल संचयन, पानी के पुनर्प्रयोग और कुछ क्षेत्रों में सौरऊर्जा की सहायता से समुद्र के खारे पानी को पीने लायक बनाने की बातों को शामिल किया जाए

जलप्रबंधन और खासतौर से जल संरक्षण तथा जलस्रोतों के विकास एवं प्रबंधन का मुद्रा बहुत महत्वपूर्ण है। हम अपने सभी नागरिकों को सिंचाई और अच्छी गुणवत्ता का पीने का पानी उपलब्ध कराने को लालायित हैं। पर्यावरण विज्ञान, मानव बस्तियों का विस्थापन जैसे अन्य सरोकार भी हैं अतः 'समन्वित जल मिशन' आज के मेरे संबोधन का विषय है।

हमारे बीच कुछ लोग हैं जो नदियों को जोड़ने की परियोजना से बहुत उम्मीदें लगाए हैं। कई ऐसे लोग भी हैं जो सवाल उठा रहे हैं कि क्या यह कार्यक्रम देश के लिए बरदान सिद्ध होगा। इस संबंध में मैं चार पहलुओं पर चर्चा करूँगा:

- पीने, सफाई, सिंचाई और औद्योगिक प्रयोग के लिए हमें कुल कितने पानी की जरूरत है और हमें मौसमी साधनों (बारिस और बर्फ पिघलने) से कितना पानी मिल पाता है?
- हमारी आबादी का एक तिहाई हिस्सा हर साल बाढ़ या सूखे का सामना करता है।
- भिन्न-भिन्न क्षेत्रों और अलग-अलग मौसम में पानी की प्रतिव्यक्ति उपलब्धता 10 किलोलीटर और 50 किलोलीटर के बीच होती है।
- एक अनुमानित जनसंख्या वृद्धिदर पर सारी

आबादी की पानी की न्यूनतम आवश्यकता कैसे पूरी की जा सकती है? हमें ध्यान रखना है कि सन् 2020 तक हमें 40 करोड़ टन अनाज की पैदावार का लक्ष्य प्राप्त करना है और जनसंख्या वृद्धि के कारण पानी की जरूरत भी बढ़ जाएगी।

जल संतुलन

भारत में सभी प्राकृतिक स्रोतों से हर वर्ष लगभग 4,000 अरब घन मीटर (अघमी) पानी प्राप्त होता है। इसमें से 700 अघमी पानी भाप बन कर उड़ जाता है और 700 अघमी जल जमीन सौख लेती है तथा इसका काफी बड़ा भाग, 1500 अघमी समुद्र में बह जाता है। इस प्रकार सिर्फ 1,100 अघमी पानी ही बचता है। इसमें से प्रतिवर्ष 430 अघमी भूजल की भरपाई में चला जाता है और 370 अघमी भूजल का ही इस्तेमाल हो पाता है। शेष रहता है 300 अघमी जल जिसका संचयन संभव है।

बाढ़ और सूखे की स्थिति

अक्सर आने वाले बाढ़ और सूखे पर भी मेरा ध्यान गया है। सामान्यतः देशभर में 4 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र में फैली 8 प्रमुख नदी घाटियों में बाढ़ आती रहती है और 26 करोड़ लोग इसकी चपेट में आते हैं। इसी तरह से 14 राज्यों के कुल 116 जिलों के 8.6 करोड़

लोग सूखे की मार झलते हैं। यह बाढ़ कैसे आती है? यह बाढ़ 1,500 अघमी उस पानी के कारण आती है जो हर साल वर्षा ऋतु में बहता है। अगर हमें बाढ़ और सूखे के प्रकोप से बचना है तो हमें इस 1,500 अघमी बारिश के पानी का संरक्षण करके सूखे वाले इलाकों को पहुँचाना है। हम उपयुक्त संचयन व्यवस्था विकसित करके एक हिस्से को वर्षा ऋतु में इकट्ठा कर सकते हैं और बाद में इसका उपयोग कर सकते हैं। अगर हम ऐसा करने में कामयाब हुए तो हर साल फसलों, संपत्तियों और लोगों की रक्षा ही नहीं करेंगे बल्कि इन प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान से भी बच सकेंगे और इस प्रकार 2,400 करोड़ रुपये तक की हानि से देश को बचा सकेंगे। साथ ही, 1,200 करोड़ रुपये के इस आवर्ती व्यय से भी बच सकेंगे जो सरकार लघु अवधि राहत कार्यों पर खर्च करती है। सवाल यह उठता है कि बाढ़ के पानी का संचयन कैसे किया जाए? साथ ही, बाढ़ के पानी के बहाव को कैसे नियंत्रित किया जाए ताकि इसे समुद्र में बह जाने से रोक कर मानव मात्र के लाभ के लिए इस्तेमाल किया जा सके?

जल संचयन

हमारा उद्देश्य यह होना चाहिए कि हम बाढ़ के 1,500 अघमी पानी को इस प्रकार

नियंत्रित करें कि इसका इस्तेमाल सूखाग्रस्त क्षेत्रों तथा देश के अन्य इलाकों को पर्याप्त जल मौसम में उपलब्ध कराने में कर सकें। इसके लिए हमें नदियों को जोड़ने एवं पानी के समुचित भंडारण और वितरण के उपाय करने होंगे।

इसके लिए बनाई जाने वाली योजनाओं में हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि इस समय 50 प्रतिशत से अधिक भारतीय मकानों में सफाई सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। बढ़ती हुई आबादी के लिए जलसंचय और वितरण की परियोजनाएं बनाते समय नियोजकों को यह बात ध्यान में रखनी चाहिए। राष्ट्र की पानी की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए नदियों को जोड़ने की परियोजना में भी हमें इस बात का ध्यान रखना होगा और मिली-जुली स्कीम बनानी होगी जिनके जरिए हर साल 1,500 अधमी बाढ़ के पानी के अलावा 300 अधमी अतिरिक्त पानी का संरक्षण किया जा सके।

बाढ़ नियंत्रण

बाढ़ नियंत्रण करने और सूखे से निपटने में अतिरिक्त पानी के उपयोग का दीर्घावधि समाधान खोजे जाने की सख्त जरूरत है। मैं तो चाहूंगा कि गंगा के मैदान में कोसी नदी के प्रवेश क्षेत्र में विशेष प्रकार के (परतदार) कुओं का निर्माण किया जाए। आमतौर पर बाढ़ के पानी के प्रवाह में खास तरह की गतिशीलता होती है। इन विशेष प्रकार के (परतदार) कुओं में पानी भरने के कारण इस गतिशीलता को धीरे-धीरे घटाने में सहायता मिलेगी। इस प्रकार जो पानी संचित किया जाएगा वह कमी के वक्त काम आएगा। पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए भी इसी तरह के समाधान खोजे जा सकते हैं। मैं सिफारिश करता हूं कि नदियों को जोड़ने के कार्यक्रम में इसे भी शामिल कर लिया जाए।

यही नहीं, जो भी स्कीम बनाई जाए उसमें पानी को समुद्र में बह जाने से रोकने और बढ़ती आबादी के लिए अतिरिक्त पानी की लगातार उपलब्धता बनाए रखने की व्यवस्था भी होनी चाहिए।

अब मैं कुछ उन मुद्दों की चर्चा करूंगा जो इस मिशन से संबद्ध हैं। मुख्य मुद्दे कुछ लोगों के पुनर्वास और पर्यावरण सुधार से जुड़े हैं।

पुनर्वास

इतने बड़े पैमाने पर जब स्कीमें लागू की जाएंगी तो कुछ लोगों के विस्थापित होने की नौबत भी आएगी। हमें इस तरह के विस्थापन को न्यूनतम स्तर पर लाना है। हमें यह भी ध्यान रखना है कि इनसे लोगों को क्या लाभ होने हैं और उन पर क्या असर पड़ने वाला है। इन योजनाओं से करीब 34 करोड़ वे लोग लाभान्वित होंगे जो लगातार बाढ़ और सूखे की मार झेलते रहे हैं। योजनाओं में विस्थापित होने वाले परिवारों की पुनर्वास योजना के लिए जरूरी जमीन और खेती कुटीर उद्योग, औद्योगिक गतिविधियों के लिए स्थान का ध्यान रखना होगा। जल संसाधनों को जोड़ने के मिशन के परिव्यय में इसके लिए जरूरी निधियों की भी व्यवस्था करनी होगी। अतीत की समस्याओं से सबक लेते हुए विस्थापित होने वाले लोगों को जरूरी सुविधाएं देने के लिए समय से पहले ही ऐसी सुविधायें जुटाने पर ध्यान देना होगा। प्रौद्योगिकी, परियोजना प्रबंधन, वित्त आदि की ही तरह इस संदर्भ में सुशासन के मुद्दे भी समान महत्व के होंगे। स्वीकृति से पहले परियोजना रिपोर्ट में यह बातें शामिल करनी होंगी।

पर्यावरण सुधार

पर्यावरणशास्त्री इस बात को ले कर आशंकित हैं कि पानी के मार्ग और भू-भाग में बड़े पैमाने पर परिवर्तन से भूगर्भीय और पर्यावरण संतुलन प्रभावित हो सकता है और खतरे में पड़ सकता है। इसलिए उनके सरोकारों का हल भी ढूँढ़ना पड़ेगा और नदियों को जोड़ने के मिशन में समुचित व्यवस्था करनी होगी। उदाहरण के लिए मौजूदा वन क्षेत्र की तुलना में वनारोपन क्षेत्र 10 से 15 प्रतिशत बढ़ा दी जाए और नदी प्रवाह प्रबंधन का डिजाइन तैयार कर लिया जाए। इसलिए सरकार द्वारा नियोजित समग्र मिशन विभिन्न विभागों द्वारा संचित परिव्यय को शामिल करना होगा और इस पर नजदीक से निगरानी रखनी

होगी क्योंकि राज्य और केंद्र सरकारों के कई मंत्रालयों के विकास कार्यक्रमों के हर क्षेत्र पर इसका प्रभाव पड़ेगा।

जल संसाधन मानचित्र एवं मार्ग नियोजन

ऐसे मिशनों के कार्यान्वयन में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी निश्चित रूप से मददगार होगी। भारत का अपना खुद का दूरसंवेदी उपग्रह है और वह विभिन्न मौसम में सहायक सिद्ध होगा। उपग्रह और आकाशीय चित्रों के सहारे जलमागों और पर्यावरण विवरणों का मानचित्रण किया जा सकता है। जल संसाधनों और सूखे के चित्र अब कार्टोसेट-वन से मिल सकेंगे। इन्हें जल मिशन का एक अंग बना लिया जाना चाहिए।

स्थानीय नदी थालों का राज्यवार संपर्क

आंध्र प्रदेश विधानसभा में अपने संबोधन के दौरान मैंने सुझाव दिया था कि बाढ़ के मौसम में गोदावरी का 2,500 टीएमसी और सामान्य दिनों में 750 टीएमसी पानी समुद्र में बह जाता है। इसे बांध, नहरें, झीलें और जलाशय बना कर रोका जाना चाहिए और गोदावरी के आसपास के क्षेत्र में सिंचाई के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इससे थाले में सिंचित क्षेत्र 30 प्रतिशत से ज्यादा बढ़ जाएगा। आंध्र प्रदेश सरकार यह स्कीम क्रियान्वित करने पर सहमत हो गई है। इसके अलावा मुझे गोवा के मुख्यमंत्री ने सूचित किया था कि गोवा सरकार ने पंप और अन्य साधनों के सहारे मांडोवी थाले में जुआरी नदी को कलय नदी से जोड़ दिया है। ऐसा इस इलाके में पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किया गया। हर राज्य को गोवा की तर्ज पर अपनी नदियों को जोड़ने की समग्र योजना में राज्य जल संसाधन संबद्धता को शामिल कर लेना जाना चाहिए।

जल प्रबंधन

इसके साथ ही, हमें भूजल और सतही पानी के जरिए 800 अधमी उपलब्धता, जल संचयन पुनरोपयोग और पर्यावरण सुधार के मिशन भी शुरू करने होंगे। मैं यहां अध्ययन के उद्देश्य से विभिन्न क्षेत्रों में कार्यान्वयन किए गए कुछ उदाहरण दे रहा हूं।

जल संचयन

जल संचयन और इसके पुनः प्रयोग को सभी राज्यों में कानूनी तौर पर अनिवार्य बना दिया जाना चाहिए। जल स्तर में सुधार के लिए हमें चेक बांध बनाने, जलाशय, नदियों और जल विभाजकों के विकास, तालाबों में पानी के आने-जाने के रास्ते को खुला रखने और कुंओं के पानी की भरपाई की व्यवस्था करनी चाहिए। अगर ग्रामीण क्षेत्रों में जलाशयों को साफ और चालू रखा जाए तो कुंओं के पानी की भरपाई अपने आप होती रहेगी। इन गतिविधियों से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। तमिलनाडु सरकार ने इस दिशा में अग्रणी कदम उठाए हैं और गांवों सहित सभी परिवारों के लिए जल संचयन को कानूनी तौर पर अनिवार्य बना दिया है। अध्ययनों से पता चलता है कि इसके कारण मौजूदा मौसम में वहां भूजल स्तर में पर्याप्त सुधार हुआ है। हाल ही में सुनामी प्रभावित लोगों के लिए बनाई जा रही स्थाई बस्तियों में जल संचयन की व्यवस्था शामिल की गई है। कई राज्यों ने अपने विभिन्न प्रकार के लाखों जलाशयों के पुनरुद्धार के लिए काम शुरू किया है। उन्होंने सूखे की आशंका वाले क्षेत्रों में जलस्तर में सुधार और वर्षा के पानी को सिंचाई के लिए इस्तेमाल करने के उद्देश्य से अनेक लघु और अति लघु पनविभाजक सिंचाई परियोजनायें शुरू की हैं।

पानी का पुनः प्रयोग

जल संचयन के अलावा होटलों, सार्वजनिक-संस्थानों और उद्योगों जैसे बड़े उपभोक्ताओं के लिए पानी को साफ करके उसका पुनः प्रयोग करना अति आवश्यक है। फिर से साफ किए पानी का इस्तेमाल पीने के अलावा खेती सहित हर क्षेत्र में किया जाना चाहिए। इससे पानी की प्रतिव्यक्ति आवश्यकता मौजूदा खपत की तुलना में 25 प्रतिशत कम हो जाएगी। साथ ही जनसंख्या के काफी बड़े हिस्से को पानी और सफाई के लिए काफी पानी मिलने लगेगा।

पर्यावरण सुधार के लिए साहचर्य मिशन

पर्यावरण स्वच्छता की स्थिति किसी राष्ट्र के विकास का द्योतक होती है। एक राष्ट्र के

रूप में हमें अपने पूजा स्थलों और नदियों सहित समूचे पर्यावरण को साफ रखना है। मुझे काली वेन नदी के बारे में जो जानकारी मिली है उससे बहुत खुशी हुई है। इसी नदी के तट पर गुरुनानकदेव जी को आत्मज्ञान प्राप्त हुआ था। पिछले कछु वर्षों में यह नदी सिवार भरे नाले में तब्दील हो गई थी। हाल ही में पंजाब सरकार ने सहयोग और बाबा बलबीर सिंह सीचेवाला की कोशिशों से इस नदी की सफाई की गई। बातचीत करने पर मुझे मालूम हुआ कि लोगों से कारसेवा संगठित करके इस नदी में गिरने वाले गंदे नालों को रोका और रोजाना 300 कार सेवकों की मदद ले कर पिछले साढ़े तीन वर्षों में 160 किलोमीटर लंबी इस नदी को साफ कर दिया गया। सरकार ने एक साल पहले तर्किना बांध से इसमें पानी छोड़ा और यह फिर से ताजे पानी से प्रवाहित नदी बन गई है। इस नदी के फिर से प्रवाहित होने से भूजल स्तर बढ़ गया है और आसपास के हँडपंप, जो सूख गए थे, अब फिर पानी देने लगे हैं।

अब जब कि मैं यह सोच रहा था कि नदियों और धार्मिक स्थानों के माहौल में कैसे सुधार लाया जाए, मुझे लगता है कि हमारे प्रबुद्ध नागरिकों ने पहल की है और दिखा दिया है कि उत्साही व्यक्ति समाज की समस्यायें सुलझा सकते हैं। मेरी कामना है कि यह सामाजिक आदर्श सभी दैवी पूजा-स्थलों तक फैले और श्रद्धालुओं को हवा पानी का माहौल साफ करने की प्रेरणा दे। स्थानीय स्तर की ऐसी हजारों पहल भारत को हरा-भरा बना देंगी।

परियोजना सिरूतली- फिर लहलहाया एक जलाशय

यह एक ऐसी पहल थी जिसकी शुरुआत कोयंबतूर के निवासियों ने कोयंबतूर के लिए की। यह एक पर्यावरण संबंधी परियोजना थी जिसका उद्देश्य था कोयंबतूर के प्राचीन गौरव और समृद्ध विरासत को पुनः जीवित करना। इस परियोजना में जनजीवन के हर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व था। इसे व्यावसायिक ढंग से संगठित किया गया। इस परियोजना में प्रमुख जोर बड़े पैमाने पर जल संचयन, वानिकी,

जल-मल निकासी और परिशोधन तथा ठोस कचरे के प्रबंधन पर था। बड़े पैमाने पर वर्षा जल संचयन के लिए उन्होंने कोयंबतूर के 9 में से 5 प्रमुख जलाशयों को मानक रूप दे दिया है। जलाशयों की गाद निकाल कर उनके टटबंधों पर 600 पौधे लगाए गए हैं और उनकी देख-रेख की जा रही है। 2005 के अंत तक उन्होंने 15 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है जिसमें बराबर प्रगति हो रही है। अध्ययन से पता चला है कि वहां शहर से रोजाना एक करोड़ लीटर जल-मल की निकासी होती है। जल-मल परिशोधन के लिए 1 करोड़ लीटर प्रतिदिन की क्षमता वाला संयंत्र आजमाइशी परियोजना के तौर पर लगाया जा रहा है। इससे साफ किया गया पानी किसानों और उद्योगों को दिया जाएगा जिससे राजस्व मिलेगा। नगर के एक बड़े जलाशय से 2,600 घनमीटर कचरा और मलवा निकाला जा चुका है। इस उदाहरण का अनुसरण देशभर में किया जा सकता है।

पेरियार पुरा- गांवों का कायाकल्प

हाल ही में मैं पेरियार मणिअम्मि महिला प्राद्यौगिकी महाविद्यालय गया था जहां मैंने पुरा (ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं प्रदान करना) परिसर का उद्घाटन किया। इसके अंतर्गत तमिलनाडु के तंजौर जिले में वल्लभ के पास के 65 से ज्यादा गांवों का कायाकल्प करके उन्हें पुरा समूह का रूप दे दिया गया है। वहां एक मुद्रिका मार्ग बनाया गया है। प्रमुख गांवों को जोड़ने वाली अन्य सड़कों का निर्माण किया गया है और उन पर बस परिवहन की व्यवस्था की गई है।

उन्होंने सभी गांवों के लोगों को पीने और सिंचाई के लिए पानी देने की नई तरह की जल प्रबंधन स्कीमें बनाई हैं। सभी 65 पेरियार पुरा गांवों में सिंचाई के लिए बारिश से मिलने वाले पानी का ही इस्तेमाल किया जा रहा है। उस इलाके में बारिश कम होने के कारण लोगों को सिंचाई के लिए ही नहीं, बल्कि पीने के लिए भी पानी की किललत का सामना करना पड़ता था। इसे ध्यान में रखते हुए पेरियार पुरा जलाशयों और 5 चेक बांधों का

निर्माण कराया जाएगा। इनमें हर वर्ष 2.7 लाख घनमीटर वर्षा जल संग्रहित किया जा सकेगा। इस पानी से इलाके के कुंओं के जलस्तर को बनाए रख कर 300 एकड़ जमीन की सिंचाई में सहायता मिलती है। इसी से लोगों को पीने का पानी भी सप्लाई किया जाता है। पेरियार पुरा योजना ने कंटूर भूमि, जल संरक्षण के लिए प्राकृतिक जलधाराओं पर बांध बनाने के जरिए सिंचाई का आदर्श उपस्थिति किया है। इस कार्यक्रम से 5,000 से ज्यादा किसान लाभान्वित हुए हैं। पुरा परिसरों में जल प्रबंधन के लिए यह एक उपयोगी उदाहरण सिद्ध होगा।


निष्कर्ष

अगले कुछ दशकों बाद हमारी धरती पर पानी की जबर्दस्त किललत महसूस की जाएगी। भारत में अभी से कार्योन्मुख योजनाएं बनाई जानी चाहिए जिनके जरिए स्थिति बिंगड़ने से पहले ही समाधान की दिशा में काम किया जाए। हमारे लिए जरूरी होगा कि हमारा जल मिशन हो जिसमें नदियों को आपस में जोड़ने, जल संचयन, पानी के पुनर्प्रयोग और कुछ क्षेत्रों में सौरऊर्जा की सहायता से समुद्र के खारे पानी को पीने लायक बनाने की बातों को शामिल किया जाए।

मैं इस सम्मेलन के लिए निम्नलिखित बातों वाली एक सात-सूत्री कार्ययोजना का सुझाव दे रहा हूं:

- (क) ऐसी योजना की सिफारिश करें जिसमें देश के हर नागरिक के लिए 25 किलोलीटर पानी प्रतिवर्ष उपलब्ध कराने की व्यवस्था हो।
- (ख) इन स्कीमों में 2020 तक हर वर्ष 40 करोड़ टन अनाज पैदा करने के लिए जरूरी सिंचाई के लिए पानी भी उपलब्ध कराने पर मुद्रा शामिल किया जाए। साथ ही, यह भी सुझाव है कि कृषि वैज्ञानिक इक्रीसैट जैसे बीजों वाली उन्नत फसलों का विकास करें जिनमें पानी की जरूरत कम से कम हो।
- (ग) जो स्कीमें अपनाई जाएं उनमें यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई राज्य बाढ़ या सूखे का प्रकोप झलने को मजबूर न हो।
- (घ) जल संचयन हर इमारत के लिए अनिवार्य बना दिया जाए। इसके बारे में जरूरी कानूनी व्यवस्थाएं की जाएं।
- (ड.) सभी इमारतों, खासतौर से होटलों और ज्यादा पानी की खपत वाले उद्योगों के लिए गंदे पानी को साफ करने को अनिवार्य बनाने के लिए उपयुक्त कानूनी उपायों की सिफारिश करें।
- (च) जल संसाधनों को एक दूसरे से जोड़ने के मिशन में पुनर्वास और पर्यावरण सुधार पर आने वाले खर्च को योजना का अंग माना जाए। साथ ही प्रभावित लोगों की सहायता के लिए जनहितेषी सुशासन व्यवस्था लाई जाए।
- (छ) नदियों को जोड़ने की अनेक स्कीमें हैं। जल संसाधन मंत्रालय को इन सब के लिए उत्तम पक्षों को समेकित करके एक उपयुक्त लागत प्रभावी परियोजना रिपोर्ट तैयार करनी चाहिए। कुल मिला कर, नदियों को आपस में जोड़ने की परियोजना को एक मिशन का रूप दिया जाना चाहिए। □

(राष्ट्रीय जल सम्मेलन में 11 मई, 2005 को डा. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम के उद्घाटन मार्ग के संपादित अंश)



IAS/PCS

आरोहा

(हिन्दी माध्यम)

“आपके सपनों से मंजिल तक”

उपलब्ध विषय :-

भूगोल (प्रा०+मु०) : राजीव सौमित्र

दर्शनशास्त्र (मु०) : डा० ए० के० मिश्र

संस्कृत साहित्य : ललित मण्डल

इतिहास(प्रा० मु०) : D.U. के प्रख्यात प्रोफेसर एवं डा० ए० के मिश्र

सामान्य अध्ययन : संस्थान के विशेषज्ञों-द्वारा

साक्षात्कार : वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी व संबंधित विशेषज्ञों द्वारा

UPSC जैसी प्रतिष्ठित परीक्षा में शामिल हो रहे छात्र/छात्राओं को निश्चित रूप से एक ऐसी चुनौती मिलती है जिसे लगन, मेहनत, समर्पण व इच्छा शक्ति से ही पूरा किया जा सकता है। देश के दूर-दराज इलाकों से आने वाले छात्रों की एक बड़ी समस्या उच्चत वातावरण, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण व मार्गदर्शन का न मिल पाना है। लिहाजा छात्र/छात्राओं को अपना कीमती समय भटकाकर में गुजारना पड़ता है। मध्यम आय वर्ग व कमज़ोर अर्थीक पृष्ठभूमि से आने वाले छात्र/छात्रा, फीस की एक मांटी रकम देने में सक्षम नहीं होते। इसी के महेनजर कम फीस में ही हमारा संस्थान एक बहतर शिक्षण व कुशल मार्गदर्शन की व्यवस्था करता है। इसीलिए हमारी सफलता दर शत-प्रतिशत है।

विशेष आकर्षण:

सिविल सेवा के अभ्यर्थियों विशेषकर हिन्दी माध्यम के समक्ष प्रमुख समस्या वैकल्पिक विषय के चयन, पुनः उसकी तैयारी के तौर-तरीकों की होती है। विषय का सही चयन (विशेषकर दूसरा वैकल्पिक विषय) न कर पाना ही सफलता में सबसे बड़ी बाधा है। अतः यहाँ के विशेषज्ञ (यदा-कदा प्रशासनिक अधिकारी भी) द्वारा अर्थर्थियों की पृष्ठभूमि एवं रुचि को ध्यान में रखते हुए मार्गदर्शन दिया जाता है।

संस्थान के सलाहकार मदस्य :

अजीत कुमार (IAS अधिकारी), एस० डी० तिवारी (PCS अधिकारी) उमाकांत तिवारी (PCS अधिकारी), प्रदीप कुमार, असीम कुमार (DSP)

◆ छात्र एवं छात्राओं के रहने की अलग-अलग व्यवस्था।

◆ पत्राचार कोर्स उपलब्ध।

■■■ नया सत्र 9 जून एवं 28 जून से प्रारंभ।

■■■ विशेष जानकारी व मार्गदर्शन के लिए दूरभाष या कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर सम्पर्क करें।

204, IIInd Floor, A-23-24, Satija House, Commercial Complex (Near Batra Cinema)

Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-110009

Tel. :(Off.) 011-27652362, (Mob.) 0-9868259370

जल : प्रथम और अंतिम सार्वजनिक संपदा

○ वंदना शिवा

जल संकट व्यापारिक कारणों से उत्पन्न एक पारिस्थितिकीय संकट है जिसका कोई बाजारनिष्ठ समाधान नहीं है। बाजारनिष्ठ समाधान धरती को बर्बाद करते हैं और असमानता को बढ़ावा देते हैं। जल संकट को खत्म करने के लिए पारिस्थितिकीय लोकतंत्र को नई जिंदगी की आवश्यकता है

जल के दो आयाम बेहद विवादित हैं— जल की सार्वजनिकता का आयाम और जल के वस्तु होने का आयाम।

जल एक सार्वजनिक संपदा

जल एक सार्वजनिक संपदा है क्योंकि यह जीवन का पारिस्थितिकीय आधार है और इसकी उपलब्धता और साम्यक आवंटन सामुदायिक सहयोग पर आधारित है। हालांकि समस्त मानव इतिहास की विभिन्न संस्कृतियों में जल-प्रबंधन सार्वजनिक है और हालांकि ज्यादातर समुदायों ने जल-संसाधनों का प्रबंधन संयुक्त संपदा की तरह किया या आज भी, पानी तक पहुंच, सार्वजनिक संपदा की तरह है लेकिन जल संसाधनों के निजीकरण की मांग जोर पकड़ रही है।

अंग्रेजों के आने से पहले, दक्षिण भारत के समुदाय जल-व्यवस्था का संयुक्त प्रबंधन, कुटीमरामथ/ (स्वयं-मरम्मत) नामक प्रणाली के माध्यम से करते थे। अठारहवीं शताब्दी में ईस्ट इंडिया कंपनी के निगमित शासन के प्रादुर्भाव से पहले, एक किसान कमाए गए अन्न की अपनी 1,000 इकाइयों में से 300 का भुगतान सार्वजनिक निधि को करता था और इन में से 250 का सार्वजनिक संपदा और लोक निर्माण के रखरखाव के लिए गांव में इस्तेमाल होता था। 1830 तक, किसानों का भुगतान बढ़कर 650 इकाइयां हो गई जिनमें

से 590 इकाइयां सीधे ईस्ट इंडिया कंपनी को चली जाती थीं। बढ़े भुगतानों और रखरखाव-राजस्व के नुकसान से किसान और सार्वजनिक संपदा बर्बाद हो गई। परिणामस्वरूप, भारत में सदियों पुराने 3,00,000 तालाब और जलस्रोत नष्ट हो गए जिससे कृषि उत्पादन और आय प्रभावित हुई।

1857 के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी को बाहर खदेढ़ दिया गया। 1858 में अंग्रेजों द्वारा मद्रास आवश्यक श्रम अधिनियम पारित किया गया जिसे आमजन ने 'कुटीमरामथ' अधिनियम के रूप में जाना। इससे जल और सिंचाई की व्यवस्था के रखरखाव के लिए किसानों हेतु

श्रमदान करना जरूरी कर दिया गया। क्योंकि कुटीमरामथ बाध्यता नहीं बल्कि स्वप्रबंधन पर आधारित था। अतः यह अधिनियम सामुदायिक हिस्सेदारी जुटाने और सार्वजनिक संपदा के पुनर्निर्माण में विफल रहा।

स्वप्रबंधित, स्वनियमित समुदाय मात्र ऐतिहासिक वास्तविकता नहीं है बल्कि समकालीन तथ्य भी है। राजकीय हस्तक्षेप और निजीकरण इन्हें पूरी तरह से समाप्त नहीं कर सका। सात राज्यों के सूखे उष्णकटिबंधीय जिलों के राष्ट्रीय स्तर के सर्वेक्षण में एन.एस. जोधा ने पाया कि भारत में गरीबों की सबसे मूलभूत-ईधन और चारों की जरूरतें सार्वजनिक संपदा संसाधनों से ही पूरी होती हैं। संवेदनशील थार रेगिस्टान में जोधा ने सार्वजनिक संपदा के अध्ययन में पाया कि ग्राम-समुदाय परिषद आज भी चराई-अधिकार के फैसले करती है, संस्थागत नियम कायदे द्वारा चराई-अधिकारों का निर्णय होता है, चराई अवधि का निर्धारण, चराई की बारी तय करना, चरने वाले जानवरों की संख्या और प्रकार, गोबर और ईधन की लकड़ी जुटाने संबंधी अधिकार और हरे चारों के लिए पेड़ काटने के नियम भी ग्राम परिषद बनाती है। ग्राम परिषद अपना चौकीदार भी नियुक्त करती है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि समुदाय का कोई सदस्य या कोई बाहरी व्यक्ति नियम न



तोड़े। कुएं व तालाब के रखरखाव के लिए भी नियम बने हुए हैं।

जल की सार्वजनिकता का विचार, पीढ़ी-दर-पीढ़ी चली जिससे कमी की दशा में, जल-प्रबंधन की दीर्घकालीन व्यवस्था विकसित हुई। संरक्षण और सामुदायिक निर्माण के लिए जल संसाधन में प्राथमिक निवेश, श्रमदान था। गांधी शांति फाउंडेशन के अनुपम मिश्र के अनुसार :

‘पलार’ यानि बारिश की बूंद इकट्ठा करने के तरीके बादल और बूंदों जितने ही असीमित हैं। समुद्र की तरह ही कोई बर्तन बूंद-बूंद करके भरता है। यह सुंदर पाठ किसी पाठ्य पुस्तक में नहीं मिलेगा। बल्कि यह हमारे समाज की यादाशत में मौजूद है। इसी यादाशत से हमारी मौखिक परंपरागत श्रुति आरंभ हुई।

इस विशाल कार्य के लिए राजस्थान के लोग, केंद्र या सरकार या निजी क्षेत्र के भरोसे नहीं रहे। लोगों ने स्वयं ही प्रत्येक गांव के प्रत्येक घर में इस ढांचे को तैयार किया, देखरेख की और उन्हें आगे विकसित भी किया।

स्थानीय प्रबंधन पर आधारित यही परंपरागत जल व्यवस्था गुजरात के सूखा-प्रवण क्षेत्रों में भी पानी की कमी के विरुद्ध बीमा है। स्थानीय संस्थाएं और मुख्य रूप से ग्रामीण समुदाय इस व्यवस्था का प्रबंधन करते हैं। बाढ़, सूखा और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से राजा भी मदद करता था। अतः केंद्रीय सत्ता की भूमिका मुख्यतः आपदा-नियंत्रण में रही है। किसान संगठन, स्थानीय सिंचाई पदाधिकारी, ग्रामीण जल संगठन और प्रत्येक परिवार के अंशदान से चलने वाली श्रम-व्यवस्था जल-प्रबंधन में शामिल स्थानीय संस्थाएं थीं।

एक जमाने में, भारत में जलाशय के निर्माण और देखरेख के लिए कृषक संगठनों की व्यवस्था बेहद विशाल थी। कर्नाटक और महाराष्ट्र में इन संगठनों को ‘पंचायत’ के नाम से जाना जाता था। तमिलनाडु में इन्हें नट्टामाई, कर्वई मनियम, नीर मनियम, ओपीडि संगम या ऐरि वरियम (तालाब समिति) कहते थे। पोखर और तालाब अक्सर एक से ज्यादा गांव

की सहायता करते थे और ऐसी स्थिति में प्रत्येक गांव के प्रतिनिधि या कृषक संगठन लोकतांत्रिक नियंत्रण रखते थे।

यह समितियां और संगठन उपभोक्ता से शुल्क और कर एकत्रित कर सकते थे। जलकार्य पर ज्यादा पूँजी खर्च होने पर, भूदान भी किया जाता था।

ग्राम जल व्यवस्था में सिंचाई व्यवस्था की रोजाना देखरेख के लिए सिंचाई अधिकारियों की आवश्यकता पड़ती थी। हिमालय में, जहां ‘कुहल’ सामुदायिक सिंचाई जल्हरतों की देखभाल करते थे, सिंचाई प्रबंधक ‘कोहली’ कहलाए।

महाराष्ट्र में वे पटकारी, हवलदार और जोगालय नामों से जाने गए। कर्नाटक और तमिलनाडु में उन्हें निंकटी, निंगन्ति, निंपथची, निशनिक्कन्स और कामकुकाट्टी, नामों से जाना गया।

तटस्थता सुनिश्चित करने के लिए निंकटी भूमिहीन जाति से हरिजन चुने गए जिन्हें जातिसमूह और जमीदारों से स्वायत्तता प्रदान की गई। केवल हरिजन ही तालाब के द्वार खोल व बंद कर सकते थे। एक बार किसानों के द्वारा जलवितरण के नियम बना दिए जाने पर कोई किसान इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता था और जो करता था, उस पर जुर्माना लगता था। आर्थिक रूप से शक्तिशाली लोगों से संगठन का यह बचाव ही जल-लोकतंत्र सुनिश्चित करता था।

मुआवजा व्यक्ति द्वारा किए गए स्व-श्रम निवेश पर आधारित होता था और पूँजी या दूसरों का श्रम इसका विकल्प नहीं हो सकता था। दक्षिण भारत में, ‘कुडीमरामथ’ नाम से मशहूर ग्राम जल व्यवस्था के निर्माण और देखरेख में सामूहिक श्रमनिवेश मुख्य निवेश था। नहरों की सफाई और रखरखाव में प्रत्येक सक्षम व्यक्ति का मदद करना जरूरी था। निंकटी द्वारा भी किसानों को नहरों की आपूर्ति व्यवस्था साफ करने के लिए बुलाया जाता था। प्राचीन आर्थिक शोध प्रबंध पुस्तक अर्थशास्त्र में किसी भी तरह के सहकारी निर्माण से दोषियों के लिए विशेष सजा का

प्रावधान था। दोषी लोगों से उम्मीद की जाती थी कि वे बिना किसी फायदे की उम्मीद के, अपने नौकरों व बैलों को काम निपटाने भेजें और खर्चे में हिस्सा दें।

ब्रिटिश राज के दौरान सरकार के जल-संसाधनों का नियंत्रण ले लेने से स्व-प्रबंधन व्यवस्था को आघात पहुंचा।

बोरवेल और ट्यूबवेल ने किसानों को व्यक्तिगत पूँजी पर आश्रित कर दिया जिससे सामुदायिक स्वामित्व को और अधिक धक्का पहुंचा। राज्य के हस्तक्षेप से सामूहिक जलाधिकार महत्वहीन हो गए और संसाधन-नियंत्रण बाहरी संस्थाओं को हस्तांतरित हो गया। राजस्व अब स्थानीय मूल ढांचे में पुनर्निवेशित होने के बजाय सरकारी विभाग को जाने लगा।

सामुदायिक अधिकार पारिस्थितिकी और लोकतंत्र, दोनों के लिए जरूरी है। दूरस्थ और बाहरी एजेंसियों के द्वारा दफतरशाही नियंत्रण और व्यावसायिक हितों व कार्पोरेशन द्वारा बाजारगत नियंत्रण से संरक्षण हतोत्साहित होता है। यदि केवल नौकरशाही या व्यावसायिक बाहरी एजेंसियां उनके प्रयासों और संसाधनों से फायदा उठाएं तो स्थानीय समुदाय जल-संरक्षण या जल व्यवस्था की देखरेख नहीं करते।

मुक्त बाजार स्थितियों के तहत बढ़े दामों से संरक्षण नहीं होता। बेहद आर्थिक असमानताओं को देखते हुए ज्यादा संभावना है कि आर्थिक रूप से शक्तिशाली लोग पानी बर्बाद करेंगे जबकि गरीबों को उसका दाम चुकाना पड़ेगा।

सामुदायिक अधिकार लोकतंत्र का हिस्सा हैं जो राज्य और व्यापारिक हितों को जवाबदेह बनाते हैं और विकेंद्रित लोकतंत्र के रूप में लोगों के जल अधिकारों की रक्षा करते हैं। जल बस्तु है

सभी मानते हैं कि विश्व के समक्ष गंभीर जल संकट है। जल-बहुल क्षेत्र जल-विरल हो गए हैं और जल-विरल क्षेत्रों के सामने सूखे की स्थिति है। लेकिन जल संकट के कारण स्पष्टीकरण के रूप में दो विरोधाभासी

आयाम हैं। एक बाजार का आयाम है तो दूसरा पारिस्थितिकीय आयाम है। बाजार का आयाम जलविरलता को जल व्यापार की अनुपस्थिति से उत्पन्न संकट मानता है। यदि मुक्त बाजार के माध्यम से जल का संचार और मुक्त वितरण हो सके तो उसे विरलता के क्षेत्रों में स्थानांतरित किया जा सकता है और ऊंचे दाम होंगे तो उसका संरक्षण होगा। जैसा कि एडीसन और स्नाइडर का कहना है, “दाम ऊंचे होने पर लोग बर्बादी कम करते हैं और अपनी इच्छा पूरी करने के लिए वैकल्पिक उपाय ढूँढ़ते हैं। पानी इसका अपवाद नहीं है।”

जलचक्र की पारिस्थितिकीय सीमाओं और गरीबी द्वारा तय की गई आर्थिक सीमाओं को बाजारनिष्ठ अवधारणाएं नहीं मानतीं। जल के अत्यधिक दोहन और जलचक्र के विदारण से अत्यधिक जलविरलता पैदा होती है। इसकी कोई भरपाई नहीं है। वास्तव में, वस्तुकरण की अवधारणा वैकल्पिकता के तर्क पर

आधारित है। ऐसे अवास्तविक तर्क सबसे महत्वपूर्ण बिंदु को ही छोड़ देते हैं कि जब जल ही गायब हो जाएगा तब क्या विकल्प होगा? उदाहरण के लिए हर्ष लीफी और उनके सहयोगी कहते हैं:

इस बात से इंकार नहीं है कि एक वस्तु की तरह पानी के अपने विशिष्ट गुण हैं, उदाहरण के लिए प्रकृति उसकी आपूर्ति आंशिक रूप से भंडार और प्रवाह के रूप में करती है और कुछ जगह बिना किसी कीमत के यह उपलब्ध है। लेकिन कहीं और ले जाने के लिए यह महंगा ही है। हम कोई भी वजह दें लेकिन विश्लेषण करने पर पानी का तथाकथित विलक्षण महत्व गायब हो जाता है।

ऐसे अवास्तविक तर्क सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा ही छोड़ देते हैं कि जब जल ही गायब हो जाएगा, तब कोई विकल्प नहीं होगा। अविकसित देशों में रहने वाली तीसरी दुनिया की औरतों के लिए जल विरलता का मतलब

जल की खोज में ज्यादा दूर तक जाना है। किसानों के लिए इसका मतलब भुखमरी और असहाय होना है क्योंकि सूखा उनकी फसल नष्ट कर देता है। बच्चों के लिए इसका मतलब निर्जलीकरण और मौत है। दरअसल, जानवरों और पौधों के जैविक अस्तित्व के लिए जरूरी इस अनमोल द्रव्य का कोई विकल्प है ही नहीं।

जल संकट, व्यापारिक कारणों से उत्पन्न एक पारिस्थितिकीय संकट है जिसका कोई बाजारनिष्ठ उपाय नहीं है। बाजारनिष्ठ उपाय धरती को बर्बाद करते हैं और असमानता को बढ़ाते हैं।

पारिस्थितिकीय संकट का उपाय भी पारिस्थितिकीय है और और अन्याय का उपाय लोकतंत्र है। जल-संकट के अंत के लिए पारिस्थितिकीय लोकतंत्र की आवश्यकता है। □

(लेखिका रिसर्च फाउंडेशन फॉर साइंस, टेक्नोलॉजी एवं इकोलॉजी, नई दिल्ली की निदेशक हैं)

पानी के साथ-साथ खेल भी

○ मधु आर. शेखर

अपनी प्यास बुझाने के लिए पीने के साफ पानी की सुविधा से वंचित लाखों लोग नलकूपों से पानी खींचते हैं। ये नलकूप अब बच्चों के लिए एक खुशनुमा का सवारी खेल बन गए हैं। माता-पिता अब अपने बच्चों को बहला-फुसला कर ‘मेरी गो राडंड’ पर जाकर खेलने के लिए प्रोत्साहित करते हैं ताकि उन्हें पानी मिल सके। ब्रिटेन के बर्मिंघम में जन्मे ट्रेवर फील्ड नामक एक व्यक्ति ने, जो इस समय दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में रह रहा है, ऐसा नायाब घुमावदार यंत्र डिजाइन किया है जिसे खेल-खेल में जब बच्चे धकेलते हैं तो इससे पंप चलने लगता है। पंप को इतनी ऊर्जा मिलती है कि वह 300 फुट गहराई से भी पानी खींच लेता है।

ट्रेवर फील्ड की इस खोज की नेल्सन मंडेला और विश्व बैंक ने भी सराहना की है।

इस देसी तकनीक से अफ्रीका में सभी गांवों में पानी की कमी की समस्या हल हो सकती है।

विश्व की आधी आबादी को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध नहीं है। इसलिए यह जादूभरा खेल चक्र समूचे दुनिया के लिए आश्चर्य से भरी खोज है। इससे संयुक्त राष्ट्र के प्रयासों को मजबूती मिलेगी, जिसने इस गंभीर स्थिति में बदलाव लाने का संकल्प लेते हुए अगले 10 वर्षों को ‘जीवन के लिए जल दशक’ घोषित किया है। लंदन स्थित एक चैरिटी संगठन ‘वाटर एड’ के आंकड़ों के अनुसार पानी से जुड़ी निवार्य बीमारियों के कारण हर 15 सेकेंड में एक बच्चा मृत्यु का शिकार हो जाता है।

बच्चे जब खेल में मस्त होते हैं तब इस दौरान पंप से 2,500 लीटर की क्षमता वाला टैंक दिन में दो बार भरा जा सकता है। छेद को पूरी तरह ढक दिया जाता है ताकि पशु

पानी को गंदा न कर पाएं।

स्थापना और रखरखाव के खर्चे में कमी लाने के उद्देश्य से फील्ड वाटर टैंकों पर विज्ञापनों का सहारा ले रहे हैं। प्रत्येक पंप की स्थापना और 15 वर्षों तक उसके रखरखाव पर करीब 5,000 अमरीकी डॉलर खर्च आता है। उसकी कंपनी लोगों को इसकी मरम्मत का काम सिखाती है जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्राप्त हो रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका में ऐसे करीब 650 पंप स्थापित किए जा चुके हैं जिनसे 10 लाख से ज्यादा लोग स्वच्छ पेयजल प्राप्त कर रहे हैं। स्वीसिलैंड, मोजाम्बिक, जाम्बिया और युगांडा जैसे अन्य देश भी इस तरह के जादूभरे पंप अपने यहां स्थापित करने की योजना बना रहे हैं। □

(लेखक योजना अंग्रेजी के सहायक संपादक हैं)



एक ऐसी संस्था जो कम समय में ही अपने इंग्रीजी टीम द्वारा सफलता का पर्याय बना

सा० अध्ययन	→ आर० कुमार एवं टीम (दिल्ली)
इतिहास	→ नीरज श्रीवास्तव
समाजशास्त्र	→ डा० एस०आर० सिंह (दिल्ली)
राजनीति विज्ञान	→ राजीव रंजन मिश्रा एवं धर्मेन्द्र चौबे
दर्शनशास्त्र	→ कौशलेन्द्र तिवारी (K. Tiwari)

निःशुल्क कार्यशाला
11 जून 9 बजे

सा० अध्ययन

निःशुल्क कार्यशाला
15 जून सायं 5 बजे

इतिहास

निःशुल्क कार्यशाला
16 जून सायं 5 बजे

समाज शास्त्र

निःशुल्क कार्यशाला
17 जून सुबह 9 बजे

राजनीति शास्त्र

निःशुल्क कार्यशाला
17 जून सायं 4.30 बजे

दर्शनशास्त्र

- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी
- भारतीय अर्थव्यवस्था
- भारतीय राज्यव्यवस्था
- भारतीय इतिहास
एवं राष्ट्रीय आन्दोलन

R. Kumar

भारत एवं विश्व (भूगोल)

A. Shekhar
(BPSC 1st Topper)

मानसिक योग्यता एवं सांख्यिकी
समसामयिकी एवं अन्तर्राष्ट्रीय
घटनाक्रम एवं सामाजिक मुद्दे

K. Tiwari

आवासीय सुविधा एवं पत्राचार प्रारूपक्रम उपलब्ध है।

MIMANSA IAS Academy

74ई, लाउदर रोड, मेडिकल चौराहा (निकट जैन अस्पताल)
इलाहाबाद. फोन : 09335150414, 09335142369, 09415212970

प्रवेश प्रारम्भ नामांकन जारी

जल संकट

○ पार्थ जे. शाह
एच.बी. सौम्या

**विकेंद्रीकृत आपूर्ति, तर्कसंगत तथा लक्षित जल सबसिडी सहित स्पष्ट एवं
बाध्यकारी जल प्रयोक्ता अधिकार ही सर्वाधिक उपयुक्त तथा वहनीय
समाधान है**

क्या हमारे पास भविष्य के लिए पर्याप्त पानी है? भारत दुनिया के सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में शुमार होता है। यहां हर वर्ष लगभग 40 खरब क्यूबिक मीटर वर्षा का जल प्राप्त होता है। लेकिन उपलब्ध जल का बमुश्किल एक तिहाई ही प्रयोग हो पाता है। पानी की मांग केवल घरेलू उपयोग के लिए ही नहीं, बल्कि औद्योगिक उपभोग और सिंचाई के लिए भी होती है। इसलिए इन तीनों के बीच प्रायः अपने-अपने हिस्से के लिए खाँचतान होती रहती है। भारत के विभिन्न हिस्सों में जल-संघर्ष अब आम बात होती जा रही है।

राष्ट्रीय पर्यावरण नीति, 2004 में नदी जल के अत्यधिक प्रयोग तथा अल्प आपूर्ति को सामने लाया गया है। इसमें ठीक ही कहा गया है कि इस तरह की समस्याओं ने नीतिगत तथा नियामक अव्यवस्थाओं के कारण अपनी जड़ें जमाई हैं। इनमें घरेलू तथा सिंचाई के लिए दर नीति शामिल है जिसकी वजह से पानी का अत्यधिक उपभोग हुआ है। लेकिन रखरखाव कार्यों के लिए पर्याप्त राजस्व की उगाही नहीं हो पा रही है। पर्यावरण नीति में इन समस्याओं का स्पष्टतापूर्वक उल्लेख किया गया है, किंतु इसमें इन समस्याओं का समाधान नहीं है।

जल अधिकार का निर्धारण

इस विडंबना को समझें - पृथ्वी का दो तिहाई हिस्सा पानी है और एक प्रतिशत से भी कम भाग तेल। लेकिन तेल हर जगह प्रचुर मात्रा में, जितनी हम चाहें, उपलब्ध है। दोनों में क्या अंतर है? पानी निःशुल्क है, इसे मुक्त रूप से हासिल किया जा सकता है, जबकि तेल निःशुल्क नहीं है, इस पर मालिकाना हक होता है तथा इसका प्रबंधन किया जाता है।

पर्यावरण संबंधी सभी समस्याओं के मूल में है सार्वजनिकता जिसके अंतर्गत संसाधन सार्वजनिक स्वामित्व में होते हैं तथा सबको निःशुल्क उपलब्ध होते हैं। गैरेट हार्डिन ने 'सार्वजनिक की त्रासदी' का मुहावरा इस्तेमाल किया था। हार्डिन ने तर्क के साथ यह बताया कि पर्यावरण क्षरण की वजह संसाधनों का सार्वजनिक होना है क्योंकि इसमें उनका कोई निश्चित स्वामी नहीं होता और वे निःशुल्क सुलभ होते हैं। चूंकि संसाधन सबके होते हैं, इसलिए वे वस्तुतः किसी के नहीं होते। उनका इस्तेमाल सभी करते हैं लेकिन उनका संरक्षण कोई नहीं करता - इस तथ्य की पूरी जानकारी के बावजूद कि उनके अतिशय उपभोग से भविष्य के लिए कुछ नहीं बचेगा। इसकी वजह यह होती है कि एक व्यक्ति यदि उनका बुद्धिमत्तापूर्ण इस्तेमाल करे तो भी इस बात

की कोई गारंटी नहीं होती कि अन्य व्यक्ति भी वैसा ही आचरण करेंगे, अथवा आगे चलकर उस अच्छे आचरण का कोई प्रतिफल मिलेगा। समस्या के मूल में यही प्रोत्साहन का अभाव है। इसका सरल समाधान यह है कि संसाधन को सार्वजनिक स्वामित्व से हटाकर समुदाय अथवा निजी स्वामित्व के अंतर्गत ले आया जाए।

शताब्दियों के काल प्रवाह में भूमि का स्वामित्व सार्वजनिक से समुदायिक और फिर निजी हाथों में आ गया है। पानी, बन और मत्स्यपालन की देखरेख पारंपरिक रूप से प्रयोक्ता समुदायों द्वारा की जाती थी। इन्हें बाद में राष्ट्रीयकरण कर सार्वजनिक स्वामित्व के अंतर्गत ले आया गया। सार्वजनिक की त्रासदी से बचने के लिए उन्हें वापस समुदाय के नियंत्रण में ले जाया जाना चाहिए।

भूमि की सतह पर मौजूद पानी के मामले में तो यह बदलाव केवल वर्तमान में सरकार द्वारा प्रयुक्त परियोजना आवंटन प्रणाली को और मजबूत बनाकर हासिल किया जा सकता है। आमतौर पर परियोजना अधिकारी नगरपालिका तथा अन्य सरकारी प्राधिकरणों के साथ विभिन्न उद्देश्यों के लिए पानी की निश्चित मात्रा की आपूर्ति के लिए दीर्घावधि करार करते हैं। इस मात्रात्मक आवंटन को

स्वामित्व संरचना			
संसाधन	सार्वजनिक	सामुदायिक	व्यक्तिगत
भूमि			
वन			
जल			
मत्स्यपालन			

→ वास्तविक परिवर्तन

→ अपेक्षित परिवर्तन

कानूनी रूप से प्रवर्तनीय व्यापार योग्य जल अधिकार के आनुपातिक आवंटन में बदला जा सकता है। इसके तहत पानी का स्वामित्व सरकार के अधीन बना रहेगा लेकिन पानी के उपयोग का वैधानिक अधिकार विभिन्न प्रयोक्ताओं के पास होगा। इस दृष्टिकोण से नए दावेदार पैदा नहीं होंगे, बल्कि मौजूदा दावों को मजबूती मिलेगी जिससे दीर्घावधि जल उपयोग योजना तैयार की जा सकेगी।

आपूर्ति एवं मूल्य निर्धारण

जल अधिकार आवंटित किए जाने और वैधानिक रूप से प्रवर्तनीय बनाए जाने के बाद जल प्रयोक्ता संघों को सहकारी तरीके से अथवा प्रसंविदा करके आपूर्ति प्रणाली के प्रचालन और प्रबंधन का दायित्व सौंपा जा सकता है। पानी के तीन बुनियादी प्रयोक्ता होते हैं - घरेलू (ग्रामीण एवं शहरी) औद्योगिक तथा कृषिगत। निम्नलिखित उपाय संबद्ध प्रयोक्ताओं को जल आपूर्ति का वैकल्पिक उपाय बन सकते हैं :

औद्योगिक उपयोग

औद्योगिक इकाइयां आमतौर पर किसी औद्योगिक संपदा अथवा परिसर में अवस्थित होती हैं। जलापूर्ति तथा मूल्य निर्धारण के लिए यह परिसर अपनी निजी आधारभूत सुविधा का निर्माण और रखरखाव करने का निर्णय कर सकता है अथवा किसी निजी कंपनी

के साथ इसके लिए समझौता कर सकता है। औद्योगिक उपयोग के लिए निजी आपूर्ति तथा मूल्य निर्धारण को लेकर किसी के भीतर विवाद नहीं है। फिर ऐसा ही मॉडल अन्य प्रयोक्ताओं के लिए लागू क्यों नहीं किया जा सकता?

कृषिगत उपयोग

भागीदारी सिंचाई प्रबंधन को सिंचाई के पानी के प्रबंधन तथा मूल्य निर्धारण का राष्ट्रीय प्रारूप बनाया जाना चाहिए। इसकी प्रविधि आंध्र प्रदेश ने सुझाई है जिसमें किसान जल प्रयोगकर्ता संघों का गठन करते हैं तथा नहर नेटवर्क के रखरखाव और आपूर्ति जल के लिए शुल्क संग्रहण का कार्य अपने हाथों में ले लेते हैं।

ग्रामीण घरेलू उपयोग

अलवर जिले के गांवों की पानी समितियां अथवा पानी पंचायत (जल प्रबंधन ग्रामसभा, ये पंचायतीराज ग्रामसभा से भिन्न हैं) तथा अखरी नदी के जल-भराव क्षेत्र के गांवों के प्रतिनिधियों के सदस्यों से गठित अंतरग्राम संगठन, 'अखरी संसद' गांवों और गांववासियों के बीच सिंचाई तथा घरेलू उपभोग के लिए जल के इस्तेमाल को विनियमित करने के क्षेत्र में बेहद सक्रिय हैं। उन्होंने पानी के इस्तेमाल की एक नियमावली तैयार की है जो सामाजिक तथा पारंपरिक नियमों से अनुशासित

है और इसमें विवादों के निवारण तथा नियमों का उल्लंघन करने वालों के लिए दंड के प्रावधान भी निर्दिष्ट किए गए हैं।

कस्बाई घरेलू उपयोग

केरल के अनेक छोटे शहरों में जलापूर्ति तथा मूल्य निर्धारण जल प्रयोक्ता सहकारिताओं द्वारा किया जाता है। कोझिकोड जिले में स्थित ओलवन्ना में 25 से ऊपर सहकारी संघ हैं जो पाईप के जरिये घरों में पानी की आपूर्ति का प्रबंधन कर रहे हैं। पंचायत सफलतापूर्वक सुविधाप्रदाता की नई भूमिका का वरण कर चुकी है और इस अग्रगामी परियोजना को वहनीय बनाने तथा प्रोत्साहित करने के लिए नियामक कार्य का निष्पादन कर रही है। पंचायत इन समितियों को पूंजीगत लागत अथवा प्रचालन एवं रखरखाव के लिए कोई कोष नहीं देती। पेयजल कार्यक्रम के समग्र पूंजीगत तथा प्रचालन एवं रखरखाव लागत की भरपाई प्रयोक्ता समुदाय करते हैं। घरेलू जलापूर्ति के लिए इस तरह की ग्रामीण सहकारिताएं सर्वाधिक प्रभावी होती हैं। क्योंकि मुनाफे के लिए काम करने वाली कंपनियों से इस क्षेत्र में कदम रखने की अपेक्षा नहीं की जा सकती।

शहरी घरेलू उपयोग

शहरी क्षेत्रों की बुनियादी समस्या निजीकरण नहीं, बल्कि प्रतिस्पर्धा है। जल आपूर्ति का दायित्व एक अथवा दो निजी कंपनियों के हाथों में सौंप देने के विचार में कोई वास्तविक सारात्म्व नहीं है। सरकार के एकाधिकार को एक अथवा दो कंपनियों के एकाधिकार में बदल देने को सुधार नहीं माना जा सकता। इस तरह के गैर-प्रतिस्पर्धी निजीकरण से हर हाल में बचना चाहिए।

इसका विकल्प यह हो सकता है कि शहर के हरेक वार्ड को जलापूर्ति के लिए किसी सरकारी अथवा निजी कंपनी के साथ करार करने का अधिकार सौंपा जाए। यदि किसी वार्ड को लगता है कि कंपनी अपना करार पूरा नहीं कर रही, तो उसका विकल्प पाना आसान होगा तथा कार्य पड़ोस के वार्ड की कंपनी को सौंपा जा सकेगा।

वार्ड द्वारा जलापूर्ति के लिए समझौते में स्वीकृत दर का भुगतान कर पाने में जो लोग समर्थ नहीं हों, उनकी दो तरीके से मदद की जा सकती है। पहला, प्रत्येक परिवार को निःशुल्क जलापूर्ति की मात्रा का निर्धारण कर उतनी जल की मात्रा का भुगतान सामान्य कर राजस्व से किया जाए। निःशुल्क कोटे से अधिक पानी का उपभोग करने पर उक्त मात्रा का भुगतान प्रत्येक परिवार करेगा। दूसरे, केवल निर्धनों को सबसिडी दी जाए। इसके लिए वार्ड निर्धन परिवारों की पहचान कर उनके पानी के बिल का पूर्णांतरा अथवा एक निर्धारित सीमा तक भुगतान करे।

अधिकारों को परिभाषित करने से विवाद कम होते हैं

वस्तुतः भारत में जल के बंटवारे को लेकर अनेक स्थानों पर व्यावसायिक संगठनों और स्थानीय लोगों के बीच लगातार खींचतान होती रहती है। इसका एक उदाहरण केरल के किसानों और कोक को बोतल बंद करने वाले संयंत्र का विवाद है। अधिकारों का आवंटन कर ऐसे विवादों को निवाया जा सकता है, क्योंकि ऐसा करने से विभिन्न समूहों के निजी दावे स्पष्ट हो जाते हैं और वे वैधानिक रूप से बाध्यकारी तथा प्रवर्तनीय बन जाते हैं।

परियोजना जल आवंटन की तरह स्थायी आवंटन कर अंतरराज्यीय जल बंटवारे की समस्या को सुलझाया जा सकता है। भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता इसका बेहतरीन उदाहरण है कि निश्चित अपरिवर्तनीय जल अधिकार आवंटन तथा उनके दृढ़तापूर्वक पालन से जल का टिकाऊ

और सतत उपयोग हो सकता है। आज जरूरत कुशल तथा आदर्श जल उपयोग के लिए प्रोत्साहन देने के लिए संस्थागत फ्रेमवर्क तैयार करने की है। उचित तरीके से परिभाषित तथा प्रवर्तनीय जल अधिकार प्रणाली से लोगों को उनके दावे की गारंटी के साथ जल के बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग के लिए प्रोत्साहन भी मिलता है। जल आपूर्ति तथा उसके रखरखाव का कार्य जहां तक संभव हो उन्हीं अधिकारधारी लोगों को दिया जाना चाहिए जो उसके वितरण से सीधे-सीधे प्रभावित होते हैं।

दुश्चिन्ताएं दूर करना

पानी का मूल्य निर्धारण न करने का एक कारण यह बताया जाता है कि यह मानव जीवन के लिए अनिवार्य है तथा प्रत्येक व्यक्ति को एक न्यूनतम मात्रा में पानी चाहिए ही। यह सही है कि जीवन के लिए पानी अनिवार्य है, लेकिन अपेक्षित न्यूनतम मात्रा न तो स्थिर होती है न ही उसका कोई ठोस स्वरूप होता है। निम्नलिखित उदाहरण पर गौर करें : 1980 में डेनमार्क में प्रतिव्यक्ति जल का प्रयोग 237.5 क्यूबिक मीटर था जो 1996 में 20 प्रतिशत कम होकर प्रतिव्यक्ति 190 क्यूबिक मीटर ही रह गया था। क्या इसका अभिप्राय यह है कि डेनमार्क वासियों ने नहाना अथवा पानी पीना कम कर दिया? चूंकि उन्हें प्रयुक्त जल के बदले में भुगतान करना होता है, इसलिए उन्होंने पानी बचाने के तरीके और तकनीक ढूँढ़ लिए, अपने आचार-व्यवहार में परिवर्तन कर लिया। परिणाम यह हुआ कि पानी का कुल उपभोग कम हो गया है।

लोग यह आशंका व्यक्त करते हैं कि पानी की कीमत तय कर देना उसका निजीकरण करना है। उल्लेखनीय है कि परियोजना आवंटन पर आधारित हमारा प्रस्तावित दृष्टिकोण किसी निजी कंपनी को कई किलोमीटर तक नदी पट्टे पर दे देने की उभर रही प्रवृत्ति से काफी अलग है। इस तरह के निजीकरण का खुलकर विरोध किया जाना चाहिए। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, परियोजना आवंटन से किसी को पानी का स्वामित्व नहीं मिल जाता। पानी का रखवाला राज्य होता है। इस दृष्टिकोण से पानी के उपयोगकर्ताओं को उनके मौजूदा दावों को वैधानिक स्वीकृति प्रदान करते हुए जल अधिकार दे दिया जाएगा। इससे पानी के बंटवारे को लेकर होने वाले विवाद कम होंगे, विवादों के निबटान का एक उपकरण उपलब्ध रहेगा, जल संरक्षण के लिए प्रोत्साहन मिलेगा तथा आवश्यक होने पर अन्य उपयोगकर्ताओं के साथ इसका व्यापार किया जा सकेगा।

एक प्रमुख चिंता शहरी क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति तथा वितरण प्रणाली के निजीकरण को लेकर है। इस चर्चा के केंद्र में दिल्ली जल बोर्ड आ जाएगा जो पानी के मीटर की आपूर्ति, लगाने और रखरखाव को निजी हाथों में देने की योजना बना रहा है। मुंबई में 'के' पूर्वी वार्ड पानी की पूर्ण निजी आपूर्ति तथा प्रभार लगाने की ओर बढ़ रहा है। दिल्ली जल बोर्ड की समूची दिल्ली में पानी के मीटर की आपूर्ति के लिए दो कंपनियों से समझौता करने की योजना है। दिल्ली विद्युत बोर्ड की तरह ही यह निजीकरण भी अधिकरण है। इस

	सिंचाई	औद्योगिक	ग्रामीण घरेलू	शहरी घरेलू
उपयोग अधिकार/ परियोजना आवंटन	किसान	औद्योगिक समूह	ग्रामीण	नगरीय निकाय
आपूर्ति	भागीदारी सिंचाई प्रबंधन - जिसमें किसान जल समूहों का गठन कर दर तय करें और रखरखाव करें	औद्योगिक संघ अपने समूह की निजी आपूर्ति सेवा गठित कर सकते हैं अथवा किसी निजी कंपनी से समझौता कर सकते हैं	सामुदायिक सहकारिताएं पानी समिति, पानी पंचायत जैसी ग्रामीण जल प्रयोक्ता समूह का गठन कर सकते हैं	वार्ड समिति अथवा जल प्रयोक्ता संघ

तरह का केंद्रीकृत तथा गैरप्रतियोगी निजीकरण पूर्व की स्थिति से भी खराब होगा।

इसके लिए वार्ड स्तरीय निजीकरण ही बेहतर होगा क्योंकि इसमें शहर के विभिन्न इलाकों की स्थितियों में फर्क का ध्यान रखा जाता है। वार्डों के आधार पर निविदाएं आमंत्रित करने से कंपनियां अपने प्रस्तावित कार्य क्षेत्र में जल की मांग, उसके मूल्य, लागत आदि के बारे में अवगत होने के लिए विवश होती हैं। इससे उनमें न्यूनतम संभव मूल्य पर बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने की प्रतिस्पर्धा बढ़ती है। वार्ड समितियां प्रतिस्पर्धी बोली के आधार पर एक निर्धारित अवधि के लिए समझौता कर सकती हैं। इस समझौते का बेहतर निष्पादन के आधार पर ही नवीकरण किया जा सकता है।

समस्या का सर्वाधिक उपयुक्त और धारणीय समाधान स्पष्ट एवं प्रवर्तनीय जल प्रयोक्ता अधिकार, विकेंद्रित आपूर्ति तथा जल सबसिडियों को तर्कसंगत एवं लक्षित बनाना ही है। गरीब-अमीर सभी परिवारों का अलग-अलग मीटर हो अथवा समूह के रूप

में वार्ड उनका निर्धारण करे। अभी भी अनेक लोगों की धारणा है कि पानी का मीटर लगाना और उनकी रीडिंग करना बड़ा कठिन काम है। वे भूल जाते हैं कि हम हरेक फोन से किए जाने वाले एक-एक फोन कॉल का हिसाब रखते हैं। अगर घर में एक से अधिक टेलीफोन हों, तब भी प्रत्येक फोन का अलग-अलग हिसाब रखा जा सकता है। इसी तरह आज की तकनीक से न केवल प्रत्येक घर के पानी का, बल्कि घर के प्रत्येक नलके से निकले पानी का हिसाब रखा जा सकता है। यह मामला प्रौद्योगिकी का नहीं, सोच के तरीके का है।

तमाम हाय-तौबा तथा विचार-विमर्श के बावजूद पानी के मूल्य निर्धारण का मतलब यह नहीं है कि निर्धनों को कम पानी मिलेगा। वस्तुतः अनेक सर्वेक्षणों से पता चलता है कि निःशुल्क जल की वर्तमान नीति में गरीबों को अमीरों के मुकाबले पानी का अधिक मूल्य चुकाना पड़ता है। यूएनडीपी-विश्व बैंक डब्ल्यूएसपी की 1999 की एक रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि गरीब पानी का 20 प्रतिशत अधिक मूल्य चुकाते हैं। सार्वजनिक कृषि से

कभी भी खाद्य सुरक्षा नहीं मिल पाई सार्वजनिक जल भी उतना ही आपदामय है। आंकड़ों के आधार पर सोचने वाले चिंतक यह बेहतर तरीके से बता पाएंगे कि अतीत में समुदायों ने इन संसाधनों का किस तरह प्रबंधन किया और मौका मिलने पर आज भी वे कैसे इनका प्रबंधन करते हैं।

समग्रतः पानी का स्वामित्व राज्य के हाथ में हो सकता है, लेकिन प्रयोक्ता अधिकारों को स्पष्ट शब्दों में परिभाषित करना आवश्यक है। जलापूर्ति का बेहतर प्रबंधन जल प्रयोक्ता समूहों तथा भागीदारी सिंचाई प्रबंधन जैसी सामुदायिक पहलों के द्वारा ही हो सकता है। इन पहलों से पानी का बेहतर उपयोग तथा मूल्य निर्धारण हो पाता है और गरीबों को समुचित सबसिडी भी मिल पाती है। हमारी जल संबंधी चिंताओं के समाधान के लिए परियोजना आवंटन को मजबूती दे जल प्रयोक्ता अधिकार को परिभाषित करना तथा जलापूर्ति व्यवस्था को विकेंद्रित करना अनिवार्य है। □

(लेखकद्वय सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी, नई दिल्ली से संबद्ध हैं)

RAO IAS

THE MOST POPULAR INSTITUTE FOR IAS AND PCS

14/1, स्टैनली रोड, (लोक सेवा आयोग के सामने), इलाहाबाद फोन: 2601624
पत्राचार कोर्स एवं क्लास कोचिंग, छात्रावास उपलब्ध

हिन्दी माध्यम

IAS/PCS (Pre & Main) बैच 21 जून से
भूगोल विजय कुमार मिश्र

वैकल्पिक विषय (Pre & Main) द्वारा

- नवीनतम परीक्षा प्रणाली के अनुसार विषय की तैयारी
- प्रतिदिन होमवर्क तथा उनका सूक्ष्मता से परीक्षण
- पॉच महीने का गहन शिक्षण एवं प्रशिक्षण
- सर्वोत्तम शिक्षण परिवेश
- 500 से अधिक मानचित्रों का अभ्यास
- सम्पूर्ण पाठ्यक्रम पर भरपूर अध्ययन सामग्री
- अभ्यास हेतु वस्तुनिष्ठ प्रश्नावलियाँ, नियमित टेस्ट

Now We have no Branch at Dehradoon

विषय उपलब्ध :- सामान्य अध्ययन और निबन्ध, इतिहास, लोक प्रशासन, राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र,
विवरण पुस्तिका हेतु ₹० ५०/- M.O. से भेजें

SAYA

स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता

○ वी.के. दुग्गल

नीति और कार्यक्रमों के अंतर्गत विकास के मुददों पर एक बार फिर से गंभीर रूप से ध्यान केंद्रित किया गया है। इसी तरह ग्रामीण पेयजल आपूर्ति, जल-गुणवत्ता और स्वच्छता को प्राथमिकता दी जा रही है।

नीति और कार्यक्रमों के अंतर्गत विकास के मुददों पर एक बार फिर से गंभीर रूप से ध्यान केंद्रित किया गया है। इसी तरह ग्रामीण पेयजल आपूर्ति, जल-गुणवत्ता और स्वच्छता को प्राथमिकता दी जा रही है। जोहान्सबर्ग में सन् 2002 में सतत विकास के बारे में हुए विश्व सम्मेलन में लक्ष्य निर्धारित किया गया कि वर्ष 2015 तक दुनिया में ऐसे लोगों की संख्या में 50 प्रतिशत कमी लायी जाए, जिनकी पहुंच स्वच्छ पेयजल और बुनियादी स्वच्छता तक नहीं है। भारत की मौजूदा सरकार द्वारा स्वीकृत राष्ट्रीय साझा कार्यक्रम में सबके लिए, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, जल और स्वच्छता सुविधाएं प्रदान करने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। किन्तु जल और स्वच्छता सुविधाएं प्रदान करने की चुनौती वास्तव में अत्यंत विशाल है। स्वच्छता सुविधाओं का विस्तार बहुत कम हुआ है। 2001 की जनगणना के अनुसार 78 प्रतिशत परिवार आज भी ऐसे हैं, जिनके घरों में शौचालय नहीं हैं। हालांकि 95 प्रतिशत ग्रामीण बस्तियों में जलापूर्ति की व्यवस्था की जा चुकी है, परंतु उनमें से ज्यादातर को जल गुणवत्ता समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

घरों, स्कूलों और सामुदायिक स्तर पर बुनियादी सुविधाओं का अभाव भारत में शिशु और पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्युदर अधिक होने के महत्वपूर्ण घटकों में

से एक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों से पता चलता है कि करीब 80 प्रतिशत रोग और बीमारियां स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता सुविधाओं के अभाव की वजह से होती हैं। प्रौद्योगिकी मिशन

बीमारियों के बोझ और तत्पश्चात जीविका के अवसर छिन जाने का लोगों पर, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धन लोगों पर, भारी दुष्प्रभाव पड़ता है। इसलिए भारत सरकार ने इस क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है और 1986 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पहल पर बनाए गए पांच प्रौद्योगिकी मिशन शुरू करके इस क्षेत्र को सर्वोच्च वरीयता दी गई है। इस मिशन का नाम बाद में, 1991 में, राजीव गांधी राष्ट्रीय जलापूर्ति मिशन रखा गया। इस मिशन के नेतृत्व में 1986 में केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए पहली बार ढांचागत कार्यक्रम शुरू किया गया।

इस कार्यक्रम से पहले अन्य कार्यक्रम विशेषकर जलापूर्ति संबंधी कार्यक्रम 1972-73 में त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम के माध्यम से चलाए जाते थे। इनके अंतर्गत राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को पेयजल आपूर्ति सुविधाओं के विस्तार में तेजी लाने के लिए आवंटन के आधार पर सहायता दी जाती थी। यह कार्यक्रम 1986 में मिशन का हिस्सा बन गया और आज तक जारी है। मिशन की कार्यप्रणाली के तेजी पकड़ने के साथ ही जल

गुणवत्ता के बारे में मानक और सुरक्षा मानक स्पष्ट रूप से तय किए गए। रासायनिक विषाक्तता के मुददों के हल के लिए मिनी मिशन और उपमिशन शुरू किए गए। इनमें से अनेक सफलतापूर्वक पूरे किए गए हैं।

इस दिशा में एक महत्वपूर्ण पहलू सुधारात्मक सिद्धांतों को अपनाया जाना है। ये सिद्धांत मांग पूरी करने और समुदाय आधारित दृष्टिकोण के अनुसार तय किए गए। इनमें स्थायित्व, परिचालन और रखरखाव में पूर्ण स्वामित्व और जल एवं स्वच्छता कार्यक्रमों में स्थानीय सामुदायिक भागीदारी की आवश्यकता पर बल दिया गया।

1999 में पेयजल आपूर्ति विभाग की स्थापना ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत की गई। इसका उद्देश्य जल और स्वच्छता कार्यक्रमों पर अधिक बल देना था। पेयजल आपूर्ति में देश के 67 जिलों में क्षेत्र सुधार परियोजनाएं प्रायोगिक आधार पर शुरू की गई। बाद में 'स्वजलधारा' कार्यक्रम के अंतर्गत 2002 में इन सुधारों का विस्तार समूचे देश में किया गया। स्वच्छता के क्षेत्र में, केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम को नया रूप देते हुए संपूर्ण स्वच्छता अभियान शुरू किया गया। यह कार्यक्रम 4,416 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ 451 जिलों में चलाया जा रहा है। इसमें सामुदायिक योगदान 812 करोड़ रुपये का है। निचले स्तर के विभिन्न शैक्षिक और तकनीकी संस्थानों को शामिल करते हुए

नियंत्रण और निगरानी के लिए जल ग्रहण क्षेत्र दृष्टिकोण अपनाया गया है। इसके अंतर्गत मौजूदा संसाधनों का इस्तेमाल किया जाता है और उन्हें अतिरिक्त वित्तीय संसाधन प्रदान करके मजबूती प्रदान की जाती है।

उपलब्धियां

इस प्रकार के नियंत्रण प्रयासों से पिछले वर्षों में कई उपलब्धियां हासिल की गईं। ग्रामीण आबादी का पेयजल आपूर्ति 56 प्रतिशत से बढ़कर 94 प्रतिशत पर पहुंच गया। स्वच्छता के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए दो करोड़ से अधिक परिवारों के लिए घरों में शौचालयों की व्यवस्था की गई। इस दिशा में एक और ऐतिहासिक उपलब्धि भारत से गिनी-कर्मी (नहरुआ) का उन्मूलन है। इस आशय का प्रमाणपत्र विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा (सन् 2000 में) दिया जा चुका है।

मिशन का एक प्रमुख योगदान यह भी रहा कि वह जल और स्वच्छता क्षेत्र में निवेश बढ़ाने में सफल रहा। छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) के प्रारंभ से अंतरराष्ट्रीय पेयजल आपूर्ति और स्वच्छता दशक (1981-90) शुरू होने के बीच जलापूर्ति और स्वच्छता क्षेत्र के प्रति भारत की वचनबद्धता बढ़ी है। इस क्षेत्र में निवेश में बढ़ातरी हुई है और वर्तमान समय में राष्ट्रीय बजट का महत्वपूर्ण हिस्सा (करीब 3 प्रतिशत) इस क्षेत्र में निवेश किया जा रहा है। स्वतंत्रता प्राप्ति से केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर 450 अरब रुपये से अधिक धन ग्रामीण जलापूर्ति के लिए खर्च कर चुकी हैं। स्वच्छता क्षेत्र पर इसकी तुलना में कम खर्च किए गए। किन्तु, अभी काफी निवेश और करने की आवश्यकता है।

इसके अतिरिक्त मिशन ने पंचायतीराज संस्थानों को शामिल करके विकेन्द्रीकृत वितरण ढांचे को बढ़ावा देने में सक्रिय भूमिका अदा की है। हाल ही में मिशन ने 'संचार और क्षमता विकास एकक' कार्यक्रम शुरू किया है। संपूर्ण स्वच्छता अभियान और स्वजलधारा कार्यक्रम में सहायता के लिए ये एक सभी राज्यों में स्थापित किए जाने हैं। मिशन ने कंप्यूटरीकरण और जिला स्तर पर केंद्र की स्थापना के लिए भी धन जारी किया है।

चुनौतियां

किन्तु इस दिशा में कई खामियां भी उजागर हुई हैं और मिशन के कार्यक्रमों के बेहतर कार्यान्वयन के लिए, उन्हें दूर करना आवश्यक है। उदाहरण के लिए जलापूर्ति कवरेज बढ़कर 99 प्रतिशत तक पहुंच गया है, परंतु अनेक बसितियां ऐसी हैं जो फिर पूर्ण रूप से कवर न किए गए क्षेत्रों से आंशिक कवर और कवर न किए गए क्षेत्रों के वर्ग में लौट आई हैं। स्वच्छता कवरेज भी अभी अपर्याप्त है और स्कूलों पर विशेष ध्यान केन्द्रित करते हुए इसे बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। जल और स्वच्छता के लिए वित्तीय आवंटन में बढ़ातरी हुई है, परंतु इसके लिए निश्चित रूप से और साधनों की आवश्यकता है। अनुसंधान और विकास के लिए भी अधिक धन की जरूरत है, ताकि जल और स्वच्छता क्षेत्र में सस्ती और साधारण प्रौद्योगिकियां सुनिश्चित की जा सकें। भूमिगत जल का तेजी से ह्रास होता जा रहा है, जिसके लिए जल पुनर्भरण संरक्षण प्रणालियों को सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता है। एक अन्य बड़ी समस्या प्रणालीगत स्थायित्व के अभाव की है। परिचालन और धन की कुल अनुमानित आवश्यकता और उपलब्ध संसाधनों के बीच भारी अंतराल है।

उपरोक्त जरूरतें पूरी करने के लिए वित्तीय और तकनीकी, दोनों ही तरह के पर्याप्त संसाधनों और न केवल आयोजना, बल्कि कार्यान्वयन के संदर्भ में भी एक स्पष्ट परिभाषित कार्यनीति की आवश्यकता है। भारत ने सहमानित विकास लक्ष्यों पर हस्ताक्षर किए हैं और सरकार ने सब के लिए जलापूर्ति और स्वच्छता सुविधाएं मुहैया करने की योजना बनाई है। इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए सुदृढ़ नीतियों और दृष्टिकोण की आवश्यकता है। मिशन ने एक कार्यनीति तय की है, जिसके अंतर्गत 2007 (10वीं पंचवर्षीय योजना के अंत) तक सभी आवासीय और फिर से सुविधाहीन बने क्षेत्रों में जलापूर्ति की पुख्ता व्यवस्था की जाएगी, ताकि स्वच्छ पेयजल की सतत आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। मिशन ने 2005-2006 तक देश के सभी जिलों में संपूर्ण स्वच्छता अभियान परियोजनाएं मंजूर

करने का भी फैसला किया है, ताकि 2012 तक बुनियादी स्वच्छता सुविधाओं के पूर्ण कवरेज का लक्ष्य हासिल किया जा सके। यह योजना भी बनाई गई है कि सभी ग्रामीण स्कूलों और आंगनवाड़ियों को 2005-2006 तक स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता सुविधाएं मुहैया कराई जाएं। स्वच्छता अभियान को नई शक्ति देने के लिए भारत सरकार ने 2003 में एक प्रोत्साहन योजना भी शुरू की है। निर्मल ग्राम पुरस्कार नाम की इस योजना के अंतर्गत उन ग्राम पंचायतों, खंडों और जिलों को पुरस्कृत किया जाता है, जिन्होंने स्वच्छता सुविधाओं की पूर्ण व्यवस्था कर ली है और जहां खुले में शौच जाने की प्रवृत्ति पूरी तरह समाप्त हो चुकी है।

सार्वजनिक-निजी भागीदारी

गंभीर रूप से ध्यान केन्द्रित किए जाने के बावजूद उत्तरोत्तर यह तथ्य उजागर हुआ है कि बढ़ती आबादी के लिए अपेक्षित गुणवत्ता सेवाओं का विस्तार सरकार अकेले नहीं कर सकती। सरकार की भूमिका सेवाप्रदाता की बजाय समुदायों और उनके संस्थानों को वित्तीय और नीतिगत सहायता प्रदानकर्ता की होनी चाहिए, ताकि सतत और समान आधार पर सेवाएं प्रदान की जा सकें।

मौजूदा सेवाओं के प्रबंधन में निजी क्षेत्र भी नियंत्रण महत्वपूर्ण होता जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन के नेतृत्व में तथा ग्रामीण सार्वजनिक सेवाओं का समुदाय आधारित वितरण मॉडल सतत समाधानों के दिशा में महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है।

सेवा वितरण के अलग-अलग और विविध मॉडलों को लागू करने में अगर स्थानीय सरकारों के विभिन्न स्तरों और समुदायों की तकनीकी एवं प्रबंधकीय क्षमता बढ़ा दी जाए, तो इस कार्यक्रम की प्रभावकारिता और नियंत्रण निश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है, इस प्रकार सेवाओं की कवरेज, बेहतर स्वास्थ्य, अर्थिक विकास और प्रगति की गति बढ़ सकती है और भारत विकासशील से विकसित राष्ट्रों में आ सकता है। □

(लेखक भारत सरकार के पेयजल आपूर्ति विभाग में संविव हैं)

नदियों और वनों को जोड़ना

○ पांडुरंग हेगडे

देश में गहराते जल संकट को रोकने के लिए जलग्रहण क्षेत्रों में वनसंरक्षण आवश्यक है



देश के नेता तथा अधिकारीगण उत्तर से दक्षिण तक देश की नदियों को जोड़ने की योजना बना रहे हैं ताकि बार-बार सिर उठाने वाले जल संकट का समाधान किया जा सके। दावा किया जा रहा है कि इस खर्चोली बहुत योजना से सिंचाई और देशवासियों के लिए अन्न उत्पादन हेतु जलापूर्ति की समस्या का निदान किया जा सकेगा। इस योजना की मंशा अच्छी है, लेकिन देर से ही सही, जो तथ्य उभर कर आ रहे हैं, वे अलग ही कहानी की ओर इशारा कर रहे हैं।

नदियों को जोड़ने की योजना की एक प्रमुख अवधारणा यह है कि उत्तर भारत की नदियां चूंकि हिमालय की बर्फाच्छादित चोटियों अथवा हिमनदों से निकलती हैं, इसलिए उनमें सालभर पानी रहता है।

अंतरराष्ट्रीय संगठन विश्व वन्यजीव कोष द्वारा जारी तथ्यों के अनुसार, “ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हिमालय में स्थित हिमनदों का उनियाभर में सबसे तेजी से क्षरण हो रहा है।

इसके परिणामस्वरूप, हिमनदों से जल प्राप्त करने वाली नदियां सूखने लगेंगी और भारतीय उपमहाद्वीप में जल संकट उत्पन्न होने की आशंका उत्पन्न हो जाएगी।” निश्चित रूप से इस तरह की गंभीर भविष्यवाणी के बाद भारत में नदियों को आपस में जोड़ने की योजना की तरक्की संगतता समाप्त हो जाती है।

भारत की नदियां हिमनदों अथवा पर्वतीय क्षेत्र के वनों से निकलती हैं। चिपको आंदोलन के अगुवा तथा प्रमुख पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा के अनुसार, “वन नदियों की माता हैं।” वन हमारे देश की अधिकांश नदियों के लिए जलग्रहण क्षेत्र के रूप में काम करते हैं। गंगा का उदय हिमालय से होता है लेकिन कावेरी और कृष्णा जैसी नदियां पश्चिमी घाट के वन क्षेत्र से निकलती हैं।

जलग्रहण करने वाले ये वन मूलतः दो कार्य करते हैं। एक, वे वर्षा से नमी सोखते हैं तथा दो, उन छोटी-पतली धाराओं में जल भरने में मदद करते हैं जिनसे मिलकर नदियां

बनती हैं। जलग्रहण करने वाले वनों के इस बुनियादी कार्य के महत्व के मद्देनजर ही अनादि काल से हमारे पूर्वजों ने पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से नदियों के उद्गम स्थल को पवित्र मानते हुए उन्हें तीर्थ स्थल बना दिया है।

उद्गम

इस तरह गंगा का उद्गम ‘गंगोत्री’ तथा कावेरी का उद्गम ‘तल कावेरी’ हमारे तीर्थ स्थल हैं। नदियों, उनके उद्गम स्थल तथा वनों के प्रति श्रद्धाभाव हमारे संस्कार में है। इसका मकसद इन स्रोतों का संरक्षण करना है। हमारी नौकरशाही द्वारा ‘जलक्षेत्र विकास’ जैसे शब्द का विकास करने के काफी पहले नदियों के उद्गम स्थल के संरक्षण का गीत हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग बन चुका था।

इसके बावजूद वर्तमान समय में हम नदियों के जल संग्रहण क्षेत्र की संस्कृति को भूल गए हैं और वनों तथा नदी-नालों जैसे जल संसाधनों को नष्ट करने की अंधी राह पर चल पड़े हैं। देश के अधिकांश भागों में प्राकृतिक वनों के स्थान पर एक ही प्रजाति के वृक्षों वाले वन लगाए जा रहे हैं। हिमालय क्षेत्र में चौड़े पत्तों वाले ओक के प्राकृतिक वनों की जगह चीड़ के पौधे लगाए जा रहे हैं। मध्य भारत तथा पूर्वी भारत में साल के वनों को साफ कर उनकी जगह सागवान के एकल वन लगाए गए हैं।

दक्षिण भारत के पश्चिमी घाटों में हमने सर्वाधिक जैव-विविधता वाले उष्ण कटिंगधीय वनों को इसलिए काट दिया है कि वहां सागौन और यूकेलिप्टस के वन लगाए जा सकें। हाल ही में कर्नाटक में शरावती नदी के किनारे पदयात्रा करने वाले दल ने पाया कि जलग्रहण क्षेत्र के वनों के लगभग अस्सी प्रतिशत भाग में वन लगाए गए हैं।

प्राकृतिक वनों को इतने बड़े पैमाने पर एक प्रजाति के वनों में बदलने का नदी की पर्यावरण प्रणाली तथा इस क्षेत्र के आर्द्रता-स्वरूप पर गंभीर प्रभाव पड़ा है। ये वृक्ष जल संरक्षण की भूमिका का निर्वाह करने अथवा नदियों के लिए पानी का स्रोत बनाने के काविल नहीं रह गए हैं। प्रायः उन्हें अधिक पानी की आवश्यकता होती है जिससे पानी के स्रोते

सूखने लगते हैं। नदी मुहाने पर इन सबका सम्मिलित प्रभाव पड़ता है तथा बड़े पैमाने पर पानी की कमी होती है।

मौजूदा जल संकट तथा आने वाले वर्षों में संभवित जल संकट की भविष्यवाणी हमारी सरकार, नेताओं और नौकरशाही द्वारा अपनाई गई संकीर्ण नीतियों का परिणाम है। उन्होंने बन, पानी और नदियों के अंतर्संबंध की उपेक्षा की है। जब तक जलग्रहण क्षेत्र के बन सुरक्षित हैं, तब तक नदियां और स्रोते स्वस्थहाल रहेंगे। विश्वभर में यह एक स्वीकृत तथ्य है।

लकड़ी के भंडार

उपरोक्त समझ की उपेक्षा करते हुए हमने हजारों एकड़ भूमि में जो बन लगाए हैं उन्हें लकड़ी के भंडार कहा जा सकता है, क्योंकि ये लकड़ी का स्रोत तो बन जाते हैं लेकिन जल संरक्षण की अपनी दूसरी भूमिका को उपेक्षित छोड़ देते हैं। इसी का हासिल है कि बरसात के महीनों में बहने वाली नदियों में पहाड़ी इलाकों की लाल गाद दिखाई देती है। यह नदी के मृतप्राय होने का भी एक संकेत है। इनके साथ-साथ यह तथ्य भी है कि अधिकांश नदियां प्रदूषित हैं और उनका पानी मुख्य तो क्या, जानवरों के पीने योग्य भी नहीं रह गया है। राष्ट्रीय बन नीति में इस तथ्य को स्वीकार किया गया है कि पर्यावरणीय भूमिका के निर्वहन तथा देश के जल संसाधनों के संरक्षण के लिए वर्षों का संरक्षण करने की आवश्यकता है। लेकिन सरकार की राष्ट्रीय जलनीति में जल संसाधनों के साथ वर्षों के अंतर्संबंध की चर्चा तक नहीं है। इसमें यह मान लिया गया है कि पानी की उपलब्धता बनी रहेगी तथा उसकी केवल विभिन्न हितधारियों के बीच आपूर्ति करने की आवश्यकता है। ये महत्वपूर्ण नीतिगत दस्तावेज मुद्दों को समग्रता में देखने से भी बचते हैं।

आज जरूरत बन और पानी के अंतर्संबंध को स्थापित करने और जल संकट के प्रति समग्र दृष्टिकोण अपनाने की है। जल ग्रहण करने वाले प्राकृतिक वर्षों के संरक्षण को प्राथमिकता देना अनिवार्य है, न कि उन्हें एक प्रजाति के वृक्षों में बदलना। देश की नदियों और पानी की सतत आपूर्ति के बारे में यदि हम आश्वस्त होना चाहते हैं तो पानी और नदियों के स्रोतों का संरक्षण जरूरी है। ये स्रोत बन हैं।

हमारे राष्ट्रगान में सुजलाम और सुफलाम शब्द शामिल हैं, जिनका अभिप्राय है देशवासियों के लिए प्रचुर पानी। देश एक बहुत ही बुरे जल संकट को झेल रहा है। विश्व जल दिवस के मौके पर आइए हम अपनी नदियों के जल भराव क्षेत्रों का संरक्षण करने और उनका प्रदूषण रोकने की शपथ लें। इसी तरह, विश्व बन दिवस मनाने के दौरान वर्षों को हम लकड़ी के स्रोत के रूप में न देखकर प्रकृति की ओर से पानी और मिट्टी देने वाले स्रोत के रूप में देखें।

चिपको आंदोलन से जुड़ी महिलाओं द्वारा तैयार किया गया यह नारा कितना सही है - क्या देते हैं हमको जंगल / शुद्ध हवा, मिट्टी और जल। शुद्ध हवा, मिट्टी और जल जीवन का आधार हैं। वर्षों और नदियों के बीच संबंध जोड़कर ही देश में प्रचुर पानी उपलब्ध कराया जा सकता है। □

(सौजन्य : डेक्कन हेराल्ड)

IIT-JEE/MEDICAL The power to excel

Does your son have it?



He has a dream - to graduate from IIT. To explore new frontiers and make a difference in the world of technology.

He also has the qualities to match his ambition - intelligence, determination and the willingness to work hard.

But are these enough to take on the brightest of students from across the Country? Does he have the power to excel in the fiercest competition of its kind - the IIT-JEE?

Make sure he does, with Brilliant Tutorials - a pioneer whose correspondence courses have brought success to thousands of young aspirants like your son, for nearly 35 years now.

The power to excel

Does your daughter have it?



She has a goal that's noble - to care for the health of people.

She has an ambition that's lofty - to graduate from a reputed medical college and become a doctor of eminence.

She also has the competence and the willingness to work hard.

But, does she have the power to excel in the highly competitive Medical Entrance Exams?

Make sure she does, with Brilliant Tutorials - a pioneer whose correspondence courses have brought success to thousands of young aspirants like your daughter, for nearly 35 years now.

AIEEE & BITSAT 2006

Your gateway to the National Institutes of Technology

Admission to all of them, as well as to many other institutions of specialized engineering education, will be on the basis of the AIEEE [All India Engineering Entrance Examination].

BITSAT [Birla Institute of Technology and Science Admission Test]: BITS Pilani conduct a separate Online Test for admission to their Institutes at Pilani and Goa.

Who can equip you for success in these highly competitive exams, better than Brilliant Tutorials, a 35-year veteran who has helped produce thousands of winners and hundreds of top-rankers in competitive entrance exams all over India.

Admission open, write, call or fax for free prospectus.

**BRILLIANT®
TUTORIALS**

Box: 4996-YOH, 12, Masilamani St., T. Nagar, Chennai 600 017.
Ph: 24342099 (4 lines) Fax: 24343829 e-mail: enquiries@brilliant-tutorials.com

ADMISSION ALSO OPEN FOR THE FOLLOWING POSTAL COURSES FROM BRILLIANT

- IIT-JEE 2006, 2007 & beyond • MBBS Ent. 2006, 2007 & beyond
- MBA Ent. 2006 • MCA Ent. 2006 • GATE 2006 • IAS 2006
- ESE 2006 • CSIR-UGC/UGC(NET) Dec '05 • GRE • TOEFL
- BANKING • GEOLOGIST'S Exam. 2005

राष्ट्रीय बिजली नीति – आगे की राह

○ इस्माइल अली खान

भारतीय उद्योग को भूमंडलीय रूप से प्रतियोगी बनाए रखने के लिए प्रतियोगी दरों पर बिजली आपूर्ति अनिवार्य है

उच्च और सतत आर्थिक विकास में से एक है बेहतर बुनियादी संरचना। भारतीय उद्योग को विश्वभर में प्रतियोगी बनाए रखने के लिए प्रतियोगी दरों पर बिजली आपूर्ति करना अनिवार्य है। यह मानते हुए कि बिजली सतत आर्थिक विकास के महत्वपूर्ण वाहकों में से एक है, इस क्षेत्र के विकास हेतु सरकार प्रत्येक योजना में पर्याप्त कोष प्रदान करती रही है।

विद्युत क्षेत्र के सर्वांगीण विकास हेतु भारत के बिजली क्षेत्र की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए एक समुचित ढांचे की रूपरेखा तैयार करते हुए एक नया बिजली अधिनियम लागू करने की आवश्यकता महसूस की गई थी। 10 जून, 2003 को अधिसूचित बिजली अधिनियम, 2003 सुधारों को प्रोत्साहित करने और क्षेत्र में प्रतियोगिता शुरू करने हेतु आधारभूत ढांचा प्रदान करता है। इस अधिनियम ने इसे एक ग्राहक वाले एकाधिकारवादी बाजार संरचना से बहु-ग्राहक और बहुविक्रेता पद्धति में बदल कर उद्योग की संरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तनों को प्रारंभ किया है। बहु-वर्षीय पहुंच के साथ नियामक व्यवस्था को लचीला बनाया गया है। अधिनियम विभिन्न संगठनों और साझेदारों की भूमिका को साफ करता है तथा नियामक आयोगों के लिए बेहतर वित्तीय प्रबंधन प्रदान करता है। अधिनियम ने निश्चित खरीदारों के

प्रवेश अवरोधों को दूर किया है जिससे क्षमता में तेज वृद्धि सहज होगी। पहली बार बिजली के व्यापार को अलग गतिविधि के रूप में मान्यता दी गई है।

बिजली अधिनियम, 2003 की धारा 3 में केंद्र सरकार से एक मजबूत ढांचा प्रदान करने हेतु केंद्रीय बिजली प्राधिकरण (सीईए) और राज्य सरकारों के साथ परामर्श कर राष्ट्रीय बिजली नीति तैयार करने के साथ ही एक कार्ययोजना तैयार करना अपेक्षित है जो बिजली अधिनियम की संकल्पना को वास्तविकता में बदल सके। अधिनियम की धारा 3 (3) केंद्र सरकार को समय-समय पर राष्ट्रीय बिजली नीति की समीक्षा और संशोधन हेतु करने अधिकृत करता है। अधिनियम में कहा गया है: “केंद्र सरकार राज्य सरकारों और कोयला, प्राकृतिक गैस, नाभिकीय वस्तुओं या पदार्थों, हाइड्रो और ऊर्जा के नवीकरण लायक स्रोतों के अधिकतम उपयोग पर आधारित बिजली पद्धति के विकास हेतु प्राधिकरण से परामर्श कर समय-समय पर राष्ट्रीय बिजली नीति और दर नीति तैयार करेगी”। सरकार द्वारा हाल में अनुमोदित राष्ट्रीय बिजली नीति इस क्षेत्र हेतु एक कार्ययोजना प्रदान करती है और सभी साझेदारों के समक्ष एक स्पष्ट कार्यसूची और नीति तय करती है। यह बिजली क्षेत्र पर सरकार के संपूर्ण दृष्टिकोण को रेखांकित करती है और स्पष्ट समय सीमा द्वारा सुधारों की गति को तीव्र करने पर केंद्रित है। इस

नीति के महत्वपूर्ण उद्देश्यों में एटी एवं सी नुकसानों के कुल स्तर को कम करते हुए बेहतर लागत वसूली और आर्थिक सहायता का लक्ष्य निर्धारित करते हुए ग्रामीण विद्युतीकरण की गति को तीव्र करना तथा 2012 तक मांग पर सब को विद्युत प्रदान करना शामिल है। इस नीति के उल्लिखित उद्देश्य हैं:

- बिजली तक पहुंच – अगले पांच वर्षों में यह सभी घरों उपलब्ध हो।
- बिजली की – मांग को 2012 तक पूरी तरह पूरा करना, ऊर्जा और अधिक भार वाले समय की कमियों को दूर करना तथा पर्याप्त सुरक्षित भंडार उपलब्ध रखना।
- प्रभावकारी तरीके से और युक्तिसंगत दरों पर निर्धारित स्टैंडर्ड के विश्वसनीय और स्तरीय बिजली की आपूर्ति।
- 2012 तक प्रतिव्यक्ति स्तर को 1,000 यूनिटों से अधिक तक बढ़ाना।
- वर्ष 2012 तक न्यूनतम जीवनरेखा खपत प्रति घरेलू उपकरण प्रतिदिन 1 यूनिट करना।
- वित्तीय रूप में बदलाव और विद्युत क्षेत्र की वाणिज्यिक व्यवहार्यता।
- उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा।

स्वतंत्रता के बाद से भारत ने विद्युत क्षेत्र के विकास में उल्लेखनीय प्रगति की है। स्थापित क्षमता वर्ष 1947 के 1,362 मेगावाट से बढ़कर मार्च 2004 के अंत तक 1,12,000



49th Rank '04
सहुल रंजन महिवाल



69th Rank '04
डॉ. विक्रांत पांडे



121st Rank '04
मोज कुमार शर्मा



147th Rank '04
अभिषेक



151st Rank '04
सुकेश कुमार जैन



153rd Rank '04
ओमप्रकाश चौधरी



218th Rank '04
जयनारायण पंकज



219th Rank '04
निष्ठा तिवारी



234th Rank '04
अरविंद शरण



263rd Rank '04
आकाश देवगंग



268th Rank '04
अंजना वशिष्ठ



276th Rank '04
अजित प्रताप सिंह



291st Rank '04
विनोद कुमार



296th Rank '04
यामिनी



303rd Rank '04
विजय कुमार



306th Rank '04
असलमु हसन



378th Rank '04
कुमारी रंजीता



398th Rank '04
सीताराम मीणा

एक बार फिर 'दृष्टि' प्रसन्नता महसूस कर रही है आपके संमक्ष अपने सफल कुछ अभ्यर्थियों के साथ प्रस्तुत होने में हम बधाई देते हैं अपने सभी सफल अभ्यर्थियों को और सजग करते हैं आगे के प्रतियोगियों को

जहाँ प्रारम्भिक परीक्षा मुख्य परीक्षा तक पहुँचने की एक सीढ़ी मात्र है वहीं मुख्य परीक्षा किसी प्रतियोगी के चयन को निर्धारित करती है

2000 अंकों की मुख्य परीक्षा हमारी सफलता या विफलता को तय करती है

व्योमिक सफलता या विफलता में 87% योगदान मुख्य परीक्षा का ही होता है

सफलता के लिए चाहिये सिर्फ थोड़ी सी रणनीति, थोड़ी सी सजगता और थोड़ी सी समझ

IAS जहाँ सारा खेल अंकों का है वहाँ यह विचार करना आवश्यक है कि कैसे कम से कम समय में अधिक से अधिक अंक प्राप्त किये जाएँ

विद्यार्थियों की इसी ज़रूरत को पूरा करने तथा ऐसे ही समझ को विकसित करने का अपना ढूँढ़ संकल्प लिए 'दृष्टि'

मुख्य परीक्षा कार्यक्रम '2005

पूर्व उपलब्ध विषयों का विस्तार करते हुए 'दृष्टि' एक बार पुनः उपस्थित है - एक नये कार्यक्रम के साथ

सामान्य अध्ययन (G.S.)

- 600 अंकों की परीक्षा में एक-एक अंक के लिए विशेषज्ञापूर्ण रणनीति के साथ बेहद सुनियोजित वैज्ञानिक कार्यक्रम।
- खंड विशेष (Specific Module) करने की सुविधा भी उपलब्ध। ● प्रथम एक सप्ताह की कक्षाएँ निःशुल्क।
- सम-सामयिक परिवर्तनों को ध्यान रखते हुए अद्यतन पाठ्य सामग्री।

निःशुल्क परिचर्चाएँ : प्रत्येक प्रातः 11 बजे

हिन्दी साहित्य	5 जून	राजनीति विज्ञान	7 जून	सामान्य अध्ययन	9 जून
दर्शनशास्त्र	6 जून	इतिहास	8 जून	निबंध प्रा. परीक्षा के परिणाम के बाद	

सभी सत्र आरंभ - श्रविवार, 12 जून

छात्रावास (Hostel) सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। विवरणिका (Prospectus) के लिए 50 रु. का बैंक ड्राफ्ट अथवा मनीआर्डर भेजें।

641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-9 फोन : 011-27654128, 0-9313988616, 9810316396 ई-मेल : drishtiiasacademy@rediffmail.com

मेगावाट हो गई है। पंपसेटों के बृहद क्रियाशील कार्यक्रम द्वारा समर्थित हरित क्रांति द्वारा हमने खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली है। 5.87 लाख गांवों के करीब 84 प्रतिशत का विद्युतीकरण कर लिया गया है। इस महत्वपूर्ण वृद्धि के बाबजूद वर्ष 2001 में चीन में प्रति व्यक्ति खपत 1010 केडब्ल्यूएच की तुलना में भारत में 2003-04 में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत का स्तर 390 किलो. हर्ज था। घरेलू सामान के विद्युतीकरण का स्तर करीब 56 प्रतिशत होने का अनुमान है।

हाल में अनुमोदित 'राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना - ग्रामीण विद्युत ढांचा और घरेलू विद्युतीकरण योजना' जो राष्ट्रीय सामान्य न्यूनतम कार्यक्रम का एक हिस्सा है, के माध्यम से सरकार करीब 16,300 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से सभी घरों को बिजली प्रदान करने के उद्देश्य को पूरा करने का प्रस्ताव करती है।

गैरविद्युतीकृत ग्रामीण घरों की संख्या लगभग आठ करोड़ है जिनमें से 30 प्रतिशत आबादी गरीबी रेखा के नीचे रहती है। उपरोक्त आकलनों के आधार पर प्रति घर अपेक्षित संसाधनों का मूल्य केवल 2,000 रुपये आता है। यह देखना है कि आधारी वितरण नेटवर्क के सृजन के साथ ही बचे हुए आखिरी ग्रामीण घर को संबद्धता देने हेतु क्या आकलित संसाधन पर्याप्त होंगे? इस नीति में लागत वसूली और देख-रेख सुनिश्चित करने के लिए पंचायतों, स्वयंसेवी संगठनों, उपयोगकर्ता समितियों और स्थानीय निकायों को ग्रामीण वितरण के प्रबंधन में एक ढोर में बांधने की योजना है। यह नीति वास्तविकता में कैसे बदलती है, यह मुख्यतः राज्य सरकारों द्वारा पूँजी अनुदान के स्तर और वितरकों को दिए जाने वाले अपेक्षित उदार क्रृष्ण, उपभोक्ताओं की सक्षमता तथा भुगतान क्षमता अनुदानों का उचित लक्ष्य निर्धारण, राजस्व स्थायित्व और कार्यक्षम राजस्व मॉडल विकसित करने से जुड़े विवेचनात्मक मुद्दों का समाधान करने के प्रयासों पर निर्भर करता है।

यह नीति 2012 के अंत तक देश में

व्यस्तम काल में मौजूदा बिजली की कमी को पूरा करने हेतु कम से कम 5 प्रतिशत स्पीनिंग रिजर्व की क्षमता के साथ पर्याप्त उत्पादन की आवश्यकता पर बल देता है। इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को मांग पर बिजली की उपलब्धता और प्रतिव्यक्ति बिजली उत्पादन को बढ़ाकर 592 वर्तमान स्तर के 1,000 केडब्ल्यूएच करने पर केंद्रित करना है।

पीछे मुड़कर देखें तो 1950-2004 की अवधि में बिजली उत्पादन में लचीलापन जीडीपी की तुलना में दो से अधिक रहा है। यद्यपि यह गुणक तत्व 1990-2004 की अवधि हेतु यूनिटी से थोड़ा सा अधिक है। यह इस तथ्य से प्रदर्शित होता है कि 1990-2004 की अवधि के दौरान बिजली उत्पादन का सीएजीआर, इसी अवधि हेतु जीडीपी के सीएजीआर 5.7 प्रतिशत की तुलना में 5.9 प्रतिशत था। इससे यह अर्थ निकलता है कि यदि अर्थव्यवस्था में 8 प्रतिशत की वृद्धि होनी है तो बिजली उत्पादन में भी कम से कम 9 प्रतिशत की वृद्धि आवश्यक है। आठ प्रतिशत की स्थायी आर्थिक वृद्धि को समर्थन देने हेतु आगे कम से कम 5 प्रतिशत के स्पिनिंग रिजर्व के साथ पर्याप्त बिजली उत्पादन क्षमता विकसित करने का चुनौतीपूर्ण कार्य करना है।

संभव वृद्धि

दसवीं योजना अवधि में 41,110 मेगावाट क्षमता वृद्धि कार्यक्रम को पूरा करते हुए दसवीं और ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान हमने 1,00,000 मेगावाट वृद्धि का लक्ष्य तय किया है। हालांकि दसवीं योजना के पहले दो वर्षों में वास्तविक क्षमता वृद्धि 6,958 मेगावाट थी। यह मानते हुए कि चालू वर्ष में देश 5,245 मेगावाट की लक्षित क्षमता वृद्धि प्राप्त कर लेगा, तीन वर्षों में कुल क्षमता वृद्धि 12,203 मेगावाट की होगी। ऊर्जा मंत्रालय ने दसवीं योजना में मूलतः लक्षित 41,110 मेगावाट की क्षमता वृद्धि की बजाए लगभग 37,000 मेगावाट की साध्य क्षमता वृद्धि का आकलन किया है। ऐसी कमी से वर्षों से चली आ रही मांग एवं पूर्ति की विषमता आगे

और बढ़ेगी। जबकि चीन ने, जिसने भारत से तीन गुणा अधिक उत्पादन क्षमता लगाई है, केवल 2004 में ही 40,000 मेगावाट की अंतिरिक्त वृद्धि की है और हमें दसवीं योजना के पांच वर्षों की अवधि में 41,000 मेगावाट की वृद्धि करने में कठिनाई हो रही है। 1,00,000 मेगावाट की लक्षित क्षमता वृद्धि को ग्यारहवीं योजना के अंत तक प्राप्त करने के लिए कम से कम 8,000-10,000 मेगावाट क्षमता की प्रत्येक वर्ष वृद्धि सुनिश्चित करने का प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।

यह नीति अगले दस वर्षों में अधिकतम संभव सीमा तक पनबिजली का विकास चाहती है और निजी क्षेत्र के निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए लंबी अवधि की अनुदान व्यवस्था के मुद्दे का निदान करने की सलाह देती है। यह सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए 50,000 मेगावाट पनबिजली कार्यक्रम की गति को तेज करेगा।

प्रेषण एवं वितरण

देश के इस कोने से उस कोने तक बिजली के सुगमतापूर्वक प्रेषण हेतु पर्याप्त संचरण, सुरक्षित अंश और आवश्यकता से अधिक स्तर अनिवार्य है। बिजली अधिनियम में इस पद्धति भी खरीदारों और विक्रेताओं द्वारा में कहीं बिजली का खुला व्यापार और बिजली तक पहुंच हेतु विधायी ढांचा तैयार किया गया है। नीति इस बात पर जोर देती है कि वास्तविक समय के आधार पर आंकड़ा संग्रहण की क्षमता सुनिश्चित करने हेतु जून 2006 तक भार प्रेषण के प्रौद्योगिकीय उन्नयन सहित नियामक आयोगों द्वारा शीघ्रातिशीघ्र भेदभाव रहित मुक्त पहुंच हेतु सुलभ ढांचा प्रदान करने की आवश्यकता है। पावरग्रिड ने अंतर्क्षेत्रीय अंतर्संबद्ध लिंकों की कई योजनाओं को हाथ में लिया है और राष्ट्रीय ग्रिड के विकास की योजना है। इसने अत्यधुनिक क्षेत्रीय भार प्रेषण केंद्र का निर्माण भी कर लिया है। पावरग्रिड द्वारा लगभग 9,000 मेगावाट अंतर्क्षेत्रीय स्थानांतरण क्षमता का निर्माण कर लिया गया है और 2012 के अंत तक इस क्षमता को बढ़ाकर 30,000 मेगावाट करने का कार्यक्रम है।

प्रतियोगिता बढ़ाना और जनोपयोगी सेवाओं के निष्पादन में सुधार तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक कि वितरण क्षेत्र में विविध लोगों को लाने संबंधी उपयुक्त सुधार नहीं किए जाते हैं, जो थोक-खुदरा प्रतियोगिता प्रारंभ करने के अंतिम उद्देश्य को सुसाध्य बना सके। वास्तव में वितरण-सुधार और वितरण में नुकसान में कमी इस क्षेत्र के स्थायित्व की कुंजी है क्योंकि यह सीधे उपभोक्ता संतुष्टि और उत्पादन, प्रेषण और वितरण में किए गए निवेश हेतु राजस्व संग्रहण से जुड़ा है। अतएव यह बिजली उत्पादन की जनोपयोगी सेवाओं हेतु वित्तीय व्यवहार्यता के लिए वितरण कंपनियों के अतिरिक्त प्रेषण कंपनियों से सीधे जुड़ा हुआ है।

यह नीति वितरण पद्धति को उन्नत करने की आवश्यकता पर जोर देती है। राज्य नियामक आयोग की वितरण में सीधी पहुंच शुरू करने हेतु खुले नियामक अधिसूचित करने का अधिदेश दिया गया है। एसईआरसी को भी बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता हेतु निष्पादन के अपेक्षित स्तरों और मानकों का अनुमान लगाना है। वास्तविक चुनौती है प्रभावकारी वितरण पद्धति बनाने और सुधारों को लागू करने के लिए परिवर्तन हेतु पर्याप्त वित्तीय प्रबंध समर्थन। वितरण नेटवर्क के उन्नयन हेतु अपेक्षित परिवर्तन, वित्त आकर्षित करने हेतु वितरण का निजीकरण सर्वोत्तम संभव विकल्प प्रतीत होता है। दिल्ली में वितरण के निजीकरण का कुछ सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुआ है और निजी जनोपयोगी सेवाएं संविदागत नुकसान में कमी के स्तरों को प्राप्त करने में सक्षम हुई हैं—क्योंकि दिल्ली सरकार ने जुलाई 2002 से 400 करोड़ रु. से अधिक का व्यवहार्यता अंतर कोष प्रदान किया है। अन्य राज्यों में दिल्ली मॉडल को दुहराना कठिन होगा क्योंकि अधिकांश राज्य सरकारें अपेक्षित व्यवहार्यता अंतर कोष प्रदान करने की स्थिति में नहीं हैं। उड़ीसा में निजीकरण के अनुभव को सफल नहीं माना जा सकता है यद्यपि उड़ीसा में वितरण का निजीकरण 6 वर्ष से भी पहले शुरू किया गया था, पर एटी एवं सी

के नुकसान का स्तर अब भी 40 प्रतिशत के लगभग है और वितरण जनोपयोगी सेवाओं को अब भी लागत और व्यय के समान होने की स्थिति में पहुंचना शेष है। क्षेत्र की व्यवहार्यता में सुधार और वितरण नेटवर्क के उन्नयन हेतु अधिक उत्पादन में मदद के लिए मीटर लगाने, मीटर रीडिंग, बिल बनाने और संग्रह जैसे अंतिम स्तर के निजीकरण जैसे विकल्पों को लागू किया जाना चाहिए।

संसाधन

अनुमानित क्षमता वृद्धि करने और देश में अगले दस वर्षों की अवधि में उपभोक्ता तक विश्वसनीय बिजली आपूर्ति देने हेतु प्रेषण और वितरण नेटवर्क के विस्तार हेतु दसर्वों योजना के प्रारंभ में संसाधन जरूरतों का आकलन किया गया था। इन प्राक्कलनों ने इंगित किया कि ऐसे वृहत विस्तार कार्यक्रम हेतु लगभग 9,00,000 करोड़ रु. की निधि की आवश्यकता है। दसर्वों योजना अवधि हेतु 2,70,276 करोड़ रु. का आवंटन है जिसमें केंद्रीय क्षेत्र हेतु 1,77,051 करोड़ रु. और राज्य क्षेत्र हेतु 93,226 करोड़ रु. का प्रावधान किया गया है। इस प्रावधान में राज्य जनोपयोगी सेवाओं की परियोजना प्रारंभ करने हेतु वाणिज्यिक आदाताएं तथा निजी क्षेत्र से निवेश शामिल नहीं हैं। ग्यारहवीं योजना में, केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर सार्वजनिक क्षेत्र के निवेश को बढ़ाना होगा और लक्षित क्षमता वृद्धि और टी एवं डी नेटवर्क की वृद्धि को प्राप्त करने हेतु इस निवेश का बड़ा हिस्सा निजी क्षेत्र से प्राप्त करना होगा।

राज्य जनोपयोगी सेवाओं की वाणिज्यिक व्यवहार्यता

1991 में प्रारंभ किए गए सुधारों की प्रक्रिया का एक मुख्य उद्देश्य क्षमता वृद्धि कार्यक्रम को बढ़ाने और टी एवं डी नेटवर्क का विस्तार करने के सरकारी प्रयासों को समर्थन देने के लिए ऊर्जा क्षेत्र में निजी निवेश को आकर्षित करना था। यद्यपि सरकार एक खास सीमा तक निजी निवेशकों को प्रोत्साहित करने में सफल रही है, परंतु निजी निवेशकों की अनुभूत आशंकाओं के कारण निजी क्षेत्र से अपेक्षित निवेश नहीं

उपलब्ध हो रहा है जबकि निजी क्षेत्र से नौंवी योजना में क्षमता वृद्धि 17,588 मेगावाट के कार्यक्रम की जगह 5,061 मेगावाट थी। दसर्वों योजना में भी स्थिति बहुत उत्साहजनक नहीं है और 7,121 मेगावाट के लक्ष्य के विरुद्ध अपेक्षित क्षमता वृद्धि लगभग 2,000 मेगावाट हो सकती है। निजी निवेशकों की प्रारंभिक चिंता राज्य जनोपयोगी सेवाओं से भुगतान की सुरक्षा को लेकर है। राज्य जनोपयोगी सेवाओं का आईपीपी से बिजली खरीदने में एकाधिकार है और वे उपभोक्ताओं को बिजली वितरित करती हैं। लेकिन ये घाटे में चल रही हैं। जब तक इस मुद्दे पर विचार नहीं किया जाता और राज्य बिजली बोर्ड वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य व्यवस्था नहीं बन जाती, निजी निवेशकों में ऐसी आशंकाएं जारी रहेंगी।

सुधार प्रक्रिया के एक अंश के रूप में राज्यों द्वारा लागू किए गए दक्षता वृद्धि उपायों के परिणामस्वरूप राज्य बिजली बोर्डों के वित्तीय और प्रचालन निष्पादन में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। ऊर्जा बिक्री स्तर में 20 प्रतिशत की वृद्धि और 98 प्रतिशत वसूली दक्षता प्राप्त करने में राज्य सक्षम हुए हैं। इसके परिणाम स्वरूप औसत आपूर्ति लागत और औसत दर के बीच के अंतर को कम करने और इस प्रकार वाणिज्यिक नुकसानों के स्तर की बढ़ती प्रवृत्ति को रोकने में राज्य बिजली बोर्ड सफल हुए हैं। वाणिज्यिक नुकसानों का स्तर भी 2000-01 में 27,465 करोड़ रु. से घटकर 2004-05 (संशोधित अनुमान) में 20,676 हो जाने का अनुमान है। राज्य बिजली बोर्डों के अनुसार कुल तकनीकी एवं वाणिज्यिक नुकसान (एटी एवं सी) में भी कमी की प्रवृत्ति पाई गई है।

राष्ट्रीय बिजली नीति द्वारा सभी भाग में प्रचालन के उच्चतर दक्षता स्तर पर जोर देने और ऊर्जा जनोपयोगी सेवाओं को निवेशयोग्य अधिशेष सूजन करने में सक्षम बनाने से सुधारों की गति तीव्र होने की संभावना है। इससे जनोपयोगी सेवाओं के वित्तीय स्वरूप में परिवर्तन होगा तथा इस क्षेत्र में उच्च निजी निवेश उपलब्ध होगा। □

(लेखक योजना आयोग, नई दिल्ली में उप-सलाहकार हैं)

प्रधानमंत्री द्वारा

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का शुभारंभ

○ पी. के. चक्रवर्ती

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का उद्देश्य भारत में ग्रामीणों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना है। यह महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट नई बोतल में पुरानी शराब डालने जैसा नहीं है।

इसकी परिकल्पना और सरकार द्वारा इसके क्रियान्वयन का आधार यह है कि देश तबतक अल्पविकसित बना रहेगा जब तक उसकी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार नहीं होता। बिजली को देश के विकास के लिए आवश्यक एक मुख्य आदान के रूप में चिह्नित किया गया है।

इसलिए प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह का यह कथन अतिशयोक्ति नहीं है कि राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, ग्रामीण और अर्थग्रामीण आबादी के लाभ के लिए, कृषि और सहयोगी क्षेत्र के आधुनिकीकरण में मुख्य आधारशिला होगी।

1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ग्रामीण क्षेत्रों तक बिजली पहुंचाने में काफी समय निकल चुका है।

यदि 70 प्रतिशत ग्रामीण आबादी वाला भारत आर्थिक मोर्चे पर तेजी से प्रगति के लिए प्रतिबद्ध है तो कार्यक्रम में और अधिक विलंब नहीं किया जा सकता।

परियोजना के शुभारंभ के बाद प्रधानमंत्री द्वारा कहे गए इस कथन से शायद ही कोई असहमत हो कि प्रत्येक नागरिक के लिए बिजली एक मौलिक जरूरत है। लेकिन आवश्यकता इस बात की भी है कि उपभोक्ता ये याद रखें कि यह एक आर्थिक परिसंपत्ति है और इसकी कद्र होनी चाहिए और इसका इस्तेमाल न्यायपूर्वक होना चाहिए। प्रत्येक

विद्युत उपभोक्ता को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि यह समाज के लिए परिसंपत्ति का निर्माण करती है।

एक अरब से अधिक जनसंख्या और प्रतिवर्ष लगभग 7 प्रतिशत की दर से बढ़ती अर्थव्यवस्था में देश को पारंपरिक और गैर-पारंपरिक स्रोतों से और ज्यादा ऊर्जा उत्पन्न करने के जरूरत है।

सरकार ने आश्वस्त किया है कि देश में बिजली की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए परंपरागत और गैर परंपरागत स्रोतों का चरणबद्ध तरीके से पूरा इस्तेमाल होगा।

विद्युत सेक्टर में सुधार के अलावा राज्य विद्युत बोर्ड में पुर्नगठन से मौजूदा संयंत्रों से उत्पादन बढ़ाने में बहुत मदद मिलेगी।

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत अगले चार बरस में ही भारत के प्रत्येक गांव में विद्युत आपूर्ति कोई हवामहल नहीं है।

इस योजना के अंतर्गत गांवों में विद्युत-वितरण के लिए 33/11या 66/11 स्तर के सब-स्टेशन बनाए जाएंगे।

प्रत्येक ब्लॉक में कम से कम एक सब-स्टेशन स्थापित किया जाएगा। ग्राम-विद्युत बुनियादी ढांचे का निर्माण भी प्रस्तावित है। प्रत्येक गांव में कम से कम एक वितरण ट्रांसफार्मर स्थापित किया जाएगा। अनुमानित 7.8 करोड़ घरों में ग्रामीण गृह विद्युतीकरण और ग्रिड विस्तारीकरण से वंचित गांवों में विकेंद्रीकृत वितरण से बिजली पहुंचाने की योजना है।

नई योजना में मौजूदा न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, कुटीर ज्योति कार्यक्रम और त्वरित

ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम का समन्वय होगा।

इस विशाल और महत्वाकांक्षी कार्यक्रम के क्रियान्वयन में केंद्र व राज्य सरकारों के साथ लोक उद्यम और पंचायतीराज संस्थाएं भी शामिल होंगी।

इस योजना में 90 प्रतिशत पूँजी सब्सिडी, व्यक्तिगत परियोजना के लिए दी जाएगी। शेष 10 प्रतिशत ग्रामीण विद्युतीकरण निगम आर्थिक सहायता ऋण के बतौर देगा। दसवीं योजना के लिए आर्थिक सहायता आवंटन 5,000 करोड़ रुपये है। अन्य सामाजिक सेक्टरों के लिए सरकार की प्राथमिकता को देखते हुए यह आर्थिक सहायता पर्याप्त है।

आवश्यकतानुसार योजना के समुचित क्रियान्वयन के लिए और निधि देने के प्रधानमंत्री के आश्वासन से राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना की सफलता निश्चित है।

राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के मुख्यबिंदु

- 2009 तक प्रत्येक गांव में बिजली पहुंचेगी।
- राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में इस तरह की सभी योजनाएं समन्वित हैं।
- इसमें केंद्र व राज्य सरकारें और लोक उद्यम व पंचायतीराज संस्थाएं शामिल होंगी।
- पूँजी का 90 प्रतिशत आर्थिक सहायता के तौर पर दिया जाएगा। आर्थिक सहायता के तौर पर 5,000 करोड़ रुपये दिए गए।
- विद्युतीकरण निगम 10 प्रतिशत ऋण देगा। आर्थिक सहायता के तौर पर 5,000 करोड़ रुपये दिए गए।

ग्रामीण विद्युतीकरण की एक नई परिभाषा

तय की गई है। नए मानदंड के अनुसार एक गांव तब विद्युतीकृत माना जाएगा जब -

- वहां वितरण ट्रांसफार्मर व वितरण लाईन आदि मूलभूत ढांचा उपलब्ध हो। गैर-पारंपरिक ऊर्जा उपलब्ध कराने के लिए वितरण ट्रांसफार्मर जरूरी नहीं है।
- ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूल, पंचायत, कार्यालय, स्वास्थ्य केंद्र, डिस्पेंसरी, सामुदायिक केंद्र और अन्य सुविधाओं में बिजली उपलब्ध हो और
- गांव में कुल घरों की संख्या के कम से कम 10 प्रतिशत घरों का विद्युतीकरण हो गया हो।

इन मानकों के आधार पर गांव को विद्युतीकृत करने के नए मापदंडों के आधार पर कहा जा सकता है कि ग्रामीण विद्युतीकरण की यह अवधारणा नई नहीं है।

पिछले विद्युतीकरण कार्यक्रम कई कारणों से अधिक सफल नहीं हुए। इनमें समुचित वितरण और ट्रांसमिशन व्यवस्था का अभाव और कई राज्यों के विद्युत बोर्डों की दोषपूर्ण कार्य-प्रणाली शामिल हैं।


विशेषज्ञों के अनुसार ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में यदि पंचायतीराज संस्थाएं प्रभावी रूप से शामिल होतीं तो आज तस्वीर ही कुछ और होती। इसलिए सही मायने में यह प्रधानमंत्री राजीव गांधी को श्रद्धांजलि है जिन्होंने ग्रामीणों की सामाजिक-आर्थिक दशा सुधारने के लिए पंचायतीराज संस्थाओं को नई जिंदगी दी।

लेकिन राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के क्रियान्वयन में इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि बिजली के वितरण स्तर पर बाधाओं को दूर किया जाना चाहिए।

विशेषज्ञ कहते हैं कि विद्युत सेक्टर में वितरण और ट्रांसमिशन स्तर पर अत्यधिक बर्बादी एक बड़ी समस्या है।

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत ग्रामीण और अर्द्धग्रामीण आबादी को उचित दाम पर बिजली उपलब्ध कराने में ट्रांसमिशन और वितरण के नुकसान में कमी होनी चाहिए। □

आम आदमी का कंप्यूटर



कंप्यूटर प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक बड़ा कदम उठाते हुए भारतीय वैज्ञानिकों ने नए मोबाइलडेस्कटॉप कंप्यूटरों का निर्माण किया है जो बाजार में उपलब्ध उत्पादों के मुकाबले सस्ते हैं तथा बैटरी से चालित हैं। इनके लिए बिजली की जरूरत नहीं होती है।

ये उत्पाद इंकोर सॉफ्टवेयर की साझेदारी में वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा चलाए जा रहे नई सहस्राब्दी भारतीय प्रौद्योगिक नेतृत्व की शुरुआत के अंतर्गत विकसित किए गए हैं।

इस पद्धति में पारंपरिक पर्सनल कंप्यूटरों के सभी अनिवार्य गुण होंगे। जैसे, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, व्यक्तिगत सूचना प्रबंधक, ई-मेल तथा वेब-ब्राउजर। इसमें संगीत और सिनेमा सुलभ होगा, टेक्स्ट से स्पीच में बदलने की सुविधा होगी और स्थानीय भाषा समर्थन प्राप्त होगा। अभी इसमें कन्डू और मराठी भाषाएं उपलब्ध हैं तथा तमिल और तेलुगु पर कार्य प्रगति पर

है। इसका वजन 500 ग्राम होगा। इसमें हार्ड डिस्क नहीं होगा। परंतु अंदर बना मेमोरी और निजी भंडारण हेतु मेमोरी कार्ड लगाने की सुविधा होगी और उससे अधिक बिल्ट-इन-मेमोरी का प्रावधान होगा। इसमें खेल नहीं होंगे।

इसके तीन माडलों का विकास किया गया है। मूल मॉडल जिसे सॉफ्ट कॉम्प कहा जाता है, में 15 इंच के मानीटर समेत डेस्कटॉप होगा जिसकी कीमत 10,000 रु. से कम होगी। दूसरे मॉडल, मोबाइल्स को डेस्कटॉप की तरह उपयोग किया जा सकता है। यह एक नए ढोने वाले डिब्बे में आता है जो डेस्कटॉप स्टैंड की तरह खुलता है। इसके साथ एक की बोर्ड है जिसे उपयोग करने वाले कहीं जाते समय लपेट कर इस डिब्बे के एक पाउच में रख सकते हैं।

इसकी कीमत 10,000 रु. से 15,000 रु. के बीच होगी। तीसरा मॉडल मोबाइल बायरलेस है जिसकी कीमत 15,000 रु. से 20,000 में बीच आएगी। □

वित्तमंत्री ने महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयकर छूट की सीमा बढ़ाई

अब बचत बैंक के खाताधारी, महिला ले सकते हैं। वित्तमंत्री पी. चिदंबरम ने सभी बचत खाते को नकद लेनदेन पर 0.1 प्रतिशत कर से मुक्त कर दिया है और व्यक्तियों और कंपनियों द्वारा चालू और अन्य खातों के लिए नकद निकासी की सीमा क्रमशः 25,000 रुपये और एक लाख रुपये तक बढ़ा दी है।

महिलाओं और 65 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयकर छूट की सीमा को एक लाख रुपये से बढ़ाकर 1.25 लाख रुपये कर दिया गया है जबकि वरिष्ठ नागरिकों (65 वर्ष से अधिक) के लिए इसे 1.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 1.85 लाख रुपये कर दिया गया है। लोकसभा ने बजट में शामिल प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर प्रस्तावों को लागू करते हुए वित्त विधेयक, 2005 को ध्वनि मत

फ्रिंज बेनीफिट कर

- व्यक्ति और हिंदू संयुक्त परिवार फ्रिंज बेनीफिट कर से मुक्त।
- औषधि, सॉफ्टवेयर, होटल और भवन निर्माण कारोबारी को फ्रिंज बेनीफिट कर में रियायत, वाहन और कुछ अन्य सुविधाओं की लागत पर कर 20 प्रतिशत के स्थान पर 5 प्रतिशत।
- कारपोरेट कर की दर में एक से लेकर 1.5 प्रतिशत की वृद्धि।

नकद निकासी कर

मूल प्रस्ताव

- एक दिन में 10,000 रुपये से अधिक की सभी नकद निकासी पर 0.1 प्रतिशत कर।

संशोधित

- बचत बैंक खाते से निकासी पूरी तरह मुक्त।
- चालू खाते से व्यक्तिगत और संयुक्त हिंदू परिवार के लिए अधिकतम सीमा 25,000 रुपये और कंपनियों के लिए एक लाख रुपये।
- कंपनियों के लिए निकासी की सीमा में 10 गुणा वृद्धि के बाद एक लाख रुपये निर्धारित।

से पारित कर दिया।

वित्तमंत्री ने प्रचार पर आने वाली लागत को फ्रिंज बेनीफिट कर से मुक्त कर दिया है। उन्होंने कंपनियों द्वारा दिए जाने वाले वाहन, टेलीफोन, क्लब की सदस्यता, छात्रवृत्ति जैसे लाभों पर कर कायम रखा है। होटल, औषधि उत्पादन, सॉफ्टवेयर और भवन निर्माण से जुड़े कारोबारियों के लिए वाहन और आतिथ्य सत्कार पर पहले से लागू 20 प्रतिशत फ्रिंज बेनीफिट कर को घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है। अधिकांश लागत शीर्षों पर आधार मूल्य को 50 प्रतिशत से घटाकर 20 प्रतिशत कर दिया गया है।

कुछ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में सुधार लाते हुए वित्तमंत्री ने लैपटॉप और इससे जुड़े मॉनीटर, कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट और माउस के आयात पर 7 प्रतिशत अतिरिक्त सीमा

शुल्क लागू किया है। उन्होंने मोबाइल फोन के उत्पादन के लिए उपयोग में आने वाले कंप्यूटरों पर लागू 4 प्रतिशत प्रतिरोधी कर को समाप्त कर दिया है।

चीनी उद्योग के फायदे को ध्यान में रखते हुए वित्तमंत्री ने शीरे पर विशेष उत्पाद शुल्क 1,000 रुपये प्रतिटन से घटाकर 750 रुपये प्रतिटन कर दिया है। मछली पकड़ने के लिए उपयोग में आने वाले नायलॉन जाल के आयात पर प्रतिरोधी कर को 15 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है। सोया प्रोटीन पर उत्पाद शुल्क को 16 प्रतिशत से घटाकर 8 प्रतिशत कर दिया गया है। वित्तमंत्री ने कृषि बीमा योजना के प्रीमियम को सेवा कर से मुक्त कर दिया है। इसी प्रकार की योजना - राष्ट्रीय कृषि बीमा के प्रीमियम पर सेवा कर की छूट पहले से ही लागू है।

मूल्यांकन का आधार

श्रेणी	मूल	संशोधित
मनोरंजन	50	20
आतिथ्य	50	20
विक्रय संवर्धन और प्रचार*	50	20
कर्मचारी कल्याण**	50	20
वाहन, पर्यटन और यात्रा	20	20
होटल, खानपान और ठहराव	20	20
टेलीफोन	10	20
पर्व-त्यौहार	50	50
क्लब सदस्यता	50	50
छात्रवृत्ति	100	50

* किसी सौजन्य के माध्यम से विज्ञापन पर आने वाली लागत राशि शामिल नहीं।

** वैधानिक दायित्वों के लिए किया गया मुगलान शामिल नहीं।

- फिक्स्ड डिपोजिट की निकासी बैंक खाते में स्थानांतरण द्वारा करने पर कर मुक्त, नकद निकासी पर कर।

आयकर सीमा

- वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयकर की छूट की सीमा प्रतिवर्ष 1.5 लाख रुपये के स्थान पर 1.85 रुपये।
- महिलाओं के लिए आयकर पर छूट की सीमा 1.25 लाख रुपये प्रतिवर्ष के स्थान पर 1.35 लाख रुपये।

अप्रत्यक्ष कर

- शीरे पर विशेष कर 1,000 रुपये प्रतिटन के स्थान पर 750 रुपये।
- कृषि बीमा योजना का प्रीमियम सेवा कर से मुक्त।
- सोया प्रोटीन पर उत्पाद कर 16 प्रतिशत के स्थान पर 8 प्रतिशत।
- लैपटॉप, सीपीयू, माउस और मॉनीटर पर 7 प्रतिशत अतिरिक्त सीमा शुल्क।
- मोबाइल फोन उत्पादन में प्रयुक्त कंप्यूटर पर 4 प्रतिशत प्रतिरोधी कर समाप्त। □

(योजना संपादकीय टीम (अंग्रेजी और हिंदी) द्वारा संकलित)

सीमा विवाद सुलझाने के लिए निर्देशक सिद्धांत

नि

देशक सिद्धांत में कहा गया है कि भारत-पाकिस्तान अपने समग्र तथा दीर्घकालिक हितों के मद्देनजर सीमा विवाद का 'राजनीतिक समाधान' करना चाहते हैं। दोनों सरकारों के बीच हुए समझौते की विषयवस्तु इस प्रकार है:

पाकिस्तान के राष्ट्रपति तथा भारत के प्रधानमंत्री ने (राष्ट्रपति मुशर्रफ की) यात्रा से उत्पन्न अवसर का उपयोग भारत-पाकिस्तान संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा करने के लिए किया। उन्होंने सकारात्मक दृष्टि से प्रगति का मूल्यांकन किया तथा आपसी संबंधों में हासिल गत्यात्मकता को और बढ़ाने का दृढ़ निर्णय व्यक्त किया।

उन्होंने 6 जनवरी, 2004 को जारी संयुक्त प्रेस वक्तव्य तथा न्यूयॉर्क में आपसी बैठक के बाद 24 सितंबर, 2004 को जारी संयुक्त वक्तव्य में व्यक्त वचनबद्धताओं की पुनर्पुष्टि की और तब से अब तक दोनों देशों के बीच शांति प्रक्रिया में हुई प्रगति पर संतोष जाहिर किया।

दोनों नेता सुधरे हुए संबंधों से हासिल ऐतिहासिक अवसर के प्रति जागरूक थे तथा उन्होंने सभी मुद्दों पर विस्तृत बातचीत की। इस बात पर वे दृढ़मत थे कि शांति प्रक्रिया को अब उलटा नहीं जा सकता।

दोनों नेताओं ने जम्मू-कश्मीर मामले

पर विचार-विमर्श किया तथा गंभीरतापूर्वक और अग्रगामी तरीके से इस वार्ता को जारी रखने का निर्णय लिया ताकि इसका अंतिम रूप से निबटारा किया जा सके।

बातचीत से दोनों नेता संतुष्ट थे तथा उन्होंने इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का दृढ़संकल्प व्यक्त किया ताकि शांति प्रक्रिया के लाभ उनके नागरिकों को मिल सके।

उन्होंने विभाजित परिवारों के लिए पूर्वनिर्धारित मिलन स्थलों, व्यापार, तीर्थयात्रा तथा सांस्कृतिक आदान-प्रदान सहित वास्तविक नियंत्रण रेखा के दोनों तरफ संवाद और सहयोग बढ़ाने के उपाय करने पर भी सहमति जताई।

उन्होंने श्रीनगर-मुजफ्फराबाद बस सेवा को अवरुद्ध करने के प्रयासों की भर्त्तना की तथा इसे सफलतापूर्वक चलाए जाने का स्वागत किया। दोनों नेताओं ने शपथ ली कि वे आतंकवाद को शांति प्रक्रिया में रोड़े अटकाने नहीं देंगे।

उन्होंने बस सेवा की बारंबारता बढ़ाने का निर्णय लिया तथा यह भी निर्णय किया कि व्यापार वर्द्धन के लिए ट्रकों को भी इस मार्ग का उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी।

उनमें पुंछ तथा रावलकोट सहित अन्य मार्ग खोलने पर भी सहमति हुई। उन्होंने अमृतसर और लाहौर तथा ननकाना साहिब जैसे धार्मिक स्थलों के लिए बस

सेवा शीघ्र शुरू किए जाने की संभावना व्यक्त की। खोखरापार-मुनाबाओ मार्ग को पहली जनवरी, 2006 तक फिर से खोलने पर भी उन्होंने सहमति जाहिर की। उन्होंने मुंबई तथा कराची में स्थित दोनों देशों के कौंसुलेट जनरल को वर्षात से पहले-पहले खोल देने पर भी सहमति व्यक्त की।

सरकीक और सियाचीन के मामले में उन्होंने मौजूदा संस्थागत तंत्र को तत्काल बातचीत करने का निर्देश दिया ताकि दोनों मामलों का शीघ्रतापूर्वक तथा दोनों देशों को परस्पर स्वीकार्य समाधान निकाला जा सके।

इस बात पर भी सहमति हुई कि दोनों देशों के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री इस क्षेत्र में पाइपलाईन के मामले में सहयोग की संभावना तलाशने के लिए मई में मिलें।

दोनों नेता इस बात पर एकराय थे कि आर्थिक तथा व्यावसायिक सहयोग बढ़ाने से दोनों देशों के नागरिकों की समृद्धि बढ़ेगी तथा इस क्षेत्र में खुशहाली आएगी। दक्षिण एशिया के इन दो प्रमुख अर्थतंत्रों को इस क्षेत्र की अधिकाधिक समृद्धि के लिए काम करना चाहिए।

दोनों नेताओं ने संयुक्त आर्थिक आयोग को फिर से सक्रिय करने का निर्णय लिया। वे इस बात पर भी सहमत थे कि संयुक्त व्यापार परिषद को शीघ्र बैठक करना चाहिए। □

सीमा विवाद के हल के लिए निर्देशक सिद्धांत

यह भारत और चीन की सरकारों के बीच राजनैतिक दायरे तथा भारत-चीन सीमा विवाद के हल के लिए निर्देशक सिद्धांतों के बारे में दोनों देशों की सरकारों के बीच हुए समझौते का मूल पाठ है।

यह समझौता भारतीय गणराज्य की सरकार तथा चीन की पीपल्स रिपब्लिक सरकार के बीच हुआ है (अर्थात् इसमें ये दोनों ही पक्ष हैं)।

यह विश्वास प्रकट किया गया कि भारत और चीन के बीच शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व, परस्पर सम्मान और एक दूसरे की चिंताओं, आकांक्षाओं के प्रति संवेदनशीलता तथा समानता के पांच सिद्धांतों पर आधारित दीर्घावधि सकारात्मक तथा सहयोगपूर्ण भागीदारी विकसित करना दोनों देशों के लोगों के मौलिक हितों के अनुकूल होगा।

दोनों देश विवादों का शांतिपूर्ण तरीके से न्यायोचित, युक्तिसंगत और परस्पर स्वीकार्य हल खोजते हुए सभी क्षेत्रों में और सभी स्तरों पर द्विपक्षीय सहयोग को गुणात्मक स्तर तक बढ़ाने के इच्छुक हैं।

वास्तविक नियंत्रण रेखा के आसपास भारत-चीन सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति बनाए रखने के बारे में 7 सितंबर, 1993 को हुए समझौते और वास्तविक नियंत्रण रेखा के आसपास भारत-चीन सीमा पर स्थित सैन्य क्षेत्रों में विश्वास निर्माण के उपायों के संबंध में 29 नवंबर, 1996 को हुए समझौते पर कायम रहने तथा इनके क्रियान्वयन का वायदा दोहराते हैं।

भारत और चीन के बीच संबंधों और समग्र सहयोग के लिए तय सिद्धांतों के संबंध में 23 जून 2003 को हस्ताक्षरित घोषणा की पुनः पुष्टि करते हैं।

यह बात पुनः दोहराई जाती है कि दोनों पक्षों ने भारत-चीन सीमा मुद्दे के हल के लिए कार्ययोजना की संभावनाएं तलाशने के लिए विशेष प्रतिनिधियों की नियुक्ति की है और दो विशेष प्रतिनिधि दोस्ताना, सहयोगपूर्ण और सकारात्मक वातावरण में विचार-विमर्श कर रहे हैं।

दोनों पक्ष अपने संपूर्ण और दीर्घकालीन

हितों को ध्यान में रखते हुए सीमा विवाद का राजनैतिक समाधान चाहते हैं।

दोनों पक्ष इस बात से सहमत हैं कि सीमा विवाद शीघ्र हल हो जाने से दोनों देशों के मौलिक हितों की रक्षा होगी, अतः इस दिशा में तीव्रता से कदम बढ़ाए जाने की जरूरत है।

निम्नलिखित राजनैतिक मानदंडों और सीमा मुद्दे के हल के लिए निर्देशक सिद्धांतों पर सहमति हुई:

अनुच्छेद 1

सीमा मुद्दे पर मतभेदों का असर बढ़ाते द्विपक्षीय संबंधों पर नहीं पड़ने दिया जाना चाहिए। दोनों पक्ष शांतिपूर्ण और दोस्ताना तरीके से सलाह-मशविरा करके सीमा विवाद को सुलझाएंगे। कोई भी पक्ष एक-दूसरे के प्रति किसी भी प्रकार की सैनिक कार्रवाई नहीं करेगा या ऐसी कार्रवाई की धमकी नहीं देगा। सीमा विवाद के अंतिम समाधान से भारत और चीन के बीच अच्छे पड़ोसी और मित्रतापूर्ण संबंधों को बढ़ावा मिलेगा।

अनुच्छेद 2

दोनों पक्षों को शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के पांच सिद्धांतों के अनुरूप, व्यापक द्विपक्षीय राजनैतिक संबंधों के जरिए बराबर की भागीदारी वाले विचार-विमर्श से सीमा मुद्दे का न्यायोचित, युक्तिसंगत और परस्पर स्वीकार्य हल निकालना चाहिए।

अनुच्छेद 3

दोनों पक्ष परस्पर हितों को ध्यान में रखते हुए आपसी समझबूझ के साथ सीमा मुद्दा हल करने के उद्देश्य से अर्थपूर्ण और परस्पर स्वीकार्य दृष्टिकोण अपनाएं। सीमा समझौता भारत-चीन सीमा से जुड़े सभी क्षेत्रों के संबंध में



बारह समझौते

- सीमा मसले के हल के लिए राजनैतिक दायरे और मार्गदर्शक सिद्धांत पर समझौते।
- 4,000 किमी लंबी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर निर्माण की प्रक्रिया पर प्रोटोकॉल।
- समग्र विकास और आर्थिक सहयोग पर भारत-चीन संयुक्त अध्यक्ष दल की रिपोर्ट।
- कस्टम मामलों में परस्पर प्रशासनिक सहयोग पर समझौता।
- नागरिक उड़डयन पर सहमति का ज्ञापन।
- भारत से अंगूर निर्यात के लिए पौधस्वास्थ्य नियमों पर प्रोटोकॉल।
- विदेशी मामलों की भारतीय परिषद और विदेशी मामलों के चीनी संस्थान के बीच सहमति का ज्ञापन।
- भारत-चीन वित्त वार्ता के लिए सहमति का ज्ञापन।
- बाढ़ के मौसम में सतलुज-लांगछन नदी से जलस्तर के आंकड़े देने पर सहमति का ज्ञापन।
- भारत-चीन फिल्म सहयोग आयोग पर प्रोटोकॉल।
- चीनी शहर लियोंग में भारतीय झैली के बौद्ध मंदिर निर्माण पर सहमति।

होना चाहिए और यह अंतिम होना चाहिए।

अनुच्छेद 4

दोनों पक्ष एक दूसरे के सामरिक और युक्तिसंगत हितों तथा परस्पर और समान सुरक्षा के सिद्धांत को पूरा महत्व देंगे।

अनुच्छेद 5

दोनों पक्ष ऐतिहासिक सबूतों, राष्ट्रीय भाषाओं, व्यावहारिक कठिनाइयों और तर्क संगत चिंताओं तथा दोनों पक्षों की संवेदनशीलता तथा सीमा क्षेत्रों की वास्तविक स्थिति का पूरा ध्यान रखेंगे।

अनुच्छेद 6

दोनों देशों के बीच सुस्पष्ट और प्राकृतिक तथा भौगोलिक दृष्टि से आसानी से पहचाने जाने योग्य सीमा पर परस्पर सहमति बने।

अनुच्छेद 7

सीमा समझौता करते समय दोनों देश सीमावर्ती क्षेत्रों में बसे अपने लोगों के हितों की पूरी रक्षा करेंगे।

अनुच्छेद 8

सीमा संबंधी अंतिम समझौते के तहत तयशुदा दायरे के अंदर सीमा की रूपरेखा आधुनिक कार्टोग्राफिक और सर्वेक्षण सुविधाओं तथा संयुक्त सर्वेक्षण जैसे उपायों के तहत तय की जाएगी।

अनुच्छेद 9

सीमा मुद्दे का अंतिम हल होने तक दोनों देशों को वास्तविक नियंत्रण रेखा का कड़ाई से पालन करना चाहिए और इसे बनाए रखने तथा सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति के लिए मिलकर काम करना चाहिए। भारत-चीन संयुक्त कार्य दल और भारत-चीन राजनयिक तथा सैन्य विशेषज्ञ दल, वास्तविक नियंत्रण रेखा के स्पष्टीकरण हेतु और विश्वास निर्माण के उपायों के कार्यान्वयन सहित 7 सितंबर, 1993 और 29 नवंबर, 1996 के समझौतों के तहत अपने कार्य करते रहेंगे।

अनुच्छेद 10

सीमा मुद्दा हल करने हेतु इस सीमा मुद्दे संबंधी विशेष प्रतिनिधि मामले में सहमति का एक दायरा तय करने की दिशा में विचार-विमर्श जारी रखेंगे, जो भारत-चीन सीमा की रूपरेखा का आधार बनेगा और बाद में इसे दोनों पक्षों के सैन्य और नागरिक अधिकारियों तथा सर्वेक्षकों द्वारा अपने हाथ में लिया जाएगा।

अनुच्छेद 11

यह समझौता हस्ताक्षर होने की तिथि से लागू हो जाएगा और इसमें दोनों पक्षों के बीच परस्पर लिखित सहमति के साथ संशोधन किया जा सकता है तथा अन्य बातें जोड़ी भी जा सकती हैं।

11 अप्रैल, 2005 को नई दिल्ली में हिंदी, चीनी और अंग्रेजी भाषाओं में दो-दो प्रतियों में हस्ताक्षर किए गए और ये तीनों पाठ समान रूप से प्राधिकृत हैं। किसी तरह की भिन्नता होने पर, अंग्रेजी पाठ को प्रबल माना जाएगा। □

(भारतीय गणराज्य की सरकार की ओर से एवं चीन की पीपल्स रिपब्लिक सरकार की ओर से नई दिल्ली, 11 अप्रैल, 2005)

STANDARD IX is where your child's future begins.

Do you see a budding engineer – or perhaps a doctor – in your ninth grader? Do you worry about his or her future? Public exams, college admissions, graduation, a career... the very thought of what lies ahead can be overwhelming.

No one understands that better than Brilliant. That is why our Professors have created two very special courses for Students of Stds. IX and X.



Target-IIT and Target-MBBS.
Firm beginnings for happy endings.

Brilliant's unique Target Courses are – as their names suggest – especially created for students whose long term aim is to try for Engineering or Medicine. They build, in each child, the foundation, the logical problem-solving approach, the confidence and the attitude so essential to succeed in difficult competitive exams. They pave a solid pathway for those who are serious about preparing for IIT-JEE or Medical Entrance, after Std. XII. And more importantly, they bring alive science and maths in a way that awakens and inspires the latent scientist – or doctor – in each child. This results, quite naturally, in better performance in the Std. X public exams.

To know more about Brilliant's Courses
– Call, write, fax or e-mail

**BRILLIANT®
TUTORIALS**

Your Gateway to Success

Box: 4996-YOH, 12, Masilamani Street,
T. Nagar, Chennai 600 017.

Phone: 044-24342099, Fax: 044-24343829
e-mail:enquiries@brilliant-tutorials.com

BRILLIANT'S POSTAL COURSES OPEN FOR:

- IIT-JEE (2 Yr. Elite & 1 Yr. course)
- MBBS Ent. (2 Yr. CBSE & 1 Yr. course) • AIEEE/BITSAT
- MCA Ent. • GATE
- IAS • ESE • CSIR-UGC (NET) EXAM
- UGC (NET) EXAM (Humanities)
- GEOLOGISTS' EXAMINATION 2005 • GRE • TOEFL

उधमपुर के लिए रेलगाड़ी से कश्मीर घाटी और करीब आई

नई रेलगाड़ी आर्थिक प्रगति, शांति और समृद्धि के नए युग की शुरुआत है - प्रधानमंत्री

○ राकेशरेणु

अबरार रहमानी

कश्मीर घाटी और देश के अन्य भागों के बीच की दूरी पाठने के लिए सरकार ने एक और कदम उठाया है। गत 13 अप्रैल को प्रधानमंत्री ने 54.85 किमी. लंबी जम्मू-उधमपुर रेल लाइन को देश को समर्पित किया तथा उधमपुर और नई दिल्ली के बीच सप्ताह में तीन बार चलने वाली उत्तर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस को झंडी दिखाकर रवाना किया।

इस परियोजना को सबसे पहले 1981-82 में पूर्व प्रधानमंत्री स्व. इंदिरा गांधी ने स्वीकृत किया था। उन्होंने 1983 में उधमपुर में इसकी आधारशिला रखी थी। आरंभ में इस परियोजना की अनुमानित लागत महज 50 करोड़ रुपये थी, लेकिन विलंब के कारण यह लागत बढ़कर 460 करोड़ रुपये हो गई।




डा. मनमोहन सिंह ने कहा कि इस परियोजना के पूरा होने से कश्मीर घाटी का भारत से संबंध और मजबूत होगा। उन्होंने कहा कि धमकियों के बावजूद उनकी सरकार राज्य में आर्थिक परिवर्तन लाने के प्रति संकल्पबद्ध है और सरकार शांति और प्रगति का लक्ष्य प्राप्त करना सुनिश्चित करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि इससे लोगों को न केवल सस्ती यात्रा का विकल्प मिलेगा, बल्कि पर्यटन क्षेत्र को भी भारी बढ़ावा मिलेगा। फलत: इससे राज्य की अर्थव्यवस्था में भी उछाल आएगा।

54.85 किमी. लंबी जम्मू-उधमपुर रेल लाइन के समूचे मार्ग में कुल 22 सुरंगें हैं। भव्य जम्मू-श्रीनगर-बारामूला रेल लिंक परियोजना के इस भाग में कुल 36 प्रमुख तथा 122 छोटे पुल भी हैं। इस खंड पर जम्मू तवी, बजाल्टा, सांगर, मनवल, रामनगर तथा उधमपुर - ये छह स्टेशन हैं। □

(लेखक क्रमशः योजना (हिंदी) और योजना (उर्दू) के सहायक संपादक हैं)

जम्मू-उधमपुर रेल संपर्क

- प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 13 अप्रैल, 2005 को जम्मू तवी-उधमपुर रेल लाइन को देश को समर्पित किया।
- मार्ग की कुल लंबाई : 54.85 किमी।
- परियोजना 1981-82 में स्वीकृत की गई।
- तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने 14 अप्रैल, 1983 को आधारशिला रखी।
- अनुमानित परियोजना लागत : 515 करोड़ रुपये।



जम्मू तवी उधमपुर के बीच रेलगाड़ी के उद्घाटन के अवसर पर उधमपुर रेलवे स्टेशन तथा ओवरपास पर खड़े गांववासी।

आप हमारे साथ परिश्रम करें, हम आप पर आपसे ज्यादा परिश्रम करते हैं।

इतिहास रजनीश राज



रजनीश सर पत्थर में
छिपी मूर्ति की सम्भावना
को तराशने की कला
जानते हैं।

Manoj Tewari
62nd Rank :UPSC-2002
Marks in History : 358



इतिहास में पढ़ा था कि
हर्षवर्धन को कार्य करने से ही
उर्जा मिलती थी। रजनीश सर
को देखकर ही लगा कि ऐसा
भी संभव है।

Alok Tewari
Selected for D.S.P. (UP) 2001



Ashok Kr. Yadav
पराणीय शक संवा, 2003-04



Kaushilendra Kumar
Rank 118, 2004-05

पिछले वर्ष हमारे यहाँ से 15 छात्रों ने 325 से 360 के बीच अंक प्राप्त किए।

P.T.

तथ्यों के अम्बार से नहीं, तकनीकी स्तर पर तैयारी। कैसे?

- प्रति अध्याय प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति का विश्लेषण और टेस्ट।
- प्रत्येक 3 टॉपिक पर एक टेस्ट।
- प्राचीन/मध्यकालीन और आधुनिक भारत पर पृथक टेस्ट।
- ग्रोत/प्रशासन/समाज/अर्थव्यवस्था/धर्म/संस्कृति प्रत्येक पर पृथक टेस्ट।
- कक्षा समाप्त होने पर पूरे पाठ्यक्रम पर टेस्ट
- प्रत्येक अध्याय का विशद विश्लेषण।
- पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों के आधार पर पुनरावलोकन।

मेन्स

हम आपको प्रशासक बनाते हैं, इतिहासकार नहीं। कैसे?

- इतिहास के साथ ही इतिहास दर्शन का विश्लेषण।
- पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र सहित प्रति अध्याय 10 प्रश्नों के उत्तर की संरचनागत व्याख्या।
- मॉडल उत्तर लिखावाना।
- सावधिक और आकर्षिक टेस्ट।
- पुनरावलोकन के लिए पृथक कक्षा।
- मैप और लघुउत्तरीय प्रश्न पर विशेष बल।
- पिछले वर्षों के सफल विद्यार्थियों के मॉडल उत्तर उपलब्ध।

सामग्री :- मेन्स और P.T. दोनों के लिए उच्चस्तरीय एवं परीक्षोपयोगी सामग्री।

- पढ़ाई व लेखन सम्बन्धी रणनीति पुस्तिका।
- प्रश्न पत्र संकलन।

निःशुल्क कार्यशाला 10 जून प्रातः 10 बजे से

निबन्ध के लिए 20 जुलाई को निःशुल्क कार्यशाला

नामांकन प्रारम्भ

632, Mukherjee Nagar, Delhi-9
(Near Aggarwal Sweets)

9873399588



SIHANTA
IAS

सूचना के अधिकार का विधेयक पारित

यह शासन के एक नए युग का प्रारंभ करेगा : प्रधानमंत्री

सं

सद ने सभी भारतीय नागरिकों को लोक दस्तावेजों तक बेहतर पहुंच देते हुए एक महत्वपूर्ण विधान अधिनियम लागू किया है जो शासन, निष्पादन और दक्षता के एक नए युग का प्रारंभ करेगा। ऐसी घोषणा प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा की गई है।

लोकसभा द्वारा अनुमोदित प्रारूप में सरकार में प्राप्त 150 संशोधनों के बाद यह विधेयक ध्वनिमत से पारित किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि “सरकारी सेवकों सहित प्रत्येक को इसे ‘सकारात्मक सोच’ के साथ देखना चाहिए न कि सरकार को पंगु बनाने हेतु एक कठोर नियम के रूप में।” श्री सिंह ने कहा कि वे चाहते हैं कि नौकरशाही इस विधेयक को सरकार - नागरिक इंटरफेस में सुधार के एक औजार के रूप में देखो जिसका परिणाम मैत्रीपूर्ण, ध्यान रखने वाले प्रभावी प्रशासन के रूप में हो। उन्होंने कहा कि सभी वर्गों तक सूचना के प्रवाह में वृद्धि का लाभ भ्रष्टाचार समाप्त करेगा और शासन की सभी प्रक्रियाओं के प्रति सामान्य जन की चिंतायें शामिल करेगा।

प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कैद की सजा को हटा दिया है। यद्यपि सूचना प्रदान करने में विफलता की स्थिति में उन पर विभागीय कार्रवाइयां

किया जाना जारी रहेगा। उन्होंने कहा, “इसका अधिक व्यापक दायरा है जिसमें केंद्र और राज्य सरकारें, पंचायतीराज संस्थाएं, स्थानीय निकाय और सरकारी अनुदान प्राप्त करने वाले समिल हैं।” श्री सिंह ने कहा कि वे चाहते हैं कि राज्य सरकारें पहल करें और राज्य सूचना आयोग की स्थापना करें।

उन्होंने कहा कि इस कदम की महत्वपूर्ण बात केन्द्रीय और राज्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति द्वारा प्रस्तावित निष्पक्ष अपील क्रियाविधि थी। यह निष्पक्ष अपील क्रियाविधि वृहद उद्घाटनों, दायित्वों और सञ्चालनों के साथ मिलकर बेहतर शासन हेतु एक प्रभावी औजार निर्मित करता है।

इस विधेयक के अंतर्गत सूचना तक पहुंच व्यापक न्यूनतम अपवादों के साथ, जिसे लोक लाभ परीक्षण के आधार पर, जब सूचना जारी करने का लाभ इसके उद्घाटन से होने वाली हानि से अधिक हो, छोड़ा जा सकता है। प्रधानमंत्री ने राज्यसभा में भी समान विचार व्यक्त किए जिसने इस विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। □

सूचना शक्ति

- केंद्र तथा राज्य स्तर पर सूचना आयोग गठित किए जाएंगे।
- यह सरकारी गोपनीयता अधिनियम के दायरे से बाहर होंगे। यदि सुरक्षा प्राप्त व्यक्तियों को होने वाली क्षति से जनरुचि अधिक महत्वपूर्ण हो तो आयोग सूचना अभिगम की अनुमति प्रदान करेंगे।
- सुरक्षा, रणनीतिक, वैज्ञानिक अथवा आर्थिक महत्व के मामलों, विदेशों से संबंध अथवा अपराधों के मामले में हुई प्रगति के बारे में मत्रिमंडलीय विचार-विमर्श तथा सूचनाओं को छोड़कर सभी वर्गों की छूट प्राप्त सूचनाओं का खुलासा 20 वर्ष की अवधि गुजरने पर किया जाएगा।
- गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को मुफ्त सूचनाएं प्रदान की जाएंगी। अन्य वर्गों से तर्कसंगत शुल्क लिया जाएगा।
- इसके दायरे में सरकार द्वारा कोष प्राप्त करने वाली स्वयंसेवी संस्थाएं भी रहेंगी।
- सूचना के लिए अनुरोधों को कम करने के लिए तत्काल सूचना उपलब्ध कराना सरकार का उत्तरदायित्व है।
- सूचनाएं उपलब्ध कराने के लिए अधिकतम समयावधि 30 दिन निर्धारित की गई है; लेकिन यदि सूचना का संबंध किसी व्यक्ति के जीवन अथवा स्वतंत्रता से हो, तो यह समय सीमा 48 घंटे की होगी।
- खुफिया तथा रक्षा संगठन इसके दायरे से बाहर हैं, बशर्ते मांगी गई सूचना का संबंध भ्रष्टाचार अथवा मानवाधिकारों के उल्लंघन संबंधी आरोपों से न हो।
- बिना किसी तर्कसंगत कारण के सूचना उपलब्ध कराने में विलंब के लिए प्रतिदिन 250 रुपये तथा अधिकतम 25,000 रुपये दंड का प्रावधान।

सूचना नकारे जाने की स्थिति में अपील कैसे करें

- पहली अपील जन सूचना अधिकारी के विरुद्ध अधिकारी से करें।
- दूसरी अपील सूचना आयोग से करें।
- तीसरी अपील उच्च न्यायालय में करें।

RAO IAS

No. 1 institute for Civil Services Exams

LUCKNOW

Director: Anshuman Dwivedi

» Pre-cum-Mains & Mains » हिन्दी और English Medium

Batch from 28th June 05 » Boys & Girls Hostel Available

2 years advance batch, with foundation course basically for under graduates

Restructured & Redesigned study schedules for : Mains (2005) and Pre-cum-Mains (2006)

Subjects: **History :** Anshuman Dwivedi - History, minus its political gossips and communal slants finds a unique place in preparation for the Civil Services. It has been comprehensively mastered by Anshuman Dwivedi who has scored very high marks in the subject and also has a unique distinction of clearing the U.G.C. (NET). Examination with History four times. His able guidance has helped candidates to score nearly 80% marks in History in the mains.

Ved Sir, is considered by students to be a HUMAN COMPUTER in his field. His rich classroom interaction virtually ensures that nearly 95-100 questions are covered during the course.

Sushil Pandey, is U.G.C. (J.R.F.), has appeared for I.A.S. Interview for 2002. Topped M.A. (History) L.U. He ensures U.G.C. aspirants a high rate of success.

Sociology : Ajai Shukla - He is teaching his 26th batch for Civil Services at RAO IAS. Earlier he has been teaching at Allahabad & Varanasi thus bringing his long and distinguished experience to candidates offering Sociology.

Pol. Science : Brijesh Shukla - An alumnus of Allahabad University now teaching his 20th Batch for Civil Services aspirants. Simply the best in Pol. Science both for U.G.C. and Civil Services.

Pub. Ad. : N. P. Singh - Pub. Ad. becomes graphic to the Students in his guidance.

Naveen K. Singh - Bringing his rich treasure of experience in Pub. Ad. A successful PCS candidate of 2002 batch whose guidance has helped students score high marks.

Geography by Anurag Pathak & Saurabh Srivastava

Economics by Dharmendra Singh.

Psychology by Alpana Rastogi & Archna Shukla

Zoology by Subhash Tripathi

Philosophy by D. Singh, N. K. Singh & Shukla Sir

भाषा विज्ञान के लिए २५ दिन का विशेष पैकेज

UGC (JRF/NET) batches also available.

PCS (J) & APO batches also available with full packages

G.S. by 12 members team from Delhi, Allahabad & Lucknow.

Special lectures by senior **IAS/IPS** and senior **columnist** of leading news papers form part of the guest faculty at RAO IAS. Classes in G.S., Essay, Pub. Ad. are regularly taken by them. Social issues and interview sessions are almost wholly covered by our distinguished Guest Faculty.

CALENDAR OF EVENTS - 2005 - 06.

I Batch of Pre-Cum-Mains & Mains (advance) starts from 24th of May 2005. II Batch from 28th June 2005. IIIrd Batch 26th July 2005.

Mains Course for IAS/PCS starting from within 7 days of the declaration of the Prelims Results.

Prelims - 2006(IAS/PCS) Ist Batch from 1st Nov. 2005. IIInd Batch 6th Dec. 2005.

IAS/PCS/PCS(J)- Interview within a week of declaration of respective results. Intensive 15 days sessions including S.W.O.T. & Videography.

**Add: 20, Ravindra Garden, Sec. E, Aliganj, Lucknow. Ph.: 0522-2331548, 9335247918
H.O.: 14/1 Stainley Road opposite Lok Seva Aayog, Allahabad. Ph.: 0532-2601624**

एचएमटी धान की उन्नत किस्म

पैं सठ वर्षीय दादाजी रामजी खोबरागाडे महाराष्ट्र में चांदीपुर जिले के नाघबिड तालुक में नांदेड नामक एक छोटे से बन गांव में पले हैं। उन्होंने खराब आर्थिक स्थिति के कारण तीसरी कक्षा में ही स्कूल छोड़ दिया। खेती के काम में भी हाथ बंटाना उनके लिए जरूरी हो गया था। वर्तमान में अपने परिवार का बह अकेला कमाऊ सदस्य हैं। उनके परिवार में उनका बेटा (जो अपने खराब स्वास्थ्य के कारण कुछ भी नहीं कमाता), उनकी पुत्रवधु और तीन पौत्रियां हैं। उनके पास 1.5 एकड़ जमीन है तथा 12,000 रुपये उनकी वार्षिक आय है। इस समय दादाजी रामजी उस तीन एकड़ भूमि को भी जोतते हैं जो कभी उनके पुत्र को एक रिश्तेदार ने दी थी। अपने पुत्र की बीमारी के कारण उन्हें दो एकड़ जमीन बेचनी पड़ी थी। अपने सात सदस्यीय परिवार की मदद के लिए कभी-कभार वह दिहाड़ी श्रमिक के रूप में भी काम करते हैं।

वर्ष 1983 में दादाजी रामजी को 1.12 एकड़ खेत में लगाई गई धान की 'पटेल 3' किस्म की फसल में पीले बीजों वाली धान के तीन स्पाइक दिखाई दिए। इसे सामान्यतः 'लाम्ब' के नाम से जाना जाता है। इन तीनों स्पाइकों की वह अपने घर ले आए और एक प्लास्टिक के थैले में संजो कर रख दिया। अगले साल उन्होंने इन पीली किस्म के बीजों को अलग से अपने खेत के बीच में बो दिया। चूंकि उनका खेत जंगल के नजदीक था इसलिए उन्होंने कंटीली झाड़ियों से घिरे खेत के बीच में चावल की पौध की रोपाई की ताकि उसे सुअर और अन्य जंगली जानवरों से बचाया जा सके। इसके अच्छे उत्पादन को देखकर उन्होंने बीजों को सुरक्षित रख लिया। अगले वर्ष उन्होंने इन बीजों की अलग से खेती की जिनसे करीब 10 किलोग्राम धान

प्राप्त हुए। इनसे निकाले चावल को जब उन्होंने पकाया तो वे पटेल किस्म से ज्यादा स्वादिष्ट निकाले।

1998 में उन्होंने 10 फुट × 10 फुट क्षेत्र में चार किलोग्राम बीज रोपित किए और 400-450 किग्रा. चावल का उत्पादन किया। अगले साल 100-150 किग्रा. बीज बोए गए जिनसे 50 बोरी धान का उत्पाद हुआ। उसमें से उन्होंने नागपुर के एक व्यापारी को बीज (40 बैग) बेच दिए। चूंकि इस किस्म का नाम मालूम नहीं था, इसलिए व्यापारी ने इन बीजों को सोना के नाम से खरीद लिया। शीघ्र ही इस नयी किस्म को स्थानीय लोगों की मांग पर उन्होंने वितरित करना शुरू कर दिया।

1990 में नांदेड के एक बड़े जर्मांदार भीमराव शिंदे ने 150 किलोग्राम बीज खरीदकर चार एकड़ जमीन में बो दिया। उसे 90 बोरियां फसल प्राप्त हुईं जो उन्होंने तालोडी के एक व्यापारी को बेच दिया। चूंकि उस समय एचएमटी घड़ियां लोकप्रिय थीं, इसलिए उसने इस किस्म का नाम एचएमटी रख दिया। तब से इसका एचएमटी नाम पड़ गया।

धान की किस्म

दादाजी रामजी ने जेएनकेवी कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर के डॉ. जे.पी. पटेल द्वारा विकसित उस समय की लोकप्रिय परंपरागत किस्म 'पटेल' की जगह चावल की एचएमटी किस्म का उत्पादन किया है। उन्होंने अपने एक छोटे से खेत में पांच वर्ष तक वैज्ञानिक समुदाय के किसी तरह के सहयोग के बगैर लगातार अध्ययन और शोध करके यह सफलता हासिल की है। इससे प्रति हेक्टेयर औसतन 40-45 किंवंतल फसल प्राप्त होती है जिसमें पहले की किस्मों से ज्यादा चावल (80 प्रतिशत), अच्छी सुगंध और अच्छी कुकिंग क्वालिटी है।

वर्तमान स्थिति

दादाजी रामजी ने इस किस्म के संबंध में धान अनुसंधान केंद्र से संपर्क किया, लेकिन उन्होंने उनके इस अनुसंधान को मान्यता देने से इंकार कर दिया, क्योंकि यह वैज्ञानिक शोध और तकनीकों पर आधारित नहीं थी। लेकिन 1993 में नांदेड की ग्राम पंचायत ने इस किसान के काम को मान्यता देने और धान के बीज के उत्पादक के रूप में पहचान दिलाने के लिए एक प्रस्ताव पास किया। पहली बार उन्हें सार्वजनिक मान्यता तब मिली जब चिमेरा चुनाव क्षेत्र के तत्कालीन संसद सदस्य (1993) विलासराव मुतैन ने 1994 में नांदेड में इंदिरा गांधी की प्रतिमा के उद्घाटन के समय उन्हें बधाई दी। समाचारपत्रों में उनके काम की सराहना छपने पर चंद्रपुर के कलेक्टर की ओर से पंजाबराव कृषि विद्यापीठ (कृषि विश्वविद्यालय, अकोला) को भेजे गए पत्र ने उन्हें पहले डा. मोघे से और बाद में अनुसंधान निदेशालय, पीकेवी, अकोला से मान्यता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

विदर्भ क्षेत्र के ज्यादातर किसानों ने अब इस किस्म को उगाना शुरू कर दिया है क्योंकि इससे उन्हें अच्छा मूल्य प्राप्त होता है तथा उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। यह देखा भी जा सकता है। दादाजी रामजी का कहना है, "उनकी घास-फूस की छतें अब टाइल की छतों में परिवर्तित हो गई हैं जो खुशहाली का प्रतीक है।" इस किस्म का अब आंध्र प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में विपणन हो रहा है।

एक कटु अनुभव

1994 में खोबरागाडे से सिंदेवाही राइस स्टेशन ने संपर्क किया जो कि पंजाबराव कृषि विद्यापीठ का एक हिस्सा है। इस संस्था ने प्रयोग के तौर पर इस नई किस्म का पांच किलोग्राम बीज लिया। लेकिन 1998 में उन्होंने

पीकेवीएचएमटी नाम से एक नई किस्म जारी कर दी। उन्होंने दावा किया कि खोबरागाडे की किस्म अशुद्ध थी और उन्होंने स्थानीय एचएमटी का शुद्धीकरण करके पीकेवीएचएमटी के नाम से इसका नया स्वरूप जारी किया है। खोबरागाडे के अनुसार किस्मों दोनों में कोई खास अंतर नहीं है।

औपचारिक विज्ञान द्वारा अनौपचारिक उपलब्धियों को मानने से इंकार करने की रिपोर्ट द हिन्दू समाचारपत्र में प्रकाशित हुई। इस रिपोर्ट के अनुसार पंजाबराव देशमुख कालेज ऑफ एग्रीकल्चर, नागपुर में वनस्पति विज्ञान के सहायक प्रोफेसर श्री ए.जी. देशमुख ने, जो कि इससे पहले सिंदेवाही राइस स्टेशन में सीनियर राइस ब्रीडर थे, स्पष्ट किया कि एचएमटी का मूल चयन किसान ने किया था। लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि “हमने महसूस किया कि यह एचएमटी एक मिश्रण है और इसे शुद्ध करने की जरूरत थी। किसान से बीज प्राप्त करके हमने शुद्धीकरण कर दिया।”

किसान सालोंसाल व्यक्तिगत रूप से पौध चयन नहीं कर सकते। किसानों के तरीकों में प्राकृतिक क्रांसिंग के कुछ अवसर आते हैं। आशीष कोठारी और अन्य सामाजिक कार्यकर्ताओं ने महसूस किया कि विश्व-विद्यालय ने दादाजी रामजी के साथ न्याय नहीं किया। कई पत्रकारों ने उनके प्रयासों के बारे में लिखा और उन्हें अधिक मान्यता की बात कही। मुंबई की एक पत्रकार मीना मेनन ने एनआईएफ को दादाजी रामजी के संघर्ष के बारे में लिखा कि उन्हें एक लाभदायक शोध के लिए औपचारिक व्याख्या ने पर्याप्त मान्यता नहीं प्रदान की है।

नागपुर की एक गैरसरकारी संस्था ‘विकल्प’ ने दिसंबर 2002 में दादाजी रामजी के शोध की विस्तृत सूचना संलग्न करते हुए एनआईएफ को लिखा। उन्होंने 1983 से 2001 तक के घटनाक्रम का सिलसिलेवार व्यौरा पेश किया।

दादाजी रामजी को शिकायत है कि अब यह नया बीज 1,200 रु. प्रति किंवंटल बेचा जा रहा है। मुझे इससे क्या प्राप्त हुआ? सरकार मुझे किसी भी तरह के क्रेडिट से वंचित रखना चाहती है और जिस किस्म को जारी करने का वे दावा करते हैं वास्तव में वह मेरे जैसी ही है।” (द हिन्दू, 17-6-2001)

एक अदम्य उत्पाह

लेकिन अपने इस अनुभव के बाद भी दादाजी रामजी वही करते हैं जिससे उन्हें खुशी मिलती है। वह अपने पिता के पदचिन्हों पर चल रहे हैं। उनके पिता को फसलों के चयन और ब्रीडिंग की आदत थी जिसे युवा दादाजी ने हमेशा देखा और बाद में स्वयं यह काम किया। उनके पिता दानों को अपने हाथ में लेकर एक विशेषज्ञ की तरह रगड़ते थे और क्वालिटी की जांच के लिए टूटे हुए दानों को गिन लेते थे। यह युवक नई किस्म की खेती के विचार से इस प्रकार प्रभावित था कि इसकी उसे धुन सी लग गई। वह नई किस्मों को पॉलीथीथन के बैगों में सावधानीपूर्वक पैक करके अपने मित्रों को दिखाता।

अपने प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए खोबरागाडे ने पिछले 20 सालों में एचएमटी के अलावा सात और किसी तैयार की हैं जिनके नाम हैं - चिन्नौर, नांदेड़ 92, नांदेड़ हीरा, डीआरके, विजय नांदेड़, दीपक रत्न और

2001 में बगौर नाम की एक नई किस्म। इन नई किस्मों से प्रति एकड़ 15-16 किंवंटल की फसल प्राप्त होती है। इन आठ किस्मों में से विजय नांदेड़ प्रति एकड़ 25 बैग और एचएमटी प्रति एकड़ 20 बैग की दर से वाणिज्यिक दृष्टि से सफल रही है। एक किस्म थोड़ी सी सुगंध वाली है। खोबरागाडे ने एक अन्य किस्म का नाम स्वयं पर डीआरके रखा है। बच्चों की तरह गर्व के साथ वह फ्रेम की हुई और लेबल लगाई हुई किस्में प्रदर्शित करते हैं।

साथ ही उन्हें आशा है कि उन्हें अपनी खोज का पुरस्कार जरूर मिलेगा। उनका कहना है कि पुरस्कार की राशि से वह एक पंपसेट और बैलों की एक जोड़ी खरीदेंगे क्योंकि वर्तमान में उन्हें किराये के बैलों से खेती करनी पड़ती है। वह अपने जीर्ण-शीर्ष घर की हालत भी सुधारना चाहते हैं। अपने उद्देश्य के बारे में उनका कहना है कि वह दूसरे किसानों के साथ अपने विचारों का आदान-प्रदान करना चाहते हैं। वह महसूस करते हैं कि यदि अन्य कृषक खेतों में काम करने का उनका तरीका अपनाएं तो इससे फसल की ज्यादा पैदावार होगी तथा अच्छा मूल्य प्राप्त होगा। □

यदि पाठकों को ऐसे किसी व्यक्ति के बारे में जानकारी हो जिसने स्थानीय प्रौद्योगिकीय समस्या को क्रियात्मक तरीके से हल किया है या वे ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हैं जो उत्तरजीविता के किसी भी क्षेत्र में बहुत अच्छा परंपरागत ज्ञान रखते हैं, कृपया इसका विवरण या संपर्क सूचना सीसी (एस एंड डी), एनआईएफ, पोस्ट बॉक्स 15051, अम्बावजी, अहमदाबाद- 380015 को भेजें या infoenifindia.org पर ई-मेल करें।

‘योजना’ का जुलाई अंक

प्रिय पाठक,

‘योजना’ का जुलाई अंक स्वास्थ्य पर केंद्रित होगा। अग्रणी लेखकों और स्वास्थ्य विशेषज्ञों के लेख इस अंक में होंगे। इसमें स्वास्थ्य बीमा, समन्वित स्वास्थ्य, टेली मेडिसिन, चिकित्सकीय पर्यटन सहित स्वास्थ्य के विभिन्न पक्षों पर विस्तृत लेख शामिल किए जाएंगे। कृपया अपनी प्रति सुरक्षित करा लें।

आरथा का केंद्र बनारस

○ मनीष श्रीवास्तव

भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति के योगदान रहा है उनमें से एक है असी, वरुण तथा गंगा के टट पर बसा नगर बनारस। बनारस की सुबह में बनारस की आत्मा बसती है। जब ब्रह्म मुहूर्त (प्रातः 3 से 5 बजे) में स्थानीय लोगों का हुजूम गंगा स्नान के लिए उमड़ता है तो गंगा टट का दृश्य अनोखा ही होता है। तट से दूर किनारे पर धूनी रमाये साधुओं और उनके मुह से निकलते हर-हर महादेव का जयघोष स्नान करते लोग तथा मंदिरों में होने वाले मंत्रोचार एवं घंटे की आवाज उस धुंधलके में नई जान डालती है।

प्राचीन काल में काशी के नाम से विख्यात इस नगर को आज वाराणसी अथवा बनारस के नाम से भी संबोधित किया जाता है। काशी नगर 25.18 डिग्री उत्तर अक्षांश एवं 83.1 डिग्री पूर्वी देशांतर पर अवस्थित है। दैव नगरी के नाम से मशहूर इस स्थल की पवित्रता एवं आध्यात्मिक महत्व के बारे में वर्णन करते हुए वेदों में लिखा गया है: मरणं मंगलम् यत्र अर्थात् जहां पर मृत्यु को प्राप्त करना भी शुभ है। हिन्दुओं के लिए सदियों से पवित्र रहा यह स्थान भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति और विकास के एक केंद्र के रूप में आज भी अपने सदियों पुरानी सांस्कृतिक एकता को मजबूती प्रदान करने की भूमिका में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। अग्नि पुराण, पद्म पुराण, कर्म पुराण, मत्स्य पुराण, लिंग पुराण, स्कंध पुराण इत्यादि में भी काशी का वर्णन प्राप्त होता है। स्कंध


पुराण में एक खंड का नामकरण ही काशी खंड है। महाभारत में अनुशासन पर्व और विषय पर्व तथा रामायण में भी काशी का जिक्र किया गया है।

समय-समय पर लिखे गए कई ऐतिहासिक दस्तावेजों में भी काशी का जिक्र मिलता है जिनमें जे. इवीन, (1886), एम.ए. शेरिंग (1868), ई.बी. हावेल (1905), ए.एस. अलते कर (1937) प्रमुख हैं। रांची विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध मानवशास्त्री डा. एल. पी. विद्यार्थी के साथ माखन झा एवं बी.एन. सरस्वती ने काशी का मानवशास्त्रीय अध्ययन कर सक्रेड काम्पलेक्स आफ काशी नाम के शोध प्रबंध की रचना की है।

काशी के ऐतिहासिक घटनाओं को यदि हम देखें तो यहीं जैनों के सातवें तीर्थकर स्पर्शनाथ और 23वें तीर्थकर पार्वतनाथ का जन्म हुआ। 240 ईसा पूर्व में सप्तांश अशोक ने काशी की यात्रा की थी। 5वीं शताब्दी में फाहान, 7वीं शताब्दी में हवेन्सांग, 12वीं शताब्दी में रामानुजाचार्य, 1294 ई. में संत ज्ञानेश्वर, 1469 ई. में गुरु नानकदेव, 1478 ई. में वल्लभाचार्य तथा 1485 में चैतन्यदेव इत्यादि ने यहां की यात्रा की अथवा यहां निवास

किया था। सन् 1697 में राजा सवाई जयसिंह ने यहां एक वेधशाला की स्थापना की थी।

बनारस ने अपने आधुनिक विकास की यात्रा 1794 ई. में प्रारंभ की जब बनारस म्युनिसिपल बोर्ड का गठन हुआ, 1862 ई. में यह शहर मुगलसराय से रेल मार्ग द्वारा जुड़ा, 1887 में रेल सड़क मार्ग पुल का निर्माण हुआ जो पहले डफरिन पुल तथा बाद में मालवीय पुल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। 1897 में एनी बेसेंट द्वारा सर्वप्रथम हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई फिर 1920 में महात्मा गांधी ने काशी विद्यापीठ की आधारशिला रखी, 1928 में इस शहर में सर्वप्रथम बिजली ने अपने पग रखे। इस प्रकार अनवरत विकास की यात्रा इस शहर में आज भी जारी है।



आस्था के केंद्र रहे हैं। गंगा के टट पर लगभग 71 घाट हैं जिनमें कुछ का धार्मिक महत्व है तो कुछ का ऐतिहासिक। प्रसिद्ध सत्यवादी राजा हरिशंचल ने अपना सब कुछ महर्षि विश्वामित्र को दान कर दिया था और उसके बाद जब उनका शरीर मात्र ही अपना बचा तो उसे भी यहीं

I.A.S./P.C.S. 2005

सर्वाधिक लोकप्रिय, अंकदायी एवं सशक्त विषय

उनके लिए – जो सिविल सेवा की तैयारी प्रारम्भ कर रहे हैं, और उनके लिए भी जो सुधार चाहते हैं।

दर्शनशास्त्र

द्वारा - धर्मेन्द्र कुमार

धर्मेन्द्र कुमार के विशेषज्ञतापूर्ण एवं सारगर्भित मार्गदर्शन में संस्थान ने अपनी स्थापना के पश्चात दर्शनशास्त्र को लेकर सिविल सेवा के क्षेत्र में लगातार सफलता के नवीन प्रतिमानों को स्थापित किया है तथा इसे एक सुरक्षित, विश्वसनीय एवं सर्वाधिक अंकदायी विषय के रूप में प्रतिष्ठित किया है।

I.A.S. 2004 RESULTS

NAME	RANK
1. SHALINI AGGARWAL	22nd
2. VIKRANT PANDEY	63rd
3. R.K. BHARDWAJ	76th
4. K.K. NIRALA	110 th
5. DEEPAK KUMAR	150th
6. SUKESH KUMAR JAIN	151st
7. OM PRAKASH CHAUDHARY	153rd
8. VACHASHPATI TRIPATHI	180th
9. NISHTHA TIWARI	219th
10. ANAND KUMAR	237th
11. AAKASH DEWANGAN	263rd
12. MAHESH KUMAR	321st
13. AKHILESH KUMAR	361st
14. DARA SINGH MEENA	417th

राजनीति विज्ञान

द्वारा - जितेन्द्र कृष्ण

- आपके श्रम व प्रतिभा को सही आकार एवम् दिशा देने के लिए
- राजनीति विज्ञान के उचित मार्गदर्शन की शून्यता को भरने के लिए

कक्षा-कार्यक्रम

दर्शनशास्त्र
(प्रथम बैच)

23 मई

(समय: 8.30 प्रातः)
(निःशुल्क परिचर्चा- 23-24 मई)

PHILOSOPHY
(SEPARATE BATCH)
ENGLISH MEDIUM

23 May

(Time 11.00 A.M.)

दर्शनशास्त्र
(द्वितीय बैच)

16 जून

(समय: 5.30 सायंः)

राजनीति
विज्ञान
प्रथम
बैच

1 जून

(समय: 5.30 सायंः)

(निःशुल्क कार्यशाला 29, 30, 31 मई)
समय : 5.00 से 7.30 सायंः)

राजनीति
विज्ञान
द्वितीय
बैच

21 जून

नामांकन प्रारम्भ - 16 मई



PATANJALI

2580, हडसन लाइन, किंग्जवे कैम्प, दिल्ली-110009 फोन : 011-30966281

वैबसाइट : www.patanjaliias.com, E-mail : pir@patanjaliias.com

मोबाइल : 9810172345

सलाह, सहयोग, समर्थन-दर्शन प्रसार एवं अनुसंधान केन्द्र

बेच दिया था। इसी घाट पर उन्होंने अपनी पत्नी से अपने पुत्र की चिता जलाने के लिए 'कर' की मांग कर अपनी स्वमिभवित एवं कर्तव्यपरायणता की अनोखी मिशाल पेश की थी। इसी प्रकार पंचघाट जिसका निर्माण आमेर के राजा मानसिंह ने करवाया था, इस क्षेत्र में सबसे ऊँची जगह पर निर्मित है जिस कारण यहां से पूरे काशी का अवलोकन किया जा सकता है। कहते हैं कि इसी घाट पर पंडितराज जगन्नाथ ने अपनी यवन पत्नी के साथ गंगा में समाधि ले ली थी। काशी के पंचतीर्थों के अंतर्गत यहां का दशाश्वमेध घाट आता है। ऐसी मान्यता है कि यहां पर अस्सी, दशाश्वमेध, मणिकर्णिका, पंचगंगा तथा वरुणा का संगम स्थल है जहां आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक इत्यादि शहरों से आने वाले अधिकांश श्रद्धालु आते हैं।

उपरोक्त सभी घाटों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं विशिष्ट मणिकर्णिका घाट है जहां पर भगवान शिव ने विष्णु से यह प्रतिज्ञा की थी कि जिस मृत शरीर को इस घाट पर अंतिम संस्कार के लिए लाया जाएगा वह स्वर्ग का अधिकारी होगा। कहते हैं कि इसी स्थल पर स्थित एक कुण्ड में माता सती के कानों के कुण्डल की मणि गिरी थी, इसी कारण इसका मणिकर्णिका घाट हुआ। आज भी इस घाट पर प्रतिदिन औसतन 75 से 125 शवों का अंतिम संस्कार किया जाता है। इस घाट पर चिता को जलाने के लिए पवित्र अग्नि यहां के डोम राजा के अनुमति से ही प्राप्त की जा सकती है। ऐसा माना जाता है कि यहां के डोम राजा, हरिश्चंद्र के पूर्व स्वामी के वंशज हैं जिन्होंने उन्हें अपने यहां नौकर के रूप में रखा था। प्रतिदिन देशभर के विभिन्न भागों से अपने परिजनों की अस्थियां कलशों में ले गंगा में प्रवाहित करने के लिए लोग यहां आया करते हैं।

हिन्दुओं की धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह नगर भगवान शिव के त्रिशूल पर बसा

हुआ है। यह भारतीय ज्ञान एवं दर्शन का प्रमुख स्थल रहा है। यहां का ज्ञान सदियों से संपूर्ण भारत में नैतिक तौर पर मान्य रहा है। वर्तमान में पूर्णतः विकसित स्वरूप वाली भारतीय आचार-विचार, व्यवहार, ज्ञान, दर्शन, धर्म, संस्कार इत्यादि का मूल स्रोत काशी ही रहा है। विश्व के किसी भी विद्वान को अपने संप्रदाय अथवा मतों की शुद्धता एवं वस्तुनिष्ठता को प्रमाणित करने के लिए आज भी यहां आना पड़ता है। काशी के विद्वानों की अपनी अलग ही पहचान है। काशी के पंडे जहां धार्मिक क्षेत्रों में विशिष्टता रखते हैं।



वहां काशी के विद्वान तर्क एवं शास्त्रार्थ में।

वाराणसी अपने विस्तृत भू-क्षेत्र एवं मंदिरों के लिए भी प्रसिद्ध है जिसका रोमांच एवं पुण्य प्राप्त करने के लिए प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में न सिर्फ घरेलू बल्कि विदेशी सैलानी भी आते हैं। यहां के मंदिरों में सर्वप्रमुख है काशी विश्वनाथ जी का मंदिर। वाराणसी में विश्वनाथ जी के चार मंदिर हैं। आदि विश्वनाथ, विश्वनाथ मंदिर, नया विश्वनाथ एवं बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के परिसर में स्थित विश्वनाथ का मंदिर। प्रथम दो मंदिरों का संबंध ज्योतिलि ग से है। कहा जाता है कि आदि विश्वनाथ का मंदिर आरंभ में अपने प्रारंभिक स्थल पर ज्योतिलि ग के रूप में स्थापित था परंतु कालांतर में यहां का शिवलिंग वर्तमान स्थल पर स्थापित किया गया है। यह काशी के सर्वप्रमुख मंदिरों में से एक है। इसका निर्माण इंदौर की महारानी अहिल्याबाई

ने 1777 में करवाया था। कहते हैं इस मंदिर के शिखर पर सोने की जो परत लगाई गई है वह साढ़े बाईस मन (112.5 किलोग्राम) है जिसे पंजाब के महाराजा रंजीत सिंह ने 1839 में चढ़वाया था। वाराणसी की यात्रा करने वाले प्रत्येक यात्री की पहली इच्छा काशी विश्वनाथ के दर्शन की होती है।

यहां वर्षभर दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतार देखी जा सकती है। दुर्गा मंदिर भी श्रद्धालु पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है।

अन्नपूर्णा मंदिर- श्री अन्नपूर्णा मंदिर के बारे में कहा जाता है कि मां अन्नपूर्णा के वाराणसी में स्थित होने से इस नगर में कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोता। अन्नपूर्णा मंदिर के अंदर मां अन्नपूर्णा की एक भव्य मूर्ति स्थापित है जिसका दर्शन करने देश के कोने-कोने से लोग आते हैं। मां अन्नपूर्णा की एक सोने की मूर्ति भी यहां है जिसमें भगवान शंकर मां अन्नपूर्णा से भिक्षा मांग रहे हैं।

श्री विशालाक्षी मंदिर- दक्षिण भारत से काशी की यात्रा करने के लिए आने वाले अधिकांश यात्री यहां दर्शन अवश्य करते हैं। इनका मंदिर भव्य एवं आकर्षक है।

कालभैरव का मंदिर- सन् 1715 में बाजीराव पेशवा द्वारा इस मंदिर का निर्माण काशी के कोतवाल के रूप में एक रक्षक की भूमिका में किया गया था। काशीवालों के बीच यह प्रचलित धारणा है कि कालभैरव के इस मंदिर के कारण ही काशी रोगों तथा भय से मुक्त है।

श्री तुलसी मानस मंदिर- संगमरमर के पत्थरों से निर्मित इस विशालकाय मंदिर का निर्माण सन् 1964 ई. में बिड़ला द्वारा करवाया गया था। इस मंदिर की दीवारों पर तुलसी रचित रामचरित मानस की संपूर्ण कथा को चित्र के रूप में अंकित किया गया है। यह संपूर्ण मंदिर वास्तुशिल्प का अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करता है तथा यात्रियों को बरबस ही

अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। इसी प्रकार भारत माता मंदिर में भी भारत के सभी राज्यों के मानचित्रों को संगमरमर पर तराश कर बनाया गया है। यह संपूर्ण उत्कीर्णन अद्भुत प्रतिभा का परिचायक है। सैलानियों को मंत्रमुग्ध कर देने वाली यह रचना वर्षभर आकर्षण का केंद्र बनी रहती है।

बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (काशी हिंदू विश्वविद्यालय)- बनारस शिक्षा एवं ज्ञान के क्षेत्र में अपनी अनोखी उपलब्धियों के लिए प्रसिद्ध है। इसके प्रारूप में यहां काशी हिंदू विश्वविद्यालय उपस्थित है। सन् 1916 ई. में पं. मदन मोहन मालवीय द्वारा स्थापित इस विश्वविद्यालय की विश्ववृष्टि को मदन मोहन मालवीय एनीब्रेसेंट और डा. राधाकृष्णन जैसे विद्वानों ने तैयार किया था। यह एशिया का सबसे बड़ा ज्ञान केंद्र आवासीय विश्वविद्यालय है, यहां विश्व के 32 देशों के छात्रों को अध्ययन की अनुमति प्राप्त है। यहां 124 स्वतंत्र शिक्षण विभाग हैं जिनमें से कई को विशिष्ट अध्ययन केंद्र का सम्मान प्राप्त है।

बनारस अपने विशिष्ट पान के लिए देश भर में जाना जाता है। इसी प्रकार एक ओर जहां बनारस अपनी बनारसी साड़ी के लिए प्रसिद्ध है तो वहां अपनी ठंडई (शीतल पेय जैसे लस्सी, शरबत इत्यादि) के लिए भी जाना जाता है। यहां से प्रकाशित होने वाली धार्मिक पुस्तकों के कारण बनारस की कचौड़ी गली अपना विशिष्ट स्थान रखती है। शहर की गलियों का कहना ही क्या, बनारस की वास्तविक झलक और अनोखापन इन्हीं पतली-पतली अनगिनत गलियों में दिखाई देता है। काशी में परिक्रमा के बारे में भी स्कंध पुराण में विशेष उल्लेख करते हुए मानव जीवन की सफलता के लिए परिक्रमा, शादांग परिक्रमा, त्रिकंठ परिक्रमा, नवदुर्गा एवं नवगौरी परिक्रमा, अंतर्गिरी परिक्रमा, पंचकोशी परिक्रमा इत्यादि प्रमुख हैं। इन परिक्रमाओं के अवसर पर श्रद्धालुओं के अतिरिक्त बड़ी संख्या में पर्यटक भी यहां आते हैं। मलमास के अवसर पर की जाने वाली तीर्थयात्रा के दौरान संपूर्ण बनारस भक्तिमय हो जाता है।

तंग गलियों में श्रद्धालुओं की भीड़ को नियंत्रण एवं व्यवस्थित करने के लिए जिला प्रशासन को विशेष व्यवस्था करनी पड़ती है।

महाराजा रामनगर का किला- बनारस के अन्य दर्शनीय स्थलों में बनारस के दक्षिण में स्थित रामनगर का किला प्रमुख है जो गंगा के टट पर स्थित है। 1752 ई. में निर्मित इस किले में प्राचीन काल की कई पुरातात्त्विक महत्व की वस्तुओं का संग्रह है जो आम जनता के अवलोकनार्थ प्रदर्शित हैं। प्राचीन काशी नरेश के वंशज वर्तमान में इसी किले में रहते हैं।

बनारस के समीपवर्ती क्षेत्रों में और भी कई प्रमुख दर्शनीय पर्यटक स्थल हैं जिनमें बनारस से लगभग 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है प्रसिद्ध बौद्ध स्थल सारनाथ। बनारस के पास ही है चुनारगढ़ का किला, विंध्य पर्वत पर स्थित मां विन्ध्यवासिनी का प्रसिद्ध मंदिर तथा और भी कई मनोरम स्थल हैं। □

(लेखक एम्पिरिकल स्टडी सेंटर एंड डेवलपमेंट, हजारीबाग के निदेशक हैं)

उत्कृष्ट परम्पराओं के 12 वर्ष

IAS/PCS

GENERAL STUDIES. ESSAY INTERVIEW & PUBLIC ADMINISTRATION BY THE RENOWNED CONSULTANT

Mr. R.C. SINHA

BATCH START IN JUNE 05 • G.S. Essay • Public Admin.

Contact Director: AIR CONDITIONED CLASSROOM

Centre for Excellence

8-B, Elgin Road, Opposite Mishra Bhawan, Civil Lines, Allahabad.

Note- Membership through Entrance Test only Ph: 0532-2611518

भारत-चीन ने 20 खरब डॉलर के व्यापार की परिकल्पना की

भारत और चीन ने अपने संबंधों को बढ़ा कर 'रणनीतिक और सहकारी सझेदारी' बना लिया है। दोनों देश सीमा विवाद को सुलझाने के लिए राजनीतिक मानदंडों तथा निर्देशक सिद्धांतों पर सहमत हो गए हैं।

नई दिल्ली में प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह तथा मेहमान प्रधानमंत्री श्री वेन जियाबाओ के बीच बातचीत के दौरान कुल 12 समझौतों

पर हस्ताक्षर किए गए तथा व्यापार एवं आर्थिक सहयोग पर संयुक्त अध्ययन दल की रिपोर्ट को सार्वजनिक किया गया।

बायदे के अनुसार चीन ने सिक्किम राज्य को भारतीय गणतंत्र के एक भाग के रूप में स्वीकार करते हुए भारत को एक नया राजनीतिक मानचित्र सौंपा जिसमें स्पष्ट रूप से सिक्किम को भारतीय भू-भाग के एक अंग के रूप में दिखाया गया है।

दोनों देश वास्तविक नियंत्रण रेखा पर विश्वास कायम करने वाले उपायों को क्रियान्वित करने की प्रविधि पर सहमत हो गए हैं। इन उपायों में दोनों देशों की सेनाओं के बीच संपर्क बढ़ाना, योजनाबद्ध अभ्यासों की पूर्व सूचना देना, वास्तविक नियंत्रण रेखा के पूर्वी और मध्य क्षेत्र में सीमावर्ती बैठक स्थलों की संख्या बढ़ाना और आमने-सामने की स्थिति में सेना के प्रयोग को कम करना शामिल हैं।

भारत और चीन के बीच समझौता

संयुक्त वक्तव्य के अनुसार, सीमा समझौता तथा और अधिक वायुमार्ग खोलने संबंधी समझौते के अलावा


भारत और चीन के बीच 10 अन्य समझौते भी हुए। ये सभी समझौते इस प्रकार हैं: भारत और चीन के बीच तेजी से बढ़ते व्यापार से उत्साहित होकर चीन ने व्यापारिक अवरोध कम करने तथा द्विपक्षीय व्यापार को 2010 तक 30 खरब डॉलर तक बढ़ाने के लिए बहुआयामी सहयोग सहित पांच-सूत्री कार्यक्रम तैयार किया है।

संयुक्त वक्तव्य में कहा गया है कि "हमने द्विपक्षीय व्यापार को मौजूदा 13.6 खरब डॉलर से बढ़ाकर वर्ष 2008 तक 20 खरब डॉलर करने का लक्ष्य रखा है"। श्री वेन ने व्यवसायियों को बताया कि द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौते के लिए दोनों देश संयुक्त रूप से संभाव्यता अध्ययन करने पर सहमत हो गए हैं। □

दूरसंचार क्रांति

भारत में टेलीफोन की संख्या 10 करोड़ से ज्यादा हुई

- 87 प्रतिशत से अधिक गांव टेलीफोन सुविधा से जुड़े।
- दिसंबर 2004 में इंटरनेट कनेक्शनों की संख्या 54.5 लाख हुई।
- फिक्स्ड लाइन टेलीफोनों की संख्या बढ़कर 13 अप्रैल, 2005 को 58.81 मिलियन तक पहुंची जबकि 1998 में यह संस्था 17.8 मिलियन थी।
- 1.94 प्रतिशत दूरसंचार घनत्व के साथ 1998 में टेलीफोनों की कुल संख्या 1.87 करोड़ थी।
- लक्ष्य : वर्ष 2007 तक 25 करोड़ टेलीफोन और 22 प्रतिशत दूरसंचार घनत्व, 1.8 करोड़ इंटरनेट कनेक्शन और 90 लाख ब्रांडबैंड कनेक्शनों का लक्ष्य।



भारत में टेलीफोन सुविधाओं का विकास

कुल टेलीफोन (लाख)

0.08	0.10	0.33	0.98	2.15	5.07	14.88	22.81	28.53	36.29	44.96	54.62	76.54	100.27
------	------	------	------	------	------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------

दूरसंचार घनत्व (प्रति 100 व्यक्ति टेलीफोन की संख्या)


0.02	0.03	0.08	0.18	0.31	0.60	1.57	2.33	2.86	3.53	4.29	5.11	7.08	9.13
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------



■ फिक्स्ड लाइन (डबल्यूएलएल फोन सहित)

■ मोबाइल फोन

संख्या मिलियन में



सूचना प्रौद्योगिकी का हमारे जीवन में महत्व

○ ए. रंगा रेड्डी

आईटी ने दूरियों को मिटाया है। राजनीतिक, जातिगत, राष्ट्रीय मतभेदों की दीवारों को गिराया है। इलेक्ट्रॉनिक मार्केट मध्यस्थों को हटाकर उत्पादक एवं उपभोक्ता के बीच सीधा संपर्क कायम करेगा। विकासशील देशों में टेलीमार्केटिंग उन्नतिशील है। इंफोसिस, विप्रो, निट शहरी और ग्रामीण भारत दोनों में आईटी के विकास में तेजी से आगे बढ़ रही हैं। आंध्र प्रदेश सरकार ने आईटी के प्रसार में काफी रुचि ली है। साइबराबाद, बीएसएनएल, टैम्पल एवं अन्य संस्थानों की स्थापना करके प्रौद्योगिकी की उन्नति को काफी तरजीह दी है।

सूचना प्रौद्योगिकी के कारण बाजार, व्यापार एवं प्रशासन कार्य पद्धति में भारी क्रांति आई है। व्यापार क्षितिज इंटरनेट, वल्र्ड वाइड वेब (डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू) साइबर स्पेस, इंफार्मेशन, सुपर हाइवे आदि जैसे शब्दों से गुंजायमान हैं, जिसके कारण ग्राहकों से संपर्क स्थापित करने, आर्डर लेने एवं प्रक्रिया, नेटवर्किंग एवं व्यापार पद्धति के समन्वयन के तौर-तरीकों में बदलाव आ रहा है। इंटरनेट पूरे विश्व में छाया हुआ है। यह स्वनियंत्रित नेटवर्क हजारों छोटे-छोटे नेटवर्क, लाखों कंप्यूटरों एवं सूचना देने वालों लाखों मानव स्रोतों से संपर्क कायम करता है। यह एक ऐसी तकनीक है जो विस्तृत दूरियों को मिटाती है। राजनीतिक, जातिगत, राष्ट्रीय मतभेदों की दीवारों को गिराती है। प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों के पूर्वानुमान के अनुसार इंटरनेट और वल्र्ड वाइड वेब व्यावसायिक जगत की धुरी बनेगा। इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के कारण मध्यस्थों की मांग कम हो जाएगी और उत्पादक एवं उपभोक्ता के बीच सीधा संपर्क कायम होने से सौदेबाजी की लागत और उत्पाद की लागत में गिरावट आएगी। ग्राहकों एवं अपूरकों के

लिए व्यापारिक सौदेबाजी शारीरिक रूप से नजदीक आए बगैर वीडियो फोन एवं टेली कार्फँसिंग की सुविधाओं के कारण किसी भी समय, विश्व के किसी भी हिस्से में अब संभव है। संयुक्त राष्ट्र का मत है कि वर्तमान युग में दूर संचार, स्वास्थ्य कल्याण एवं साक्षरता के बढ़ते चरणों की तरह एक मानवीय अधिकार का रूप ले रहा है। अब यह बात मद्देनजर है कि 62 प्रतिशत उत्तरी अमरीकियों के पास इंटरनेट सुलभ है जिसकी संख्या अफ्रीका से एक प्रतिशत ही कम है।

सूचना प्रौद्योगिकी, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों ही उद्योग के प्रचुर मात्रा में उपभोक्ता होने के कारण बड़े पैमाने पर फलफूल रही है जो कि पाइप लाइन और विद्युत वितरण जैसे छोटे उद्योगों के आपूर्ति पक्ष को देखते हुए अतुलनीय रूप से कहीं बढ़कर है। पूर्वी अफ्रीका में इंटरनेट का प्रभावपूर्ण प्रयोग लघु उद्यमियों को लघु ऋण उपलब्ध कराने के लिए किया गया है। ऐसे ही और बहुत से नवीन प्रयास भारत की डिजीटल-डिवाइड के कारण उपजी समस्याओं के निदान में सहायक हो सकते हैं।

विकासशील देशों में सबसे निर्धन देश भी सूचना एवं संचार तकनीकों द्वारा परंपरागत समस्याओं से छुटकारा पाकर आधुनिक सूचना युग में तब्दील हो सकता है।

उपयोगिता

वितरण पद्धति में सूचना प्रौद्योगिकी का प्रौद्योगिकी का प्रभावपूर्ण प्रयोग होने से कंपनियों की लंबी सूचियां छोटी, कम समय में माल की डिलीवरी, बाजार परिवर्तन होने पर शीघ्र निर्णय, अधिक आर्डर के दबाव में कमी, अतिउत्पादन में कटौती, अनावश्यक भागदौड़ में कमी, कागजी कारवाई में कमी करने में मदद मिली है और बेहतर उत्पादन की योजना में सहायक सिद्ध हुआ है। सूचना प्रौद्योगिकी की कारण वितरण पद्धतियों में तीव्र परिवर्तन हो रहे हैं। इसके साथ-साथ खुदरा व्यापार क्रांति में भी इसका भारी योगदान रहा है, जो कि पूरे विश्व में जोर पकड़ रहा है। खुदरा व्यापार अब वैश्विक व्यापार बन गया है। खुदरा क्रांति अब खंडित को एकत्रित, स्थानीय से वैश्विक निम्न तकनीक से उच्च तकनीक प्रयोग, स्वामित्वपूर्ण पद्धति से व्यवस्थित पद्धति, थोक से खुदरा मार्क

प्रबंधक, जनव्यापार से निजी संबंधों पर आधारित व्यापार एवं व्यापार स्थल से व्यापार आकाश की ओर अपने कदम बढ़ा रही है। विकसित बाजारों में खुदरा व्यापार का स्वरूप धीरे-धीरे नेट-टेलिंग या 'ई' टेलिंग में बदलता जा रहा है। दो व्यापारों को जोड़ने में 'ई' कामर्स का प्रचलन तेजी से बढ़ता जा रहा है। विकसित देशों में टेली-मार्केटिंग उत्तरोत्तर उन्नतिशील है। इसका प्रारंभ संयुक्त राष्ट्र में 1960 के दशक के अंतिम वर्षों में वाइट एरिया टेलीफोन सर्विसेज (डब्ल्यूएटीएस) की प्रविष्टि और निकासी शुरू होने पर हुआ।

विकास

वस्तुतः वैश्विक व्यापार अब ई-व्यापार बनता जा रहा है। एक्स्ट्रा-नेट डीलरों, खुदरा व्यापारियों एवं वितरकों से भी संपर्क कायम करता है ताकि कंपनी निर्मित माल की डिलीवरी पर बेहतर नियंत्रण रख सके।

संसारभर में इंटरनेट और ई-कामर्स के प्रयोग में अत्यधिक वृद्धि हुई है। वर्ष 1993 और 1997 के दौरान इंटरनेट प्रयोगकर्ताओं की संख्या में 1 मिलियन से 20 मिलियन तक का इजाफा हुआ है। वर्ष 2001 तक इसकी संख्या 120 मिलियन तक बढ़ने की संभावना थी। वैश्विक स्तर पर इंटरनेट प्रयोग की लागत बहुत अधिक है जो कि सकल घरेलू उत्पाद का 1.3 प्रतिशत से 3.3 प्रतिशत है जो कि अनुमानतः वर्ष 2001 तक लगभग 0.5 डालर से बढ़कर 1 ट्रिलियन से भी ऊपर जा पहुंचा।

सूचना प्रौद्योगिकी व्यवसाय

भारतीयों ने वर्तमान अर्थव्यवस्था में विशेषरूप से सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में अपनी गौरवपूर्ण छाप छोड़ी है। सिलीकॉन वैली ने भारतीयों को यथेष्ट उद्यम शक्ति प्रदान की है। यदि पीछे मुड़कर देखें तो बहुत से व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं जिन्होंने शानदार सफलता अर्जित की है। उदाहरणार्थ 'इंफोसिस' ने 10,000 रुपये की पूँजी से शुरूआत की। 1 फरवरी, 2000 में इसकी क्षमता बढ़कर 66,000 करोड़ रुपये हो गई और इसके सैकड़ों प्रबंधक 1 मिलियन डालर से अधिक वेतन पाने लगे थे। दूसरी एनआईआईटी है जिसके फ्रेंचाइस (विक्रयअधिकारी) (मैकडोनल्ड के हैमबर्गर की भाँति) भारतीय व्यवसाय आकाश में 750 कंप्यूटर केंद्र, 31 देशों में फैले हुए हैं। 22 फरवरी, 2000 को अजीम प्रेमजी विश्व के पूँजीपतियों में तृतीय उच्च स्थान पर थे जो उन्होंने अपनी सॉफ्टवेयर कंपनी के पूँजीगत आधार पर पाया था। उनकी पूँजी 2,00,000 करोड़ रुपये से अधिक भी थी जो भारत के सकल घरेलू उत्पाद का 11.3 प्रतिशत थी। इस संपत्ति से प्रेमजी भारत के वित्तीय घाटे को पूरा कर सकते हैं उसके बाद भी उनके पास पूँजी शेष रहेगी।

मोबाइल प्रयोगकर्ता

सूचना प्रौद्योगिकी से सामान्य व्यक्ति से लेकर उद्यमी तक के रोजमर्झ के जीवन में असाधारण परिवर्तन आया है। मोबाइल प्रयोगकर्ताओं की संख्या वर्ष 2002 के अंत में 10.4 मिलियन से बढ़कर दिसंबर 2003 में 28.20 मिलियन तक पहुंच गई है। मोबाइल

भारतीय अर्थव्यवस्था

सभी महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर इतनी अद्यतन जानकारी
इतने कम मूल्य पर अन्यत्र दुर्लभ है



प्रमुख आकर्षण

- रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया की नई वार्षिक ऋण एवं मौद्रिक नीति, 2005-2006 • नई विदेश व्यापार नीति 2005-2006
- केन्द्रीय बजट 2005-2006 • रेलवे बजट 2005-2006 • आर्थिक सर्वेक्षण 2004-2005 • भारत 2005 • World Economic Outlook April, 2005 • Statistical Outline of India 2004-05 • सितम्बर 2004 में जनगणना आयोग द्वारा भारत की जनगणना से सम्बन्धित प्रकाशित अन्तिम आंकड़ों का समावेश • केन्द्र सरकार के विभिन्न मन्त्रालयों की वार्षिक रिपोर्ट 2004-2005 • विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट 2005 • अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की वार्षिक रिपोर्ट 2004 • Statesman's Year Book 2005
- रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया की 'मुद्रा एवं वित्त' रिपोर्ट 2003-2004 • रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया की 'भारत में बैंकिंग एवं प्रगति सम्बन्धी रिपोर्ट' 2003-2004 • विश्व व्यापार संगठन (WTO) की वार्षिक रिपोर्ट 2004 • अंकटाड (UNCTAD) की विश्व निवेश रिपोर्ट 2004 • मानव विकास रिपोर्ट 2004
- Global Development Finance 2004 • दरसवीं पंचवर्षीय योजना 2002-07 • 545 वर्सुनिष्ट (बहुविकल्पीय) प्रश्नों सहित

Book Code : 851 ◆ Pages : 248 ◆ Price : Rs. 100/-

प्रतियोगिता साहित्य

Hospital Road, Agra-3 ☎ 0562-2853400 Fax 2851568
Email: info@sbpagra.com or visit www.sbpagra.com

के नए प्रयोगकर्ताओं की संख्या में वर्ष 2003 में 1.5 मिलियन तक की औसत मासिक वृद्धि हुई है। टेलीफोन रेग्यूलेटरी अथोरिटी आफ इंडिया के अनुसार इस अभूतपूर्व बढ़ोत्तरी का प्रमुख कारण पिछले वर्षों में कर की दरों में 50 प्रतिशत की कमी है। वर्तमान समय में मोबाइल टेलीफोन शुल्क 1995 में तय की गई दरों का मात्र 5 प्रतिशत है जो कि पूरे विश्व में निम्नतम दर है।

दिल्ली और मुंबई इसके विशालतम बाजार रहे हैं। जबकि गुजरात, महाराष्ट्र, आंश्च प्रदेश, कर्नाटक एवं तमिलनाडु के राज्यों में मोबाइल फोन के प्रयोगकर्ताओं का संयुक्त आधार 8 मिलियन है जो कि सभी महानगरों की कुल प्रयोगकर्ताओं की संख्या से भी अधिक है। वर्ष 2003 के दौरान लगभग 107.5 मिलियन मोबाइल प्रयोगकर्ताओं की संख्या में इजाफा होने से यह 28.20 मिलियन तक पहुंच गई जबकि नियत लाइनों की संख्या 42.0 मिलियन थी।

रेलवे सुरक्षा एवं आरक्षण (बुकिंग)

इस कार्ययोजना के चार मुख्य उद्देश्य थे - पहला ट्रेक्शन एंड रोलिंग स्टाफ कर्षण दूसरा रेल की पटरी एवं पुल का संकेत, तीसरा संचार, चौथा धुंध दृष्टि उपकरणों की प्रयोग पद्धति, जो कि संयुक्त रूप से आर.एस.डी.ओ. और आई.आई.टी. कानपुर द्वारा प्रारंभ की गई थी। 'रक्षा कवच' के नाम से बनी 'एंटी कोलीजन डिवाइस' (ए.सी.डी.) दुर्घटना रोधी उपकरण का जांच प्रयोग सफलतापूर्वक रेलवे में पूर्ण हो चुका है। पूर्व प्रस्तावित 3,465 किमी। एवं 10,000 किमी। का कार्य प्रगति पर है। बहुचर्चित कंप्यूटरीकृत पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम (पीआरएस यात्री आरक्षण पद्धति) और अनरिजर्व्ड टिकेटिंग सिस्टम (यूटीएस) अनारक्षित टिकट पद्धति की सेवाओं के कारण यात्रियों द्वारा इसे खूब सराहा गया है। पुनः ई-टिकेटिंग पद्धति विभिन्न आरक्षण क्षेत्रों में प्रयोग में लाई जाएगी, जिसके अंतर्गत यात्री अपना आरक्षण इंटरनेट द्वारा करा सकते हैं और अपनी सीटें कंप्यूटर जनित पर्ची द्वारा आरक्षित करा सकते हैं। इसके अतिरिक्त राजधानी, शताब्दी एवं जनशताब्दी यात्री गाड़ियों के प्रस्थान में 30 मिनट से अधिक का विलंब होने की स्थिति में यात्री जब चाहें, अपने मोबाइल फोन पर एसएमएस के जरिए इस बारे में सूचना प्राप्त कर सकते हैं।

पीडीएस में ई-गवर्नेंस

महाराष्ट्र के अकोला जिले में जनवितरण पद्धति में भ्रष्टाचार शामिल होना एक आम बात है। राशन कार्ड धारकों की संख्या इतनी ज्यादा नहीं है जितनी फर्जी नाम से सरकारी भंडार गृहों से राशन लेने वालों की। इसका कारण नकली एवं फर्जी बने राशन कार्डों का बड़ी तादाद में होना बहुत सारे राशन कार्डों को बिना मालिकों के नाम के दर्ज करना है। वर्ष 2000 के प्रारंभ में फर्जी राशन कार्डों की जांच हेतु सामूहिक रूप से घर-घर जाकर सर्वेक्षण करने के लिए एक विशाल अभियान चलाया गया। विभिन्न तहसीलों में जिला आपूर्ति कार्यालयों में लगाए गए कंप्यूटरों में मुद्रित आंकड़े प्रविष्ट कराए गए। इसको

DESTINATION IAS ACADEMY

IAS/ PCS (Pre-CUM-Mains - 2005-06)

U.G.C. / NET / SLET

भूगोल

द्वारा

संजय सिंह

लेखक : क्रॉनिकल भूगोल

सामान्य अध्ययन

/G.S. द्वारा

कैलाश मिश्रा

संजय सिंह, डी आचार्य

प्रवीण किशोर

FREE WORKSHOP

Subject	Date	Time
सामान्य अध्ययन	12 June	10.00 am.
General Study	12 June	1.00 pm.
राजनीति विज्ञान	13 June	10.00 am.
Pol Science	13 June	1.00 p.m.
इतिहास	14 June	10.00 am.
समाज शास्त्र/ Socio	15 June	10.00 am.

समाज शास्त्र /
Sociology द्वारा
प्रवीण किशोर

First Time By
Technocrat
9868595298

इतिहास
डी आचार्य

(के दक्ष निर्देशन में)
फाउडेशन कोर्स के
लिए नामांकन आरंभ
**Maximum Output
in Minimum Input**

राजनीति विज्ञान / Pol. Sci.
द्वारा कैलाश मिश्रा

मुख्य संपादक : ट्रेण्ड एनैलिसिस

- भारतीय अर्थव्यवस्था
- भारत में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी
- बदलते हुए परिदृश्य में भारत की विदेश नीति

**किन्हीं दो विषयों पर विशेष छूट,
पत्राचार सुविधा उपलब्ध**

**at B-12, COMMERCIAL COMPLEX
DR. MUKHERJEE NAGAR, DELHI-9**

Mob. : 9868080491, 9868338235

काफी प्रभावी प्रचार मिला। क्षेत्रीय और ग्रामीण इलाकों में सर्वेक्षण के पश्चात दुकानों के आधार पर फार्म देने की व्यवस्था की गई। सर्वेक्षण के दौरान एकत्रित किए गए आंकड़ों और रजिस्टरों में दर्ज राशन कार्डों की तुलना की गई और फर्जी राशन कार्डों को हटा दिया गया। अब सरकार को प्रत्येक वर्ष कम-से-कम 50-60 मिलियन की कुल बचत जिला आपूर्ति कार्यालय से होती है।

किसान एवं ई-चौपाल

मध्य प्रदेश का एक किसान शिकागो के बोर्ड आफ ट्रेड की वेबसाइट पर लोगोंन करता है। वह सोयाबीन की संभावित कीमतों का पता लगाना है। शिकागो बोर्ड के मूल्यों में गिरावट से यहां भी गिरावट आती है, वहां की कीमत बढ़ती है तो यहां भी बढ़ती है। ग्रामीण क्षेत्र से लिए गए हिंदी शब्द से बनी संकल्पना ई-चौपाल है। 'ई' शब्द किसानों के लिए पीसी एवं इंटरनेट कनेक्शन को दर्शाता है। यह उनको मौसम की स्थिति की पूर्ण जानकारी, मिट्टी की जांच, तकनीक एवं अन्य विशिष्ट जानकारियां उपलब्ध कराता है जिससे उत्पादकता में भी वृद्धि होती है। ई-चौपाल एक विकासशील राष्ट्र का मॉडल प्रस्तुत कर सकता है जो कि उदारीकरण का नया स्वरूप है।

आईटी पार्क

आंध्र प्रदेश की सरकार ने आईटी पार्कों के निर्माण पर अत्यधिक जोर दिया है जोकि प्रोत्साहन राशि एवं कार्य पहल की भावना के प्रावधान के तहत निर्मित किए जाएंगे। इस सूत्रपात के मुख्य लक्षण हैं : आईटी पार्क रिहायशी, व्यावसायिक, शैक्षणिक एवं औद्योगिक क्षेत्रों में बगैर किसी रूपांतरण राशि के भुगतान के बनाए जा सकते हैं। 30 लाख वर्गफुट से अधिक क्षेत्र में बने आईटी पार्क इस नीति का लाभ उठाकर वर्ष 2001 और वर्ष 2002 के दौरान निर्मित किए जाने की आशा है। सरकार ने हाईटेक सिटी के निर्माण, हेतु संसार के अद्भुत ढांचा निर्माण करने को उत्प्रेरित किया है। साइबराबाद में प्रस्तावित

अंतरराष्ट्रीय अड्डे के समीप हार्डवेयर पार्क की स्थापना के लिए आधारभूत ढांचा निर्माण की भी योजना है। इसके लिए 50,000 एकड़ से अधिक क्षेत्र में हाईटेक सिटी के चारों ओर फैले क्षेत्र को साइबराबाद का नाम दिया गया है। इसके साथ ही संसार के विशिष्टतम क्षेत्रों में आईटी ढांचे का निर्माण करने का प्रोत्साहन देकर विकास की ओर कदम बढ़ाया है।

सरकार सूचना प्रौद्योगिकी के फायदों को प्रचारित कर राज्य के अन्य भागों जैसे विजयवाड़ा, तिरुपति एवं वारंगल में एसटीपीआई के गठजोड़ से कई खंडों में तैयार आईटी पार्कों की स्थापना को बढ़ावा देने में

आईटी ने दूरियों को मिटाया

है। राजनीतिक, जातिगत,

राष्ट्रीय मतभेदों की दीवारों को गिराया है। इलैक्ट्रॉनिक मार्केट मध्यस्थों को हटाकर उत्पादक एवं उपभोक्ता के बीच सीधा संपर्क कायम करेगा

प्रयासरत है। हैदराबाद में शहरी मध्यम वर्ग में ई-सेवा अधिक प्रचलित हो गई है। अन्य 56 कस्बों में कुल 146 केंद्रों सहित इसके टेलीफोन शुल्क, विद्युत व्यापार लाइसेंस शुल्क आदि जैसे वसूली केंद्र हैं। साथ ही नागरिकों के आवेदन पत्रों और कई विभागों के एकीकृत केंद्र हैं।

भारत संचार निगम लिमिटेड

भारत संचार निगम लिमिटेड ने इंडिया टेलीफोन कार्ड की शुरुआत की है जिसके तहत यह तिरुपति, सबरीमलाइ जैसे तीर्थस्थानों पर जाने वाले यात्रियों को टेलीफोन की विशेष रियायती दरों की सुविधा प्रदान करेगा। इसी तरह यह हज यात्रियों के लिए एक विशेष पैकेज सुविधा दे रहा है जिसके अंतर्गत सऊदी अरब के आईएसडी शुल्क में 25 प्रतिशत की रियायत दी गई है।

हज यात्रियों की व्यवस्था हेतु एयरपोर्ट टर्मिनल पर मुफ्त टेलीफोन सेवा प्रदान की गई है। आंध्र प्रदेश में बीएसएनएल एक विशेष योजना के तहत 3,000 सेल्यूलर कनेक्शन पुलिसकर्मियों को 300 रुपये मासिक किराये पर वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (बीपीएन) की मुफ्त सुविधा प्रदान कर रहा है जिससे वह अपने दायरे में मुफ्त में बातचीत कर सकेंगे।

ई-सेवा पद्धति

टीटीडी (तिरुपति देवस्थानम) प्रशासन ने श्रद्धालुओं के दर्शन का समय निश्चित करने के लिए ई-सेवा शुरू की है जो पूर्णतः सफल रही है। कल्याणम और दर्शनम की इंटरनेट बुकिंग दूरदराज के तीर्थयात्रियों में प्रचलित हो गई है। सेवा में आईटी को शामिल करने से समय एवं पैसे की काफी बचत हुई और अनुचित व्यापार की बुराइयों जैसे भ्रष्टाचार, विलंब, लापरवाही, श्रद्धालुओं की अनदेखी में कमी आई है। आने वाले वर्ष में यह श्री वेंकटेश्वर इंफार्मेशन टेक्नोलॉजी ट्रस्ट का प्रारंभ कर रहा है जो कि प्रशासन के आधुनिकीकरण, मुफ्त शिक्षा एवं अनाथाश्रमों को भोजन प्रदान करने हेतु बाल मंदिर न्यास के तहत प्रयोग में लाई जाएगी।

निष्कर्ष

आईटी ने दूरियों को मिटाया है। राजनीतिक, जातिगत, राष्ट्रीय मतभेदों की दीवारों को गिराया है। इलैक्ट्रॉनिक मार्केट मध्यस्थों को हटाकर उत्पादक एवं उपभोक्ता के बीच सीधा संपर्क कायम करेगा विकासशील देशों में टेलीमार्केटिंग उन्नतिशील है। इंफोसिस, विप्रो, निट शहरी और ग्रामीण भारत दोनों में आईटी के विकास में तेजी से आगे बढ़ रही हैं। आंध्र प्रदेश सरकार ने आईटी के प्रसार में काफी रुचि ली है। साइबराबाद, बीएसएनएल, टैम्पल एवं अन्य संस्थानों की स्थापना करके औद्योगिकी की उन्नति को काफी तरजीह दी है।

(लेखक श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय, तिरुपति के अर्थशास्त्र विभाग में प्रोफेसर हैं)

छवद्वारा द्वारा

अगले पांच वर्षों में 12,500 मेगावाट क्षमता के विद्युत संयंत्र स्थापित करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने निजी क्षेत्र की आठ फर्मों के साथ समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किया है। इन संयंत्रों में 50 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का निवेश होने की संभावना है।

● उज्जेकिस्तान के साथ समझौता

भारत और उज्जेकिस्तान ने शिक्षा, व्यापार तथा रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर किया है। रक्षा क्षेत्र में आतंकवाद का मुकाबला करने तथा संयुक्त सैनिक अभ्यासों पर जोर रहेगा।

● केंद्रीय मंत्रिपरिषद ने भारत-नेपाल समझौता तथा भारत-रूस के बीच अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में सहयोग संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर करने के निर्णय को स्वीकृति प्रदान कर दी है।

● केंद्र सरकार ने प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम में संशोधन का अनुमेन कर दिया है। इससे केंद्र को राज्य सरकारों के केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण तथा राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरणों को जब कभी आवश्यक हो समाप्त करने के अनुरोध पर विचार करने का अधिकार हासिल हो जाएगा।

● अर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति ने वर्ष 2005-06 के लिए खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ा दिया है।

● उत्तर प्रदेश सरकार ने 1000 मेगावाट क्षमता वाली अनपारा 'सी' बिजली परियोजना की बिजली के वितरण को निजी बोली लगाने वालों को बेचने संबंधी प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है।

● जम्मू-कश्मीर सरकार ने डिचित मूल्य पर खादों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उनकी बिक्री

और भंडारण का निजीकरण करने का निर्णय लिया है। राज्य के कृषि एवं सहकारिता मंत्री अब्दुल अजीज ज़रगर ने बताया कि खाद की बिक्री को नियंत्रण मुक्त करने से बाजार में प्रतिस्पर्द्धा तथा गुणवत्ता में वृद्धि होगी तथा खाद वितरण में व्याप्त कुप्रबंधन से निजात मिलेगा।

● ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन आरंभ किया गया

सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत की है। इससे चालू स्वास्थ्य कार्यक्रमों को समन्वित करने तथा उन्हें दबाइया और अन्य सुविधाएं प्रदान करने के साथ-साथ प्रत्येक गांव में एक समर्पित स्वास्थ्यकर्मी की व्यवस्था रखने की व्यवस्था गांवों में स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाया जाएगा। पहले चरण में जम्मू-कश्मीर सहित उत्तर तथा मध्य भारत और पूर्वोत्तर के दस राज्यों पर जोर दिया जाएगा।

इस राष्ट्रीय मिशन के तहत पानी, स्वच्छता तथा पोषण को स्वास्थ्य के साथ समन्वित कर जिला स्वास्थ्य योजना पर मुख्य बल दिया जाएगा ताकि स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में क्रांतिकारी परिवर्तन लाया जा सके।

इसमें प्रत्येक गांव में एक अधिकृत सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता नियुक्त करने का इरादा भी व्यक्त किया गया है। वर्ष 2005-06 के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लिए 6,713 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

● तमिलनाडु काजू निर्यात क्षेत्र स्थापित करेगा

तमिलनाडु सरकार तथा कृषि एवं संसाधित खाद्य पदार्थ निर्यात विकास प्राधिकरण ने कुट्टालोर में काजू निर्यात क्षेत्र स्थापित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इस पर 10.36 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा।

● दांडी मार्ग के मार्ग को 'हेरिटेज पथ' घोषित किया गया

महात्मा गांधी द्वारा नमक बनाने की 75वीं वर्षगांठ पर केंद्र सरकार ने 6 अप्रैल, 2005 को अहमदाबाद से दांडी तक के 384 किमी लंबे मार्ग को 'हेरिटेज पथ' घोषित किया। अहमदाबाद स्थित सावरमती आश्रम के जीर्णोद्धार के लिए 10 करोड़ रुपये के एक पैकेज की घोषणा भी की गई है।

● जम्मू-कश्मीर के विकास के लिए कार्यबल

सरकार ने जम्मू-कश्मीर के विकास के लिए दीघावधि योजना तैयार करने के लिए एक कार्यबल गठित किया है। रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर सी. रंगाराजन इसके अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। यह कार्यबल स्थानीय, राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वित्तीय संसाधन जुटाने के मार्ग सुझाएगा। इसे छह महीनों के भीतर एक अंतरिम रिपोर्ट तथा एक वर्ष के भीतर अपनी अंतिम रिपोर्ट दे देने के लिए कहा गया है।

● नोकिया कंपनी भारत में अपनी पहली उत्पादन इकाई चेन्नई से लगभग 50 किमी दूर श्रीपंतेवुदुर में खोलने जा रही है, इसमें नोकिया द्वारा 15 करोड़ डालर का निवेश किया जाएगा।

● दक्षिण अफ्रीका ने नेहरू का सम्मान किया

दक्षिण अफ्रीका ने विदेशी नागरिकों के लिए अपना सर्वोच्च सम्मान भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को मरणोपरांत प्रदान किया है। यह सम्मान उन्हें उपनिवेशवाद तथा रंगभेद के विरुद्ध उनके संघर्ष को स्वीकृति प्रदान करते हुए दिया गया है। दी आर्डर ऑफ कंपेनियंस ऑफ ओ.आर. तांबो नामक यह सम्मान राष्ट्रपति थाबो बेकी ने संसद श्री राहुल गांधी को प्रदान किया। □

वैट लागू करने वाले सभी राज्य समान कर पर सहमत हुए

मध्यवर्द्धित कर (वैट) के मार्ग में एक और मील का पथर गाड़ते हुए सभी 21 राज्य विभिन्न उत्पादों पर पूर्व के बिक्री कर के स्थान पर नई कर व्यवस्था में एक समान कर लगाने पर सहमत हो गए हैं।

राज्यों के वित्तमंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति ने चिकित्सा उपकरणों के लिए 12.5 प्रतिशत की उच्चतम दर के स्थान पर वैट की दर 4 प्रतिशत निर्धारित की है। यह भी सहमति बनी कि सभी

प्रकार के नमक, ब्रेड, खादी, गुड़, खांडसारी जननिवारण प्रणाली द्वारा बेची जाने वाली सभी वस्तुओं को कर से मुक्त रखा जाए।

सभी राज्यों के बीच वैट की दरों का अभिहस्तांतरण बढ़ाने के लिए समिति ने औद्योगिक उपकरणों में प्रयोग होने वाली सामग्रियों तथा पूजीयत वस्तुओं पर कर को 4 प्रतिशत के नीचे रखकर उनकी दरों के बारे में व्याप्त भ्रम को समाप्त करने की इच्छा भी जताई। वैट लागू करने वाले सभी 21 राज्य इस बारे में अपेक्षित अधिसूचना जारी करेंगे। 4 प्रतिशत वैट वाली जीवनरक्षक दबाइयों के बारे में स्थिति स्पष्ट करते हुए समिति इनकी एक सूची जारी करेगी। वैट के

अंतर्गत इनपुट टैक्स क्रेडिट के लाभ को उपभोक्ताओं तक नहीं पहुंचने देने की दबा उत्पादकों के वर्ग की प्रवृत्ति पर चिंता व्यक्त करते हुए राज्यों के वित्तमंत्रियों ने नियमित रूप से मूल्यों की निगरानी करने का संकल्प लिया ताकि मूल्यों में कृत्रिम उछाल को रोका जा सके।

अधिकार प्राप्त समिति की बैठक में केंद्रीय वित्तमंत्री पी. चिदंबरम ने वैट लागू करने से राज्यों को होने वाले किसी भी राजस्व हानि की भरपाई के केंद्र के बाद के अनुरूप प्रतिपूर्ति पैकेज के बारे में बताया। इसके अंतर्गत किसी प्रकार की भावी राजस्व हानि की केंद्र पूरी तरह भरपाई करेगा। □

चरित्रवान बनिए

○ जियातर रहमान जाफ़री

चरित्र मनुष्य के शील और आचरण का एक ऐसा दर्पण है जिसमें व्यक्ति के जीवन को परखा जा सकता है। चरित्र ही मानव को संत, महात्मा ऋषि और देवता बनाता है तथा इसका पतन मनुष्य के अधोगति का कारण बनता है। चरित्र ही मनुष्य और शैतान के बीच की विभाजक रेखा है। इसका अतिक्रमण मनुष्य को गर्त में ले जाता है। इसलिए महर्षि व्यास कहते हैं - आचारो परमो धर्मः आचार ही मानव का परम धर्म है। परंपरा में जिस रत्नत्रय की चर्चा की गई है, उसमें चरित्र सबसे प्रधान है। चरित्र मनुष्य की पूंजी है। वह दुनिया की समस्त कलाओं में सुंदरतम है। यह व्यक्ति को सुसंस्कारित और परिमार्जित कर मनोहर बनाता है, इसलिए कृष्ण के माध्यम से गीता में अर्जुन को सर्वप्रथम चरित्रवान बनने के लिए कहा गया है।

चरित्र एक श्रेष्ठ सदगुण है, यह ऐसा संस्कार है जो व्यक्ति को हर बुरे काम से पहले सोचने को विवश करता है, भले कामों की और मुख्तातिब करता है और हमारी समस्त दुर्बलताओं को दूर करने का सार्थक प्रयास करता है। इसलिए कहा गया है कि चरित्र मनुष्य का पता देता है। इस संबंध में हर्बट स्पेंसर का यह कथन प्रासंगिक है कि मानव की सबसे बड़ी आवश्यकता शिक्षा नहीं चरित्र है, और यही उसका सबसे बड़ा रक्षक है।

सचमुच चरित्र हमें बुराइयों से बचाकर भलाई की राह पर ले जाता है। यह हमारी विकृतियों, कुवासनाओं और पापाचारों से दूर हमारे मन, शरीर और इंद्रियों को पवित्र और निर्मल बनाता है। संस्कृत के एक श्लोक का अर्थ है कि चरित्र मनुष्य रूपी वृक्ष का सुंदर और सुगंधित पुष्प है। सुंदर और सुगंधित पुष्प के समान ही उदात्त चरित्र सबको अपनी ओर आकृष्ट करता है और प्रसन्नता प्रदान करता है। अंग्रेजी की एक प्रसिद्ध कहावत है - धन के नष्ट होने पर कुछ भी नष्ट नहीं होता, स्वास्थ्य के नष्ट होने पर थोड़ा नष्ट होता है, पर चरित्र के नष्ट होने पर सब कुछ नष्ट हो जाता है।

अपने चरित्र के बल पर ही भक्त उस सीमा

तक पहुंच जाते हैं, जहां भगवान स्वयं ही उनके वश में आ जाते हैं। मैथिल कोकिल विद्यापति के बारे में कहा जाता है कि भगवान शिव स्वयं सेवक बनकर उनकी सेवा करते थे। उत्तम चरित्र से क्या नहीं किया जा सकता! इस चारित्रिक पवित्रता के कारण ही भगवान राम शबरी के जूठे बेर खा लेते हैं। कुबड़ी कुबजा सुंदर युवती बन जाती है। सती अनसूया शिव को बालक रूप में प्राप्त कर लेती हैं। तुलसी के श्रीराम स्वयं को प्राप्त करने का गूढ़ रहस्य बतलाते हुए कहते हैं :

निर्मल मन जन सो मोहि पावा
मोहि कपट छल-छिद्र न भावा

स्पष्ट है कि परमानंद और लोकानंद की प्राप्ति तब ही संभव होगी जब हमारा मन छल-कपट से पाक-साफ हो। कहा भी गया है - प्रेम तो प्रकट होंहि भगवान्। हमारे सभी पौराणिक ग्रंथों में ऐसे उदाहरण भरे पड़े हैं, जहां कृष्ण के समक्ष कंस, अर्जुन के सामने दुर्योधन और भक्त प्रह्लाद के आगे हिरण्यकश्यपु आदि चरित्रहीन शक्तियां अपना दम तोड़ देती हैं। ब्रह्मवैर्त पुराण में पृथ्वी देवी ब्रह्मजी से कहती हैं - जो अपने धर्म और आचार से रहित है, जिसमें प्रेम, दया, सत्य और आचरण का अभाव है, जो माता-पिता, गुरु, अतिथि की सेवा नहीं करते, मैं ऐसे लोगों के मार से पीड़ित हूं। फिर भारत तो हमेशा से चरित्रवानों का देश रहा है। ऋषियों, मुनियों, सूफी-संतों पैगंबरों की पूंजी चरित्र ही रही है। इसी के बल पर वह अपने सम्राट से लोहा लेते रहे। राजे-महाराजे उनसे आर्शीवाद लेने उनके कुटीर तक पहुंचे, लेकिन वे राजमहलों के आमंत्रण पर कह दिया करते थे, संतन को कहाँ सीकरी सो

काम इन्हीं सूफी-महात्माओं के सानिध्य ने हमें सबल प्रदान किया। सचमुच हमारा संबंध जैसे लोगों के साथ होगा हमारा चरित्र भी वैसा ही होगा। इसी चरित्र निर्माण के लिए प्राचीन समय में शिष्यों को गुरुकुल भेजा जाता था। दो तोते की प्रसिद्ध कहानी में एक तोता जो पंडित के हाथ बिका उसने वैदिक मंत्रोच्चार सीख ली लेकिन दूसरा तोता जो कसाई के हाथों फ़रोख़त हुआ उसने कसाई की बोली सीख ली - मारो-बांधो, जिबह करो, काटो...। जो लोग उत्तम चरित्र के होते हैं वे कभी परास्त नहीं होते। कभी मरते भी नहीं। वस्तुतः वही लोग मर कर अमर हो जाते हैं। शहादत उन्हें ही शोभायमान बनाती है। हमारा चरित्र हमारी मानसिकता, हमारी जीवनशैली, हमारे संस्कार और हमारे व्यक्तित्व का द्योतक होता है। एक बार एक अत्यंत ही रूपवती युवती स्वामी विवेकानंद के पास आई और उन्हें मोहित करने का प्रयास कर विवाह का प्रस्ताव रखा। युवती ने कहा - हमसे विवाह कर आप अपने समान ही प्रतिभावान पुत्र उत्पन्न करें। स्वामीजी ने कहा, “माते! मेरे जैसा क्यों, मैं ही क्यों नहीं ... मैं आपका पुत्र बन जाता हूं। आप मेरी मां हैं।” विश्व इतिहास में शायद ही कोई दूसरा ऐसा आदर्श उदाहरण मिले। कंठस्थ कर लीजिए कि चरित्रवान व्यक्ति चाहे जहां भी रहे, वह लोकप्रिय हो जाता है। इंद्रियां उससे हार जाती हैं। तामसी शक्तियां भी उसके सम्मुख दम तोड़ देती हैं। बापू ने कहा था कि वह आजादी जो चरित्र खो कर मिले मुझे स्वीकार्य न होगा।

हमारे बच्चे सब कुछ अनुकरण द्वारा ही सीखते हैं। मां-बाप, गांव - समाज, देश का चरित्र उनका व्यक्तित्व निर्धारण करता है। इसलिए हम चरित्रवान हों तब ही हमारे जीवन की सार्थकता है। किसी ने कहा भी है - जमीर बेच कर जीने से फ़ायदा क्या है? उर्दू के सुप्रसिद्ध शायर नज़ीर बनारसी का यह शेर बड़ा सार्थक है :

अगर आ जाए जीने का सलीका
बहुत है चार दिन की जिन्दगी भी □

महिलाएं बनी भगीरथ : फिर जी उठा ताल

○ श्रीप्रकाश सिंह निमराजे

ताल लियर जिले के विकास खण्ड अंतर्गत सिरोली पंचायत में ग्राम रामनगर पूर्व की दिशा में वेसली नदी के केचमेंट में स्थित है। इसकी कुल आबादी 524 है जिसमें 288 पुरुष, 136 महिलाएं व बच्चे हैं। इस गांव में शत-प्रतिशत बासिदे अनुसूचित जाति के हैं। यह गांव अन्य जगहों की अपेक्षा सूखे की मार अधिक झेल रहा था। इस बजह से यहां के गांववासी कष्टमय जीवन व्यतीत कर रहे थे। इस गांव में भी प्राकृतिक तरीके अर्थात् बारिश पर निर्भर रहकर खेती करना और अपने परिवार का पालन-पोषण करना ही गांववासियों के जीवन का उद्देश्य है। ऐसी स्थिति में पिछले कुछ वर्षों तक लगातार पड़े सूखे ने पूरी तरह के गांववासियों की कमर तोड़ दी व उन्हें पलायन करने के लिए विवश कर दिया। कई लोगों ने कठोर निर्णय लिया और मजदूरी हेतु शहर की ओर पलायन करना आरंभ कर दिया। यूं तो इस गांव में दो-दो तालाब हैं, लेकिन रखरखाव न होने के कारण वे जर्जर अवस्था में थे। बढ़ती आबादी के कारण हमने तालाबों के अस्तित्व को नकार दिया है। समय की जरूरत है कि हम अपने सभी परंपरागत जलस्रोतों को पुनः विकसित करें और एक एक लंबी रणनीति के तहत काम शुरू करें। इसी के मद्देनजर विगत समय में कुछ गतिविधियां शुरू की गई जिनमें वर्षा जल का संग्रहण और प्रबंधन, खेत सुधार तथा स्वसहायता समूह अपने पैरों पर खड़े हो सकें, इसके लिए बीज कोष को बढ़ावा दिया गया। पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए नरसरी लगाई गई।

तालाब के महत्वपूर्ण काम को अंजाम दिया स्वसहायता समूह की महिलाओं ने। उनकी सहभागिता के परिणामस्वरूप एक तालाब का



जीर्णोद्धार गत वर्ष गोपाल किरण संस्था ने समुदाय एवं ग्राम में संस्था द्वारा गठित स्वसहायता समूह की सदस्य महिलाओं ने साथ मिल कर कराया। इस गांव के तालाबों में पानी नामामत्र के लिये भी नहीं रुकता था। ग्राम में प्रतिवर्ष भू-जल स्तर लगातार गिरता चला जा रहा था और ग्रामीणों को सूखे की स्थिति का सामना करना पड़ रहा था। ग्रामीणों ने इस संदर्भ में ग्राम पंचायत में इन तालाबों के जीर्णोद्धार का प्रस्ताव रखा, किंतु इस प्रस्ताव पर किसी ने कोई गंभीरता नहीं दिखाई। उन्हें दिनों गोपाल किरण समाजसेवी संस्था ने इस गांव में प्रवेश किया और महिलाओं को लक्ष्य मान कर उनके आर्थिक-सामाजिक स्तर को सुदृढ़ बनाने हेतु विभिन्न प्रयास करना प्रारंभ किया व कम होती हुई सहभागिता की भावना को पुनर्जीवित किया। लोगों में आत्मनिर्भरता की भावना उत्पन्न हो तथा सामूहिक श्रम के द्वारा ऐसी स्थाई संरचना का निर्माण किया जाए जिसमें अधिक से अधिक पानी का संग्रहण किया जाए जो कि भविष्य में लोगों के काम आ सके। अतः गांव के पास स्थित बबूल वाला ताल को पुनर्जीवित करने की पहल भी की गई। यह तालाब बंटवाला ताल से ही जुड़ा हुआ था। बबूल वाला ताल के पुनर्निर्माण के समय कुछ नियम व शर्तें तय की गई जिनमें कार्य के दौरान एक निगरानी समिति डा. अंबेडकर के नाम पर गठन कर कार्य के घंटे तय किए गए व मजदूरों के लिए

पेयजल की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था आदि बुनियादी आवश्यकताओं को ध्यान में रख कर योजना को अंतिम रूप दिया गया। प्रत्येक परिवार से नगद राशि एकत्रित की गई और महिलाओं सहित गांव के लोगों ने इस तालाब पर श्रमदान किया। श्रम कार्य में महिलाओं को जोड़ने के लिए संस्था द्वारा निर्मित स्वसहायता समूहों ने विशेष प्रयास किए।

समूह की सभी सदस्य महिलाओं एवं अन्य महिलाओं ने अपनी आत्मशक्ति के द्वारा तालाब में श्रमदान कर उसका गहरीकरण तथा जीर्णोद्धार कर सिंचाई व जानवरों के पाने के पानी की व्यवस्था की। 1092 मीटर की लंबाई में बनाए गए इस तालाब से खेतों के सिंचाई की व्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार हुआ।

इस तालाब के बन जाने से सभी समुदाय के लोग खुश हैं व महिलाओं के काम की सराहना कर रहे हैं। लेकिन एक आश्चर्य की लकीर उनके चेहरे पर खिंची हुई है कि क्या महिलाएं भी ये कर सकती हैं?

महिलाओं ने यह साबित कर दिया कि वे जो चाहें कर सकती हैं। गांव के आसपास की भूमि में गेहूं व सरसों की फसल लेने के लिए पहला पलेवा इन तालाबों से किया गया। बबूल वाला ताल बन जाने से 50 कृषक परिवार अपनी 192.11 बीघा भूमि की सिंचाई कर सकेंगे। यह तालाब नहाने, कपड़े धोने और मवेशियों की प्यास बुझाने से लेकर अन्य कार्यों में भी उपयोगी सिद्ध हो रहा है। इस तालाब के किनारे ग्राम समुदाय के सहयोग से वृक्षारोपण कर आंवला, नीम, शीशम आदि विभिन्न प्रकार के पौधे लगाए गए हैं। □

(लेखक गोपाल किरण समाजसेवी संस्था, ग्वालियर से संबद्ध हैं)

जहां चाह वहां राह

सुपारी के खेत में मानसरोवर

य

दि आप कभी सुलिया ताल्लुक आएंगे आपको पर्वतेज के समीप कनावु में एक किसान के खेत में ऐसा 'मडका' दिखाई देगा जिससे लगभग 50 एकड़ सुपारी के खेत की सिंचाई की जाती है। कन्नु गोपालकृष्ण भट्ट और थिरुमलेश्वर भट्ट नामक दो भाग्यशाली भाइयों को इस 'मडका' से सुपारी के उनके 50 एकड़ खेत के लिए भरपूर पानी प्राप्त हो रहा है। भूमि की ऊंचाई वाले स्थान पर एक 'मडका' है जिसमें बरसाती पानी जमा होता रहता है। इस मडके के तीन ओर हरे-भरे पेड़ हैं। यह मडका कोई तालाब या झील नहीं है। तकनीकी तौर पर कहें तो यह मडका एक परिश्रवण या रिसन से बना जोहड़ है जिसमें बरसाती पानी एकत्र होता रहता है।

कई दशक पहले दक्षिण कन्नड़ और कासरगोड जिलों में 'मडका' का प्रयोग होता था। 'मडकों' के अतिरिक्त जल को छोटी-छोटी नहरों के जरिए धान के खेतों में सिंचाई के प्रयोग में लाया जाता था।

इस व्यवस्था में केवल गुरुत्वाकर्षण का प्रयोग किया जाता था। गोपालकृष्ण भट्ट के पिता नरसिंहन भट्ट कासरगोड जिले से 1940 के दशक के मध्य में यहां आए थे। यहां आकर उन्होंने अपनी भूमि पर धान की खेती की और धीरे-धीरे सुपारी के पेड़ लगाने आरंभ किए। भूमि के शीर्ष भाग में उन्होंने धान की खेती की और इसके चारों ओर हरे-भरे पेड़ लगा दिए। तीन तरफ से ढलान और चारों ओर पेड़ से घिरे होने के कारण धान के खेत में खूब पानी उपलब्ध था। नरसिंहन भट्ट ने अपने धान के खेत के चारों ओर बांध बनाकर इसे तालाब में बदलने की योजना

बनाई। वह हर साल बांध को बढ़ाते रहे और इस तरह उसका 2.75 एकड़ में फैला बहुत बड़ा बांध बनकर तैयार हो गया।

1972 में 'मडके' का बांध टूट गया और आसपास की 50 एकड़ धान की फसल में बाढ़ का पानी भर गया। लेकिन लोगों ने कोई शिकायत नहीं की। बल्कि लोगों ने इस बांध के पुनर्निर्माण में भट्ट परिवार की मदद की। चूंकि यह 'मडका' ऊंचाई वाले स्थान पर था इसलिए इसका लाभ कई एकड़ भूमि में लगी फसल को मिलता था। कुछ लोगों को अब भी याद है कि वर्ष-दर-वर्ष बांध की ऊंचाई बढ़ने के साथ-साथ आसपास के तालाबों, कुओं और टैंकों का जलस्तर भी बढ़ने लगा था।

'कनावु मडका' इस बात का एक अच्छा उदाहरण है कि वर्षा जल किस प्रकार संचित किया जा सकता और तथा कैसे इसका सतत इस्तेमाल हो सकता है। यह एक ऊंचाई वाले स्थान पर स्थित है तथा पेड़ों से घिरा है। भट्ट बंधु यहां पेड़ उगाते नहीं हैं बल्कि ये स्वतः ही उगते रहते हैं।

वे तो जंगल से सूखे पत्ते भी नहीं एकत्र करते। इन सब पर्यावरण अनुकूल उपायों से मडके में पानी भरता रहता है और एकत्र हो जाता है। चारों ओर बन होने के कारण 'मडके' में गाद भी कम जमा होती है।

श्री भट्ट का कहना है, "मैं नहीं समझता कि इस मडके की सफाई करने की भी जरूरत है, क्योंकि इसमें गाद जमा नहीं होती। सूखे पत्ते मडके का जलस्तर बनाए रखने में मददगार रहते हैं।" इन पेड़ों के मध्य में एक तालाब है जिसमें कीचड़ भरा है, फिर भी इससे स्वच्छ और साफ पानी प्राप्त होता है।

गोपालकृष्ण भट्ट और थिरुमलेश्वर भट्ट के कुल मिलाकर सुपारी के 50 एकड़ खेत हैं। उनके खेतों में सात तालाब हैं जिनमें इस मडके के भूमिगत रिसाव का पानी जमा होता रहता है। वे इस पानी की मदद से फल्वारों के जरिए खेतों की सिंचाई करते हैं। अर्थात वे सीधे मडके से पानी नहीं लेते। श्री भट्ट मुस्कराकर कहते हैं कि मडके का पानी बैंक में सावधि जमा के समान है और तालाब में एकत्र रिसा हुआ पानी उसका व्याज है, हम तो केवल व्याज का उपयोग करते हैं।

आठ वर्ष पहले यह बांध कुछ टूट गया था लेकिन इस मडके के लिए कोई समस्या पैदा नहीं हुई। वे बांध को कुछ और ऊंचा करने पर विचार कर रहे हैं। लोक निर्माण विभाग के इंजीनियरों ने उन्हें सलाह दी है कि वे बांध को वृत्तांश रूप में बनाएं क्योंकि इससे बांध और मजबूत होगा। इस तरह का बांध बनाने से मडके में और अधिक पानी तो इकट्ठा होगा ही, साथ ही इससे भूमिगत जलस्तर भी बढ़ेगा।

कुछ समय पहले श्री रामचंद्रपुरा मठ, होशनागार के श्री राधेश्वर भारती स्वामी इस मडके को देखने आए। वे इस झील की सुंदरता को देखकर इतने मंत्रमुग्ध हो गए कि उन्होंने इसे 'मानसरोवर' का नाम दे दिया। उन्होंने गोपालकृष्ण भट्ट से कहा, "कैलाश में स्थित मानसरोवर की तरह ही यह ऊंचाई पर एक शांत वातावरण में स्थित है, अतः हमें इसे 'मानसरोवर' के नाम से ही पुकारना चाहिए। इसे गंदा नहीं होने देना चाहिए।" भट्ट बंधु ने स्वामी जी के आदेश का पालन किया और इस प्रकार एक और मानसरोवर की यात्रा के लिए आप आमंत्रित हैं। शुरू में एक छोटे से तालाब के रूप में भट्ट बंधुओं द्वारा निर्मित मडका, सुलिया के ग्रामवासियों का जीवनरक्षक बन गया है। □

**प्रतिदिन इतिहास बनता है;
इसी कड़ी में **DISCOVERY** का नया इतिहास,
C.S.E. 2004 में 19 नए पन्ने, 19 सफलताओं के साथ**

IAS/PCS



अस्त्री घोषी 16 वां



राहुल रंगन मिश्र 49 वां



पूर्नम 95 वां



कृण कु. निराला 110 वां



मनोज कु. शर्मा 121 वां



संतोष करनानी 171 वां



आनन्द कुमार 237 वां



उपमा गुप्ता 254 वां



परमादित्य 255 वां



यामिनी 296 वां



अजय कु. केशरी 297 वां



सचिन यादवशाह 300 वां



विनय कुमार 303 वां



राम चाहू 304 वां



महेश्वर अक्षर 309 वां



लल कुमार 311 वां



यशवन्त कुमार 356 वां



स्मिता राम मीणा 398 वां



संजीव कु. बेसरा 416 वां

सामाज्य अध्ययन

—सी.बी.पी. श्रीवास्तव, अनिल केशरी एवं अन्य

लोक प्रशासन
-दिवाकर गुप्ता

अन्य विषय

भूगोल
-अनिल केशरी

हिन्दी साहित्य -अजय अनुराग

परिचर्चा के साथ सभी विषयों का सत्र प्रारंभ- 10 से 15 जून

इतिहास

-डॉ हरिश्चन्द्र वर्मा,
डॉ लाल बहादुर वर्मा एवं अन्य

समाजशास्त्र

-सी.बी.पी. श्रीवास्तव

DISCOVERY
...Discover your mettle

B-14 (Basement), Commercial Complex,
Beside HDFC Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-9
30906050, 9313058532, 27655891